

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

११००

क्रम संख्या

UN 8 (2) 38 (48)

पत्र नं०

दक्षिणा

स्युप

बालचंद रामचंद कोठारी कौन है ?

२

पूर्व भाग ।

मुकद्दमेकी जड़ ।

ईसवी सन् १९२४ के दिसंबर मासमें मा० दि० जैन महासभाका २६ वां वार्षिक अधिवेशन दक्षिणके प्रमुख स्वतंत्रसंघर्षक संस्थाके कार्यवाहकोंने रोड-बल (बेरगांव)-में कराने का निश्चय किया । महासभाको स्थापित हुये यद्यपि २६ वर्ष गुजर चुके थे और उसने अपने उदयकालमें अब तक अनेक छोटे बड़े कार्य भी समाजहितके किये थे तो भी उसकी प्रसिद्धि भारतवर्षके समस्त प्रांतोंके समस्त मनुष्यों के कर्णगोचर न हो पायी थी और न महासभाके मुखपत्र जैनगजटने ही सर्वत्र पहुंचकर घर्मके मर्मों को समझानेका अवसर प्राप्त पाया । इसी कारण जो लोग भोली भाली जनतासे धर्मप्रचारके वहाने अधर्मप्रचार करनेके लिये दथेष्ट सहायता प्राप्त करते थे, उनके कान खड़े होगये । उन्हें भानही क्यों ? निश्चय हो गया कि अब उत्तरायण सूर्य दक्षिणायन

होना चाहता है अब तक जो हृष अपनी घनावटी रेशनीसे लोगोंको आंखोंमें चकाचौंध कर प्रभाव डाल रहे हैं वह अब महासभाके सामने अधिक नटिक सकेगा, लोग अब हमारी तरफ देखकर हंसेगे, ज़रूर हंसेंगे। वस ! इसी बुनयाद पर उन लोगोंने एक संगठित सभाके नीचे अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। दलबल सहित बड़ी हिम्मतके साथ इन तेजीसे भागे बढ़नेवाले महासभाके प्रतापको रोकनेका आडंबर रचा जाने लगा।

जिस प्रकार लोग सूर्यकी गर्मीसे अपनी रक्षा करनेके लिये छाता अपने शिर पर तान कर अपना बचाव कर लिया करते हैं उसी प्रकार ये मशानुभाव भी अपनी ही रक्षा कहीं छिप छुपाकर कर लेने तब तो कोई यात हो न थी परन्तु इन्होंने सूर्यके ऊपर ही छाता ताननेकी बेवकूफी की। और इसका फल यह हुआ कि विचारे उसके प्रबल प्रतापको हाथों से छूमी न पाये थे कि उष्णतासे घबड़ा कर अपनी विवेक-शुद्धिसे भी हाथ धो बैठे।

इन लोगोंने अधिवेशनकी नियत मितिसे प्रथम ही जो कुछ अपना मत बढ़ानेके लिये उचित अनुचित उपायोंका अवलंबन किया वह तो किया ही परन्तु अधिवेशनके दिनोंमें जो काश्गुजारी कर

दिखाई उससे इनकी इस नीतिका प्रसार दशादि शाश्री में होगया और उन्हे' भी पहाडके पास पहुँच कर अपनी गुरुताईका अनुभवपूर्ण ज्ञान होगया ।

परंतु फिर भी ये सम्मार्ग पर न आये, अपनी कल्पनाशाल बुद्धिके प्रभावसे इनके माथेमें एक विलक्षण सूत्र उत्पन्न हुई और उसके प्रभावसे इन्होंने भा० दि० जैन महासभाके नामसे फतवा जाहिर किया कि महासभाके समस्त कार्यकर्ता बदल दिये गये हैं और उनमें महामंत्री बालचंद्र रामचंद्र कोठारी बनाये गये हैं । इतना ही नहीं, वधमिं अपने दलको एकत्र कर यह मनसूबा भी बाध डाला गया कि महासभाके वर्तमान कार्यकर्ताओं पर उनसे चार्ज छीन लेनेकेलिये कांटेका सहारा फौरन लेलिया जाय तदनुसार इन लोगोंने वेरगावकी कोर्टमें दीवानी दावा भी दायर कर दिया ।

अब तो लोगोंको इनके इस मायाचारको प्रकट करनेकी आवश्यकता होती हुई, साथही यह भी जाहिर करनेकी कि इनके दलमें कैसे कैसे जैनधर्मके अनुकूल वा प्रतिकूल चलने वाले लोग हैं इस मायाचारको प्रकट करनेमें सबसे अधिक वीरताका कार्य 'जैनगजट' ने किया सत्ताहमें एक बारकी जगह दो बार पहुँच कर लोगों को यह साफ जाहिर कर दिया

कि—असली बान क्या है ? परंतु इस दलने भवने
 मायाचारका इस प्रकार मंडा फोड होते देख अधिक
 आवेशसे कार्य लेना आवश्यक समझा और इनके
 नियुक्त महामन्त्रीका जब कच्चा चिट्ठा जैनगजटके
 ता० २२-१-२५ के अंकमें प्रकाशित कर जैनसमाजको
 सचेत किया गया ता ये आपसे बाहर होगये । लेख
 प्रसिद्ध होनेके साथ ही इनके कल्पित महामन्त्री
 बालचंद्र कोठ रोने बकीली नोटिस जैनगजटके संप-
 दक, सहायक सभादक, प्रकाशक और सब प्रकारकी
 कानूनी ज़ुम्मेदारीसे रहित जैनसिद्धान्त प्रकाशक
 प्रेसके प्रबन्धकर्ताको दे दिया और इतना ही नहीं
 सुदूर देशवर्ती बेलगांव जिलेकी फौजदारी कचहरीमें
 केश भी दापर कर दिया ।

जिस लेख पर फौजदारी दावा दापर किया
 गया और जो सोलहो आने सत्य सावित हुआ
 उसका विवरण नीचे दिया जाता है ।



जैनगजटके वर्ष ३० अङ्क १६

ता० २२ जनवरी १९२५ में

प्रकाशित लेख ।

बालचंद रामचंद कोठारी कौन हैं ?

सेठ ताराचन्द आदि कुछ अगुओंने जो महा-सभाकी नई प्रबंधकारिणी समिति जैनमित्रमें चुन कर प्रगट की है, और शेडवालसे बेलगांव जाते हुये रेल या मोटरके किसी डिब्बेमें बंठ कर जिसका प्रसव किया गया है । उसके महामंत्री बालचन्द कोठारी बी० ए० बनाये गये हैं । इन 'मान न मान मैं तेरा महमान'की कहावत चरिताथं करनेवाले महा-शयका परिचय दक्षिणके जैनबन्धु तो अच्छी तरह जानते है, परंतु उत्तरीय जैनभ्राता बी० ए० आदिकी मोहक डिग्रीयोके जालमें फस इनको 'सच्चा सिंह न समझ लें' इसलिये जंसा इधरके लोगोंमें प्रसिद्ध है, ठीक वैसा ही लिखा जाता है—

- १) आप भंगी चमार आदि अस्पृश्य शूद्रोंको ब्राह्मण क्षत्रियादि उच्चवर्णोंसे भी पवित्र मानते हैं । उनके साथ खान पान करते हैं ।
- (२) अपने घर अस्पृश्य ही नौकर रखते है । आटा पीसने आदिके लिये यदि कभी कोई उच्चवर्ण-

की स्त्री भूलसे भी चनी जावे तो उसको स्पृश्य जाति मान्य होनेसे फौरन निकाल देते है ।

- (३) अस्पृश्योंके लिये आपने अपने गांवमें एक चोर्डिंग खोल रक्खा है ।
- (४) आपकी माता आपके इन कृत्योंसे अलग रहती और खान पानादिका संबन्ध नही रखती है ।
- (५) आपके पिता बहुत ही धर्मात्मा थे । कुन्थल-गिरि सिद्धक्षेत्र पर उन्होंने एक जिनमंदिरजी भी निर्माण कराया परन्तु उनके लाडले सुपुत्र उसे बेच कर पैसा खडा करना चाहते हैं ! परन्तु इनकी माता इनके इस दुष्कृत्यमे विघ्न डाले हुये है ।
- (६) आपके शीलव्रतका कुछ महत्त्व नही सुतरां धरेजा वा करांवके पोषक है ।
- (७) लड़ाकू और उपद्रवी समझकर यहां (दक्षिण) के लोग आपका तुच्छ दृष्टिसे देखते है । शेड-वालमे सुरतकी काग्रेसकासा दृश्य कर देना आपका नवीन कार्य नहा, इससे पहिले सोला-पुर जिना परिषद्, नागपूत सभा, आदि साव-जनिक अनेक सभाओंमे इसीप्रकार घमसान युद्ध करा चुके है ।

- (८) आपकी पार्टीने सिहका चर्मओडकर कुछ दिन पहले दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभा कायम की थी, उसके आधीन कई बोर्डिंग भी खोले गये है। सर्वसाधारण जनताने पहिले तो आपको धर्म-वृद्धिकी आशासे सब प्रकार इनमें सहायता पहु चाई परंतु जब कटुक फल इन बोर्डिंगोंसे निकलने लगे और धावते आदिका असली स्वरूप इनकी समझमे आने लगा तो सहायता देना बन्द कर दिया जिससे बोर्डिंगोंके खच चलाना भी कठिन हो गया यह देख आपने महासभाके ऊपर कब्जा करनेकी तर्कीब निकाली है क्योंकि बम्बई महासभाके अधिवेगनमें इसको (सभाको) २०००० रुपयेके अनुमान सहायता जो प्राप्त हो गई है ! इस प्रकार आप धर्मात्माओके प्रदत्त द्रव्य पर हाथ साफ करना चाहते ह ।
- (९) 'जैनधित्र' और 'प्रगति' आदि अपने मतके पत्रों द्वारा जैनसमाजमे अपना महामत्रित्व प्रगट कर लोगोसे चन्दा अपनी तरफ मांगनेका निघ साहस कर रहे हे ।
- (१०) आपके सहायक इस समय सेठ ताराचन्द मुम्बई, मूलचंद कापडिया मूरत, मीतलप्रभाद

ब्र०, नाथूराम प्रेमी, चांदाप्पा धावते आदि विगाडक दलके अगुआ है। यही कारण है कि इनके जैनमित्रादि पत्रोंमें सरासर झूठी खबरें प्रकाशित हो आपकी मत पुष्टि करती है।

—एक दक्षिणप्रवासी.

नोट—ऊपर लिखी कुल बातें हमारे संवाद-दाताने दक्षिणके प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहरोंके प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित पुरुषोंमें जानकर लिखी है। अतएव प्रत्येक जैनीका कर्तव्य है कि वह अपने दि० जैनधर्मकी रक्षाथ इन धर्म विगाडकोंके कदमे हरगिज न फसें और महासभाकी सहायतादिका रूपया शेठ चैनसुखजी छावडा, महामंत्री भा० दि० जैन महासभा सिरनीके पते पर ही भेजे।

—प्रकाशक.

इस लेखके प्रकाशित होजातेके बाद ता० ४ फरवरी १९२५ के दिखे हुवे वता की नाटिम जैनगजटके समस्त संचालकोंको पृथक् २ जवाबो रजिष्ट्रीसे पोष्ट मार्फत मिले, जिनका अमिगत तो समान था केवल किर्थादी द्वारा प्रांगी हुई रकमकी तादादमें अंतर था अर्थात् संपादक पं० रघुनाथदासजीसे

दश हजार, सहायक सम्पादक पं० लाला रामजीसे दो हजार, प्रकाशक पं० मकलनलालजीसे पांच हजार और प्रेसके मैनेजरसे एक हजार रुपये मागे गये थे ।

उक्त नोटिसोंमेंल एकका अधिकत अनुवाद नीचे दिया जाता है—

कोठारी द्वारा वकीलकी मार्फत दिलाये गये नोटिसका हिंदी मारांज ।

तस्फसे—श्रीयुत एच० एम० मोत्र बी० ए०

एल० एल० बी० वकील, बेलगाव ।

श्रीयुत श्रीलाल जैन, रिटर—“जैनगजट ”

६ विश्वकोष लेन कलकत्ता ।

महाशय,

मैं अपने मुवक्किल बाबू बालचंद्र रामचंद्र कोठारी बी० ए० एम० एल० सी० पूजाके कथनानुसार आपकी सूचना देता हूँ, कि आपने अपने “जैनगजट” नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्रमें ता० २२-१-२५ को “बालचंद्र रामचंद्र कोठारी कौन है ?” शीर्षक लेख प्रकाशित कर मेरे मुवक्किल बालचंद्र रामचंद्र कोठारीका अमान्यमान किया है, जोकि इच्छापूर्वक और इस दुःखि-

संघिसे किया गया है कि जिससे उसके व्यक्तिगत तथा जैनसम्प्रदायके एक व्यक्तिकी हँसियतसे जो उसकी ख्याति है वह नष्ट हो जाय और भी सूचित किया जाता है कि आपने ऐसा करके इण्डियन पीनलकोड (भारतीय दण्डविधि) के ५०० धाराके अनुसार दण्ड पाने योग्य अपराध किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कि आप उक्त लेखका वापस कर लें और मेरे मुवक़िल उक्त कोठारीसे सर्वान्तःकरणसे क्षमा मांगे और ये दो बातें' अखबारमें ऐसी भाषा और ऐसे भावमें प्रकाशित कर दें कि मेरे मुवक़िल उक्त कोठारीको पसन्द आवे तथा और भी सूचित किया जाता है कि आप मेरे मुवक़िल उक्त कोठारीको उसकी (कोठारीकी) सम्मति अनुसार किसी जनसाधारणके काममें खर्च करने लिए १००० (एक हजार) रुपये दीजिये।

यदि आप इस सूचना पत्र (नोटिश) के पानेके बाद ४ (चार) दिनके भीतर ऊपर लिखे अनुसार कार्य न करेंगे, तो मेरा मुवक़िल आपके विरुद्ध, जैसी उसको सलाह दी जायगी, उद्योग (तजबीज) करेगा।

बेलगांव }
४ फरवरी १९२५ } (६०) एम० एम० भोज, वकील

इस नोटिसका उत्तर संचालकोंकी तरफसे वकीलकी पारफत इस प्रकार दिया गया—

संचालकोंके उत्तरका सारांश ।

श्रीयुत एस०एम० भोज बी०ए०एल०एल०बी०
वकील, बेलगाम

कलकत्ता

ता० १४-२-२३

महाशय !

आपने बेलगांवसे जो पत्र ता० ४-२-१९२५ को हमारे मुवक्किलके नामसे दिया है उस पत्रका उत्तर देनेके लिये मेरे हस्तगत हुआ है । उसका उत्तर निम्नलिखित है ।

हमारे मुवक्किलने किसी प्रकारसे भी आपके मुवक्किल मि० कोठारीकी मानहानि की है यह वे अस्वीकार करते हैं तथा वे स्वीकार करते हैं कि 'बालचन्द्र रामचंद्र कोठारी कौन है' यह लेख मानहानिजनक नहीं है । आपके मुवक्किल जनसभाके एक मंवर अथवा प्रधान शहरवासी या और कोई भी क्यों न हो आपके मुवक्किलकी मानहानिके उद्देश्य से यह विद्रोह-मूलक लेख हमारे मुवक्किलने नहीं प्रकाशित किया है इसे वे स्वीकार करते हैं ।

हमारे मुवक्किल यह भी स्वीकार करते हैं कि आपके मुवक्किलकी किसी प्रकारसे कोई भी दावा नहीं हुई है। विश्वस्तसूत्रसे सम्वाद पा कर लिखा गया है। इसकी सत्यता हमारे मुवक्किलको मान्य है तथा इसमें सन्देहजनक कोई कारण नहीं है।

जो मनुष्य गलत तरीकेसे कार्यकारिणी भा० दि० जैन महासभाके महामन्त्री होनेकी चेष्टा करता है उक्त लेख उसी सम्बन्धको सुन्दर एवं परिष्कार रीतिसे बतलानेका मित्राय और कुछ नहीं है।

आपके मुवक्किलने कई एक समाचार पत्रोंमें घोषणा करा दी है कि—“मैं (आपके मुवक्किल) भा० दि० जैन महासभाका महामन्त्री नियुक्त हुआ हूँ।” आपके मुवक्किलकी समाचार पत्रोंमें प्रकाशित उक्त घोषणा सत्य बातके प्रतिकूल है। इसलिये जैन समाजको सत्यासत्य बात जानकर सचेत होजानेके लिये ही उपर्युक्त शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया है।

‘भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा’ भारत-वर्षके समस्त जैनसमाजकी एक सभा है और यह पत्र “जनगजट” उपरोक्त महामभाका मुखपत्र है। इसलिये जो व्यक्ति महासभाके कार्यकारी मंडलका सदस्य होनेका दावा करता है अथवा उस सभाके

किसी पद पर आरूढ़ होनेकी उम्मेदवारी करता है उस व्यक्तिके गुण दोषकी आलोचना करनेका हमारे मुवक्किलको पूरा पूरा अधिकार है । इसी प्राप्त-अधिकारसे उस पद पर अपनी नियुक्ति बतलानेवाले आपके मुवक्किलके गुण-दोष प्रकट करनेकेलिये हा उपरोक्त शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया है ।

हमारे मुवक्किलने धर्म-पक्ष तथा जनसमाजमात्रकी भलाईके ध्येयमे ही आपके मुवक्किलका धर्माचरण किस प्रकार है ? यह बात समाजमे प्रकट करनेके लिये ही 'बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारी कौन है ?' शीर्षक लेख समाजके सामने रक्खा है ।

हमारे मुवक्किल उपयुक्त शीर्षक लेख प्रकाशित करना न्याय्य बतलाते हुये आपको सूचित करते है कि सार्वजनिक पत्रका कोई लेखक किसी भी सार्वजनिक पत्र करनेवाले व्यक्तिके गुण दोषको खूब जोर-शोरसे प्रकट कर सकता है ।' इसलिये उन्होंने इण्डियन पिनल कोडके ५०० अथवा अन्य किसी धाराके भीतर कोई अपराध नहीं किया है । अतः आपके मुवक्किलने जो रुपये मान-हानिके बदले मांगे है, हमारे मुवक्किल उसकी पूर्ति करनेके लिये बाध्य नहीं है । आपके मुवक्किलका भय-प्रद-

र्शन अनुचित तथा आईनके बाहर है। यदि आपके मुवक्किल कुपरामर्शवश अदालत जाना चाहते हों तो वे अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं। हमारे मुवक्किल अपनी रक्षाके लिये प्रस्तुत है, तथा इस मुकद्दमेमें जो कुछ स्वर्च होगा उसकी क्षति पृतिकेलिये आपके मुवक्किल पर दावा करेंगे।

इस प्रकार नोटिसोंका उत्तर पाजाने पर भी बालचन्द बल्द रामचन्द कोठारी जनगजटके संचालकोंको दंडित करानेके लिये बेलगाप कोटमे दौड़ पडे और नीचे लिखा प्रार्थनापत्र फष्ट क्लास मजिस्ट्री कोटमें दाखिल कर दिया गया।

कोठारीके प्रार्थनापत्रके नकल।

फस्ट क्लासक मजिस्ट्रीके कोर्ट बेनगांव।

फरियादी—बालचन्द रामचन्द कोठारी
 धी० ए० एम०एल० सो० शुक्रकार पेठ—पूना सिटी
 आसामी—

१—परिडत रघुनाथदासजी रईस, जाति जेन उम्र ५५ वर्ष, पेशा जमीदारी, वासस्थान सरनऊ जिला एटा (यू० पी०) संपादक—“जेनगजट”

२—परिडत लालाराम शास्त्री, जाति जेन, अवस्था ४२ वर्ष, व्यवसाय प्राइवेट नौकरी, वास-

स्थान पहाडीधीरज सदरवाजार देहली (शिक्षक
हीरानाल जैन हाईस्कूल : सहकारी रंपादक—
“जैनगजट”

३—पकखनलाल शास्त्री, जाति जैन, अवस्था
४० वर्ष, व्यवसाय प्राइवेट नौकरी, निवासस्थान
६ विश्वकोषलेन कलकत्ता, प्रकाशक “जैनगजट”

४—श्रीलाल जैन, जाति जैन, अवस्था ३८
वर्ष, पेशा व्यवसाय, वासस्थान ६ विश्वकोष लेन
कलकत्ता प्रिटर “जैनगजट”

इन्डियन पिनलकोडकी ५०० वी धारा। इस
अर्जीमें फरियादी निम्नलिखित बयान करता है।

१—फरियादी “जैनसमाज”का एक प्रधान
मेबर है, कई वर्ष हुए इन्होंने ‘जैनसमाज’ की उन्नति
एवं ‘जैनधर्म’ की वृद्धिके लिये अनेकों सत्कार्य
क्रियें हैं। ये बम्बई-जेजिसलेटिभ कौंसिल सोला-
पुर जिलेके एक निर्वाचित प्रतिनिधि है।

२—आसामी (मुद्दालह) नं० १ हिंदी सामा-
हिक पत्र ‘जैनगजट’के सम्पादक है। यह पत्र (जैन-
गजट) भारतवर्षीय दिग्ग्वर जैन महासभाकी
तरफसे प्रकाशित होता है, यह उपर्युक्त महासभा
भारतवर्षके समस्त दि० जैनमात्रकी सभा है।
जैनगजट कलकत्तासे प्रकाशित होता है परन्तु

भारतवर्षके सब स्थानोंमें जाता है। जिसके अन्तर्गत बेलगांव सिटी तथा बेनगांव जिला भी है जहां जैनियोंकी अधिक संख्या है। फरियादी इसी जिलेके एक सर्वमान्य तथा परोपकारी व्यक्ति है। आसामी नं० २ इस पत्र 'जैनगजट'के सहायक सम्पादक है तथा आसामी नं० ३ और ४ क्रमशः प्रकाशक तथा मुद्रक है।

३—कुछ दिन पहलेसे ही ये समस्त आसामीगण इस 'जैनगजट' पत्र द्वारा सर्वसाधारणमें यह घोषणा करते आरहे हैं कि फरियादी जैनधर्म और जैन सम्प्रदायका अपने बुरे आचरण द्वारा लोप करना चाहता है। इस प्रकार तोहमत लगानेमें आसामीगण द्वेष भावसे उतारू हुए हैं। २-३ ४ नम्बरके आसामी परस्पर भाई हैं। सम्पत्ति उक्त महासभाने फरियादी को जेनरल सेक्रेटरीके पद पर नियुक्त किया है और आसामियोंको अपने २ पदमें पदच्युत कर दिया है। इस कारण आसामी गण फरियादीसे असन्तुष्ट हुए हैं और इर्ष्या द्वेष भावसे ऐसे सब मिथ्या सम्वाद तथा अपमानमूचक समाचार प्रकाशित करते आरहे हैं जिनसे फरियादी और उनके पक्षियोंके आचरणों पर धब्बा लगे।

४—ता० २२ जनवरी १०२५ को जैनगजटके

१८६ पृष्ठमें 'बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है ?' इस शिष्यकका एक लेख समस्त आसामियोंने प्रकाशित किया है। उस लेखमें फरियादीके विरुद्ध अनेकों मिथ्या अपमान सूचक सम्वाद प्रकाशित किये गये है। उस लेखमें निम्नलिखित अपमान-सूचक बातें छपी गई है—

(क)—फरियादी ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्णोंकी अपेक्षा अस्पृश्य (भंगी-चमार) को ही उच्च समझते है तथा इन्ही भंगी चमारोको अपने गृहस्थायमें नियुक्त भी करते है।

(ख)—इनकी माता इनके चरित्रसे अपसन्न होकर इनसे पृथक् रहती है।

(ग)—फरियादी अपने पिताके निर्माण किये हुये मन्दिरजाको ध्वंसा चाहते है।

(घ)—फरियादीका चाल चरन खराब है।

(ङ)—दक्षिणक जैनी फरियादीको घृणाकी दृष्टिसे देखते है।

(च)—फरियादी भा० दि० जैन महासभाके फंडको आत्मस्वास्थ्य व्यय करना चाहते है।

५—आसामियोंने इन सब दोषोंको मिथ्या समझते हुये भी द्वेषवश उन्हें सन्ध प्रमाणित करनेकी इच्छासे फरियादीके कुलकी हंसो उड़ाई है और

भारत जैनसमाजमें बिस्तृत उनकी कीर्ति पर धब्बा लगाया है। इन्होंने इंडियन पिनलकोटकी ५०० वीं धाराके दंडनीय अपराध किये हैं, इसलिये दाव किया गया है।

६—इन आसामियोंने मानहानि सूचक जो लंख छपा था, उसकी भूलसुधार करनेके लिए तथा माफी मांगनेके लिये फरियादोने एक रजिष्ट्रडे नोटिस दिया था परन्तु उन्होंने ऐसा करनेसे साफ साफ इन्कार कर दिया और उलटा फरियादीके ऊपर दोष प्रमाणित करनेके लिए चेष्टा की थी।

७—उपर्युक्तलिखित सब मिथ्या सम्बाद बेलगांव शहरमें प्रकाशित हुए थे और वह इस कोर्टके अधीन है।

८—इस मुकदमेमें निम्नलिखित साक्षीगण गवाही देंगे।

१—चतुरबाई भ्रतार रामचन्द्र अवाचंद कोठारी,
मु० वाबी तालुका, माड़ा (सोलापुर)

२-३ नं०के आसामीका पत्र इस कोर्टमें दाखिल करनेके लिये पि० बालु नाना चांगुल सांगलीको सम्मन देना होगा।

४—सठ ताराचन्द नवलचन्द जौहरी, रत्नाकर-पेलेस चौपाटी-बंबई,

५—मानिकचंद मोतीचंद शाह एसकायर मेने-
जिग डेरेक्टर

मानिकबाग, आयल मिल्स लिमिटेड बेलगांव

६—गु डप्पा तवनप्पा पाटील आफिसियेटिंग
पुलिस पाटील, बेलगांव ।

मुकद्दमाके समय फरियादी और भी साक्षी
दे गे ।

६—निम्नलिखित दलीलपत्र उपस्थित किये
गये है ।

(क) - ता० २२ जनवरी १९२५के जैनगजट
की एक कापी ।

(ख) “बालन्द रामचन्द कोठारी कौन है ?”
इसका अनुवाद ।

फरियादी प्रार्थना करता है कि इन समस्त
आसामियोंके अपराधपर विचार किया जायगा
तथा कानून अनुसार दंड दिया जायगा ।

- हस्ताक्षर भी० आर० कोठारी.

—

बेलगामकी फौजदारो कहचरीमें इस प्रकार प्रार्थना पत्र दायर कर देनेके बाद कानूनके अनुसार वहाँके सिटी मजिस्ट्रेट प्रोयुन चार, एस, हीरमठ साहब ने जैनगजटके संचालकोंको अपने समक्ष प्रत्यक्ष हाजिर होनेके लिये कलकत्ता देहलौ, और ऐटाके प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटके फास वारण्ट द्वारा सूचना भेजी जिसमें लिखा गया था कि—

यहाँ (बेलगाम) की कचहरीमें पूना शहरके रहने वाले बालचन्द्र बल्द रामचन्द्र कोठारोने अपनी मानहानिसे दुःखित हो कर एक प्रार्थना उपस्थित की है जिसमें कहा गया है कि—जैनगजटके कार्यकर्ताओंने मेरो बदनामी को है इसलिये उन पर इच्छित पिनल कोड (ताजीरात हिंद) की ५०० नं० को धाराके अनुसार अपराध लगा कर विचार होना चाहिये । अतएव मेरे (मजिस्ट्रेटके) सामने कलकत्ता शहरके रहनेवाले पं० मखनलाल शास्त्री प्रकाशक जैनगजट और पं० श्रीलाल प्रिंटर जैनगजट, देहलौ शहरके रहनेवाले पं० लालारामजी शास्त्री और ऐटा जिलेके पं० रघुनाथदासजी ता० १५ मईकी हाजिर किये जाय । यदि ये लोग पांच सौ पांच सौ रुपयेको जामिन करदे तब तो स्वतन्त्र छोड़ा जाय, नहीं तो गवर्नमट अपनी शक्ति काममें लाकर इन्हे यहाँ (बेलगाममें) उपस्थित करे ।

उक्त आशयवाले हुकमनामिकी पाकर कलकत्तेकी पुलिसने नं० ८ विश्वकोष लेनखित भारतीय जैन-सिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाके भवनमें ता० ५ मई १८२५ को सामके करीब साढ़े पाच बजे अपना एक प्रतिनिधि (जमादार) पं० मकखननालजी और ओलालजीके पास भेजा ।

उक्त प्रतिनिधिका पं० ओलालजी काव्यतीयं से ज्योंही साक्षात् हुआ, उसने कहा कि—आपके नाम वारंट है, इसलिये मेरे साथ थाना चलिये । पुलिसजमादारके मुखमें उक्त संवाद सुन श्रीजानजीने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हाँ । ठीक है, बेलगामसे आया होगा । पं० मकखननालजीके नाम भी तो नहीं है ? इस प्रश्नको सुनकर जमादारने कहा हाँ । है तो मही, परन्तु वे कहां हैं ? उत्तरमें ओलालजी उस जमादारको अपने साथ लेकर पं० मकखननालजी न्यायालंकारके पास उनकी दूकान नं० २२० अपरसक्यूंलर रोड पर ले गये और सब हकीकत कह सुनायो । न्यायालंकारजीका ठिकाना वारंटमें गलत लिखा था इसलिये वह कार्य देखिर लौट जा सक्ता था, परन्तु सत्यके समक्ष सदा निर्भय रहनेवाले गजटके सञ्चालकोंको यह बात पसन्द न आयी इसलिये विदकुल सीधे तरीकेसे उन्होंने वारंटकी तामोल कर दी ।

वारंटको खबर विजलीकी तरह कलकत्तेके जैन-समाजमें पहुँच गई और जामिन देनेके लिये श्रेष्ठ चैन-सुख गम्भीरमलजी फार्मके मालिक श्रीमान् श्रेष्ठ गंभीर मलजी पाँखा अपनी मोटरमें सवार हो न्यायालंकार-जोकी दूकान पर आ पहुँचे। इधर श्यामवाजारकी जैन समाजके प्रमुख भीखाराम बालमुकुन्द फार्मके मालिक चौधरी भोखारामजी भी आ गये। बाबू राजेन्द्रकुमार तारकनाथ फार्मके मालिक बाबू राजेन्द्र-कुमारजी आदि अन्य भी अनेक प्रतिष्ठित सज्जन एकत्र हो गये और सब लोग साथ साथ ही थानेमें पहुँचे। श्यामापूकर थानेके इंसपेक्टर साहबने इतने बड़े बड़े आदमियोंको उक्त दोनों आसामियोंके साथ आते देख चं सकर कहा कि मानहानि केश है, इसमें आप लोगोंको चिन्ता करनेकी कुछ जरूरत नहीं है और उसके बाद आपने कायदेके अनुसार अपने रजिष्टरकी खाना पूर्तिकर दोनों महाशयोंको ता० १५-५ २५ को बेल-गाममें उपस्थित होनेकी सूचना कर विदा कर दिया।

जामिन दे कर थानेके बाद तार द्वारा इस वृत्तान्तकी सूचना देहली पं० लालारामजीको और सरनै (एटा) पं० रघुनाथदासजीको दे दी गई। तार पाते ही पं० लालारामजी देहलीके थानेमें अपने नामका वारंट तलास करने पहुँचे परन्तु दुर्भाग्यवश

वारंट उस दिन तक देहली न पहुँच पाया था। सरनी वारंट पहुँच चुका था परन्तु पं० रघुनाथदासजा करीब दो वर्षसे बीमार थे इसलिये पटाके मजिस्ट्रेटने यह लिख कर कि आसामी बीमार है, हाजिर नहीं हो सकता, वारंट वापिस कर दिया।

पं० लालारामजीके पास वारंट न पहुँच पाया था तो भो आप बेलगांव नियत दिन पर पहुँच हो गये।

यह दिन सिर्फ जामिन ले कर विचार करनेको तारीख डालनेके लिये नियत किया गया था इसलिये संचालकोंको स्थानीय जामिन लेती गई और पेशी ता० ८ जून १८२५ डालदी गई।

कोर्टमें फरियादी बालचन्द वल्द रामचन्द कोठारी द्वारा मौखिक दिये गये बयान।

—:~:—

तारीख ८ जून १८२५ को रायसाहब आर० एन० किणो महोदयके समक्ष फरियादी अपने गवाहोंके सहित उपस्थित हुआ और मजिस्ट्रेट साहबकी आज्ञानुसार फरियादीने अपने बयान अपने वकील मि० अठथा

बाबाजी लहरे के प्रश्नोंका उत्तर देते हुये इस प्रकार देना प्रारम्भ किये

व०—यह मामला क्या तुमने दायर किया है ?

बा०—हां ! मैं इस मामलेमें मैं फरियादी हूं ।

व०—तुमने कहां तक शिखा प्राप्त की है ?

बा०—मैंने बम्बई यूनिवर्सिटीका प्रिजेंट हॉ
और कालिजका फैलो भी था ।

व०—तुम क्या बम्बईकी लेजिस्ट्रेशन रिजर्वीसिलके
मेंबर हो ।

बा०—हां ?

व०—तुम जमीनका फाडा (मालगुजारी)
और इनकमटैक्स भी कुछ देते हो ?

बा०—हां । ५००) फाडा और लगभग दोसौ
रुपये इनकमटैक्स देता हूं ।

व०—तुम क्या किसी पत्रके सम्पादक भी थे ?

बा०—हां । मराठीके जागरूक नामक पत्रका
कुछ समय तक सम्पादक था और मराठीमें कुछ
पुस्तके भी लिखी है ।

व०—तुम क्या किसी जनसभाके सभापति भी
हुए थे ?

बा०—हां ! गत वर्ष भिलवडी (एक गांव)
में जो दक्षिण महाराष्ट्र जनसभा हुई थी उसका मैं
सभापति था ।

व०—इस समय भी क्या किसी सभाके कोई पदाधिकारी हो ?

बा०—हां। भारतवर्षीय दि० जैन महासभाका मैं गत दिसम्बर १९२४ से महामन्त्री हूँ।

व०—जैनगजट किस सभाका पत्र है और उसके संचालक कौन हैं ?

बा०—जैनगजट उक्त महासभाका मुख्य पत्र है और उसके आरोपी नं० १ संपादक, नं० २ सहायक सम्पादक, नं० ३ प्रकाशक और नं० ४ मुद्रक गत दिसम्बर १९२४ तक थे परन्तु नवीन चुनावके अनुसार नं० १ और २ के आरोपी उक्त पदोंसे हटा दिये गये हैं।

व०—तब आजकल सम्पादनका कार्य कौन करता है ?

बा०—उक्त आरोपी ही करते हैं। मैंने इन लोगोंसे चार्ज मांगा था परन्तु देनेसे इन लोगोंने निषेध कर दिया इसलिए दोवानी दावा भी इनके विरुद्ध मैंने दायर कर रक्खा है।

व०—यह फरियादी तुमने क्यों कर दायर की है ?

बा०—ता० २२-१ २५ को जैनगजटमें उक्त चारों आरोपियोंने मेरे विरुद्ध एक लेख प्रकाशित किया है, उक्त लेखको अङ्गरेजी अक्षरों सहित मैंने हजिर करता हूँ। इसके सिवा अन्य लोगोंने भी इसीमे विषयमें अनेक भ्रान्त बातें छपाई की हैं।

व—लेखका अंग्रेजी अनुवाद ठीक है न ?

बा०—हां। वह बिल्कुल ठीक है। परन्तु उसमें जो मेरे विषयमें बातें लिखी हैं, सबंधा मिथ्या हैं। जैसे कि—

(१) मैंने कभी अपने घर किसी भी अस्पृश्यको नौकर नहीं रखा।

(२) मैंने कभी किसी उच्च जातीय स्त्रीको अपने घरसे नहीं निकाला।

(३) मेरो माने मुझे छोड़ दिया है यह बात भी ठीक नहीं है।

(४) मेरे पिताने कुथलगिरि क्षेत्र (निजाम छंट) पर एक मन्दिर बनवाया है, मेरे पिताकी मृत्युके बादसे उसको देखभाल पंच करते हैं जिसको कि करीब १० वर्षका अर्मा होता है। मैंने उस मन्दिरको बेवनीकी कभी कौशिल्य नहीं की।

(५) करावाका अर्थ रखेली औरत रखना है, धरेजाका अर्थ बिना किसी विधिविधानके पुनर्विवाह करना है। मैंने इन दोनों बातोंको कभी पुष्टि नहीं की है।

(६) मैंने यह कभी उपदेश नहीं दिया कि ब्रह्मचर्य पालना अनावश्यक है।

इन मिथ्या बातोंके प्रकाशित हो जानेसे मैंने

समाजमें मेरा यश नष्ट हो गया, मैं नीचा गिना जाने लगा ।

वकील—इस लेखके प्रकाशित हो जानेके बाद क्या तुमने आरोपियोंको नोटिस दिया था ?

बालचन्द्र—हां । मैंने समस्त आरोपियोंको इस लेखके बदले माफी मांग लेने और कुछ रुपये पब्लिक काममें खर्च करनेको देनेके लिये लिखा था परन्तु वे सा करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

व०—आरोपियोंके पाससे जो उत्तर आये वे क्या तुम्हारे पास हैं और उन्हे यहाँ लाये हो ?

बाल—हां । मैं उन उत्तरोंको लाया हूँ और कोर्टमें पेश करता हूँ ।

व०—गजटके डिक्लेरेशनकी कापी भी क्या लाये हो ?

वा०—हां । मैं लाया हूँ परन्तु उसमें नं० ३ के आरोपी ही प्रकाशक और मुद्रक हैं । जैनगजटके अंकों पर जो छपा है उससे तो नं० ३के आरोपी प्रकाशक और नं० ४ के मुद्रक मालूम होते हैं । नं० १के संपादक और २के सहायक संपादक हैं इसलिये मैंने उक्त चारोंको आसामी बनाया है ।

व०—तुम्हें मालूम है कि—उक्त आपत्तिजनक लेखका लेखक कौन है ?

वा०—नं० ४के आरोपी पं० श्रीलालजी, उन्होंने उक्त लेख लिख कर छपने भेजा था ।

फरियादीके इस प्रकार मौखिक बातों द्वारा मुक-
हमेकी नीव रखी जाने पर आरोपियोंके वकील श्री
युत विनायक अप्पाराव बी० ए० एल० एल० बी वकील
ने कोर्ट से प्रार्थना की कि जिरह करनेके लिये कलका
दिन नियत किया जाय और आज समस्त गवाहोंके
मौखिक बयान हो सिके लिये जाय। मजिस्ट्रेट
साहबने उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली और ता० ८-६-
२५को फरियादीके गवाह भैठ ताराचंद नवनचंद
जहड़ेरो, बालानाना चौगला, यशवंत मंगप्पा, वकील
और वसवंतप्पा भरमप्पा, इन चार गवाहोंकी गवाहो
लीकर कचहरो समय पूरा हो जानेसे दूसरे दिनके लिये
उठ गई।

बालचंद कोठारीसे की गई जिरह।

ता० ११ जून १८२५ को जब कि कचहरो खुलो
तो फरियादीने मजिस्ट्रेटसाहबकी आज्ञानुसार बाला-
नाना चौगलाने जो पत्र श्रीयुत पं० मखनलालजीका
लिखा हुआ बतला कर पेश किया था उसका अर्थ जो
अनुवाद पेश करते हुये कहा कि यह अनुवाद शुद्ध है,
इसे मैं पेश करता हूँ। इसके बाद जब कि फरियादी
के कुल गवाह गुजर चुके, आरोपियोंके वकीलने नोबे

लिखी भाति कोठारीसे जिरह को और फरियादीने उत्तर दिया ।

म०—तुमने वो० ए० परोचा कब पासकी थी ?
कोठारी—१८१२के डिसम्बर मासमें ।

म०—तुम पूना कबसे रहते हो ? और पुस्तक प्रकाशन कब किया था ?

फ०—मैं पूनामें ८-१० वर्षसे रहता हूँ और वो० ए० हो जानेके बाद पुस्तक प्रकाशनका कार्य किया था ?

म०—तुमने जागरूक कब निकालना प्रारम्भ किया था ? और कब बन्द कर दिया ?

फ०—सन् १८१७से प्रारम्भ किया था और १८२३के जनमें बन्द कर दिया ।

म०—तुमने जागरूक क्यों बन्द कर दिया ?

फ०—वह ब्राह्मणैतर पार्टीकी तरफसे प्रकाशित होता था, जब उस पार्टीमें मेरा मतभेद हो गया तो मैंने वह पार्टी छोड़ दी फलतः अखबार भी बन्द कर दिया ।

म०—लट्टे और चौगले भी उस पार्टीमें थे न ?

फ०—हां ! वे सन् १८२४में कुछ महीने तक थे ।

म०—तुम बाबी (फरियादीके गांवका नाम है) में कब थे और वहां भाजकल जाते हो या नहीं ?

फ०—मैं सन् १८२२ और २३ में बहुत दिनों तक

बाबीमें था और यों तो हरसाल जाता रहता हूँ तथा महीना पन्द्रह दिन रह कर आता हूँ ।

म०—तुम्हारे मा अलहदी रसोई बनाते हैं न ?

बा०—हाँ । जब मैं बाबीमें नहीं रहता, तब वह अलहदी रसोई बनाती है क्योंकि मेरे छोटे भाई-को वहूँसे उसको पटते नहीं है ।

म०—तुमने अपने गावमें अस्पृश्य बोर्डिङ्ग कबसे खोल रक्खा है ? और उसका खर्चा कैसे चलता है ?

बा०—मैंने उसे सन् १८२२ के मई माससे चालू कर रक्खा है । खर्चके लिये मैंने बहुतसा रुपया स्वयं दिया है और लोगोंसे सहायता भी ली है । पारश्वमें तो मैं स्वयं मालिक था परन्तु सन् १८२४ से उसे द्रष्टियोंके सुपुर्द कर दिया है, द्रष्टियोंमें मैं स्वयं, डा० मनु और मि० के० सो० शाह हैं । मन्त्री मैं हूँ ।

म०—बोर्डिङ्ग किम जगह है ?

बा०—बोर्डिङ्ग मेरे बगोचेमें है । जो कि मेरे घरमें करीब पांच फर्लाङ्गकी दूरी पर है ।

म०—उस बोर्डिङ्गमें तुम पढाते हो न ?

बा०—नहीं, मैं उनमें नहीं पढाता । लड़के वहाँ रहते हैं और गवमेंण्ट स्कूलमें पढने जाते हैं ।

म०—तुम बोर्डिङ्गमें जाते हो न ? और लड़कोंके क्यूँते हो न ?

बा०—हां ! मैं सबदा बोर्डिङ्गमें जाता हूँ और मैं लडकोंको छूता हूँ ।

म०—तुम उन अस्पृश्योंको छूकर नहाते हो न ?

बा०—नहीं, मैं उन्हें छूकर कभी नहानेकी आवश्यकता नहीं समझता । मैं तो अपने नहानेके समय ही नहाता हूँ ।

म०—लडकोंको छूकर नहीं नहानेसे तुम्हारी माता कुछ निषेध नहीं करती ? और क्या इसे वे पसन्द करती हैं ?

बा०—नहीं, इस विषयमें मेरी और माताकी कभी कुछ बोल चाल नहीं हुई । परन्तु मेरे ख्यालसे वे मेरी इस हरकतके विरुद्ध नहीं हैं ।

म०—बोर्डिङ्ग खोलनेकी बात तुम्हारी माको मालुम है न ?

बा०—हां । उन्हें मालुम है । उन्होंने बोर्डिङ्ग देखा भी है परन्तु मेरे ख्यालसे वह कभी बोर्डिङ्गके भीतर नहीं गई हैं । वे पब्लिक बाथोंमें कुछ दानल भी नहीं रखतीं ।

म० - तुम्हारे बोर्डिङ्गमें भीतर जानिकी बात तुम्हारी माको मालुम है न ?

बा० हा । वे जानती हैं कि मैं हमेशा बोर्डिङ्ग में जाया करता हूँ ।

म०—अस्पृश्यों के साथ खान पान करनेके विषय में तुम्हारा क्या मत है ? और है तो तुमने कभी खाया पीया है या नहीं ?

बा०—मेरे बिचार तो उन अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेके हैं

परन्तु आज तक कभी पब्लिक अथवा प्राइवेट तीरस्र छनके साथ खाया पीया नहीं है क्योंकि जब तक मरे जातिके लोग वैसा करनेके लिये तयार न हो जाय, तब तक मैं खान पान करना उचित नहीं समझता ।

म०—अस्पृश्योंकी घरके कामों पर नौकर रखनेमें तुम्हारा क्या मत है ?

बा०—मेरे मतसे अस्पृश्योंको अपने घरोंकी नौकरी पर अवश्य बहाल करना चाहिये परन्तु आज तक मैंने उन्हें अपने यहाँ बहाल नहीं किया है कारण जब तक जाति वैसा करनेकी तयार न हो जाय, तब तक मैं उनको नौकर रखना अनुचित समझता हूँ ।

म०—जै नधर्मानुसार अस्पृश्यता निवारण उचित है या अनुचित ?

बा०—जै नियोगे स्पृश्य अस्पृश्यका भेद ही नहीं

है इसलिये मैंने इस प्रश्न पर कुछ विचार नहीं किया है ।

म०—जैन ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणितर किस पार्टी में है ?

बा०—ब्राह्मणितर पार्टी में, यह राजनीतिक पार्टी है और जैन लोग उसके मेंबर है ।

म०—तुमने अखबारों में अस्पृश्यों के साथ खानेकी अपनी स्वीकारता दी है ?

बा०—हां मैंने यह छपाया है कि मैं अस्पृश्य के साथ खान पान करनेको तयार हू ।

म०—बेलगाम में जो अस्पृश्यों के साथ सहभोजन हुआ था, उसकी क्या खबर है ? और उसमें कौन रहे ?

बा०—हां । मुझे खबर है । उसमें जालिया आदि अस्पृश्यों के साथ प्रोफे० लड्डे और चौगुलेने भी भोजन किया था जैसा कि ता० १२-६-२१ के जागरूक में छपा है ।

म०—तुम जैनसमाज के नेता हो न ?

बा०—मैं जैनसमाज का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता हूँ या नहीं यह जैनसमाज कहेगा ।

म०—जागरूक में लड्डे के अस्पृश्यों के साथ भोजन

करनेके समाचार प्रकाशित कर देनेसे ही क्या उन्होंने जागरूककी कमेटोसे स्तोफा नहीं दिया ?

बा०—मि० लहरे ने मुझे अपने अस्पृश्योंके साथ न खानेके समाचार तो छपने भेजे थे परन्तु इस कारण उन्होंने स्तोफा नहीं दिया । स्तोफा देनेमें कारण तो राजनैतिक मत विभिन्नता थी ।

म०—ता० १३-७-२१के जागरूक पृष्ठ ४ पर जो बिलगामके सहभोजन पर एक लेख छपा है वह तुम्हारा है न ?

बा०—नहीं, वह लेख मेरा तो नहीं है ।

म०—ता० १६-७-२१के जागरूक पृष्ठ ३ पर जो विचार लिखे गये है वे तुम्हारे हैं न ?

बा०—नहीं वे सब विचार मेरे नहीं हैं, मैं उस पत्रका संपादक था और वह पत्र ब्राह्मणतर पार्टीका था इसलिये उसमें विचार प्रगट होते थे वे पार्टीके थे न कि मेरे निजी विचार ।

म०—ता० ३०-८-२१के जागरूक पृष्ठ ३ पर अस्पृश्योंके साथ सहभोजन करनेके लिये तथा पुरुषोंकी जो नामावली छपा है उसमें तुम्हारा नाम भी है न ?

बा०—हां, अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेके लिये तथा पुरुषोंमें मेरा नाम भी छपा है ।

म०—महासभाका क्या उद्देश्य है ?

बा०—महासभाका उद्देश्य सुधार करना और जैनधर्म के साथ शिक्षाका प्रचार करना आदि है ।

म०—जैनधर्मका वर्णन किन किन शास्त्रोंमें है ?

बा०—सर्वार्थसिद्धि, गोमटसारजो प्रभृतिमें है ।

म०—जिनसेनस्वामौकत महापुराणमें भी जैनधर्मका वर्णन है न ?

बा०—हां, परन्तु वह महाभारत आदिके समान कल्पित कथाग्रन्थ है ।

म०—सर्वार्थसिद्धि, गोमटसारजो आदिकी कथा उसमें है या नहीं ?

बा०—हां ! उन ग्रंथोंका सार भी उसमें पाया जाता है ।

म०—तुमने महापुराण पढ़ा है ?

बा०—सम्पूर्ण नहीं पढ़ा है ।

म०—तुम महासभाके मेंबर कब हुये ? और शिडवाल अधिवेशनके सिवा अन्य अधिवेशनमें भी कभी शामिल हुये थे ?

बा०—मैं दिसम्बर १८२४में महासभाका मेंबर बना । मैं महासभाकी अन्य किसो मोटिंगमें हाजिर नहीं हुआ । हां ! दशक रूपमें कभी गया हूंगा तो याद नहीं ।

म०—विधवाविवाह किसे कहते हैं और वह जैनसमाजमें होता है या नहीं ?

बा०—धर्मशास्त्रके अनुसार विधवाके साथ उत्तमवर्ष्यक विवाह करनेको विधवाविवाह कहते हैं और वह जैनसमाजमें होता है ।

म०—जैनियोंमें पाट होता है न ?

बा०—नहीं, मेरो समझसे जैनोंमें पाट नहीं होता ।

म०—तुम किस जातिके हो ? उसमें विधवाविवाह होता है वा नहीं ?

बा०—मेरो जाति हम्मड है, उसमें विधवाविवाह नहीं होता । मेरो विश्वास है कि चतुर्थ, पंचम तथा अन्य जातियोंमें विधवाविवाह होता है ।

म०—तुम विधवाविवाह करनेके पक्षमें हो ?

बा०—हां । जैसा विधिविधान पहिले विवाहमें होता है वैसा ही यदि स्त्रीके दूसरे विवाहमें किया जाय तो उस विधवाविवाहका मैं समर्थक हूं । मैंने विधवाविवाहका बिना किसी शर्तके बहुत बार उपदेश दिया है क्योंकि उसके विरोधीगण हर प्रकारके विधवाविवाहका विरोध करते हैं ।

म०—जैनमित्त किम सभाका मुखपत्र है ?

श०—बंबई प्रांतिक दि० जैन सभाका ।

म०—दो तीन साल पहिले लखनौमें जो महा-सभा हुई थी उसके विषयमें कुछ जानते हो ? और उसमें पास हुये प्रस्तावोंकी खबर है ?

बा०—नहीं, मैं उस अधिवेशनके विषयमें कुछ नहीं जानता और न स्पृश्यता अस्पृश्यताके विषय में पास हुये प्रस्तावकी हो कुछ जानता हूँ ।

म०—महासभाको कार्रवाई जैनपत्रोंमें छपती है न ?

बा०—हां । जैनमित्र आदि पत्रोंमें छपती है ।

म०—माघ सुदी १२ वीरसं २४४८को जो यह प्रस्ताव लखनौमें पास हुआ वह यह हो है न ? (यहा जैनमित्रका अंक दिखलाया)

बा०—हां । हो सक्ता है ।

म०—अपने पिताजीके मरने बाद तुमने कितने वर्ष तक मंदिरका श्रद्धा दिया ?

बा०—केवल एक वर्ष तक ।

म०—तुम कुम्बलगिरि गये हो ?

बा०—हां, अनेक बार गया हूँ ।

म०—कुम्बलगिरिके मन्दिर पर ध्वजा कौन चढाता है ?

बा०—यहांके पंच ।

म०—ग्राजकल कौन चटाता है ?

बा०—मुझे नहीं मालूम कि ग्राजकल कौन चटाता है ।

म०—ध्वजा चटाना सम्मान की बात है न ?

बा०—हां । कुछ लोगोंका ऐसा ख्याल है । मैं भी ऐसा ही समझता हूँ ।

म०—कुंथलगिरि क्षेत्र में कितने पंच हैं, कौन २ हैं ? और उन्हे कौन नियत करता है ?

बा०—उस क्षेत्रके मुख्यपञ्च कस्तूरचन्द पर'डा-कर हैं । परंतु सब पंच कितने हैं और कौन २ हैं उन्हे कौन नियत करता है यह मैं नहीं जानता ।

म०—तुमने ध्वजा चटाना क्यों छोड़ दिया है ?

बा०—इसलिये कि सब तो मन्दिर बनवा नहीं सकते अतः वे लोग इसे ही चाहते हैं ।

म०—क्या तुमने अपना हक पञ्चोंको दे दिया है ?

बा०—मन्दिर सम्बन्धी समस्त हक पञ्चोंके सुपुर्द कर दिया है परन्तु पञ्चोंके ऋणोंका उसमें उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि वहां वैसा पद्धति नहीं है ।

म०—तुमने पञ्चोंको मन्दिरका खर्च दिया है ?

बा०—हां ! जब उन्होंने एक या दो वर्ष तक

मन्दिरका खर्च मांगा था, मैंने उन्हें दिया है।

म०—तुमने पञ्चोंको क्यों हक दे दिया ?

बा०—पञ्चोंने मुझसे उसको मांगा और मैंने उन्हें दे दिया।

म०—शेठ भगवानदास शोभारामजी पूनाका जानते हीन ? और आजकल वे ही ध्वजा चढ़ाते हैं न ?

बा०—हां। मैं उन्हें पहचानता हूँ। परन्तु यह नहीं मालूम कि वे ध्वजा चढ़ाते हैं या नहीं।

म०—शेठ गङ्गाराम लालाचन्दजी वारामतो वासोंको जानते हो ?

बा०—मैं उन्हें नामसे तो नहीं जानता, शायद चेहरा देख कर पहचान सक्ता हूँ।

म०—शोलापुरवासो शेठ सखाराम देवचन्दजीको तथा मोतीचन्द कुन्थलगिरिको जानते हो ?

बा०—हां ! मैं दोनोंको जानता हूँ।

म०—तुम कुन्थलगिरि कबसे नहीं गये ?

बा०—कोई ६-७ सालसे।

म०—तुमने मन्दिर के चने बावत किसोसे कहा था ?

बा०—तहां, किसीसे नहीं कहा।

म०—धरेजा और करावाका अर्थ किसी कीष में बतला सक्ते हो ?

बा०—हां। रेख बं ट् सकी डिक्शनरोमें वड् दिया हुआ है। परन्तु उसमें धरेजाकी जगह धरोचा और करावाकी जगह कराव शब्द दिया है। परन्तु वे सब शब्द एकसे हो हैं।

म०—धरेजा करावा और पाट तोनों एक हो हैं न ?

बा०—मैंने अभी तक इस पर अपना कुछ विचार स्थिर नहीं किया है।

म० - नातेपूतेकी जैनसभामें गये थे ?

बा०—हां। मैं कोई प्राध घंटेक करीब दर्शकके रूपमें गया था।

म०—उस समय वहां (नातेपूतेमें) दि० जैन शास्त्रिपरिषद्का अधिवेशन हुआ था या नहीं ?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—तुमने विधवाविवाहके ऊपर कोई वहां व्याख्यान दिया था और उससे वहां भगडा हो गया था ?

बा०—मेरे व्याख्यानका मुख्य विषय विधवा विवाह न था।

परन्तु हां उस समय मैंने विधवाविवाहकी पुष्टि की थी।

वहाँ जो भगड़ा हुआ, वह इस कारण हुआ कि—जिस समय मैंने विधवाओंके पुनर्विवाह कर देनेको बात कही तो समर्थनमें जवान लड़कियोंके साथ बूढ़ोंके विवाहको निन्दा की। उसी समय मेरो बिना इच्छाके मेरा हाथ एक ऐसे आदमीकी तरफ चला गया जिसने बूढ़ापेमें अपना विवाह किया था। वह इस पर चिन्ता उठा कि—मैं उस पर आक्षेप कर रहा हूँ।

म०—उस समय वहाँ पुलिस आ गई थी न ?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—अखबारोंमें इसके लिये तुम्हें दीर्घो वक्त लाया है यह जानते हो न ?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—सन् १८२० के अप्रैल मासमें जो शोला पुर प्रान्तिक कांग्रेस हुई उसमें बिना टिकटके ही निम्न श्रेणीके लोगोंको घुसानेका प्रयत्न तुमने किया था न ?

बा०—नहीं।

म०—पैसेरीके इन (यहाँ कैसरीके वे अङ्ग पढ कर कोठारीके सुनाये गए, जिनमें बहुत ही कटु भाषामें उस पर शोलापुर कांग्रेसमें टिकट करानेका आक्षेप लगाया गया था) अङ्कमें जो कुछ लिखा है उसे तुमने पहिले पठा है न ?

बा०—हां। पढ़ा होगा। परन्तु इसमें जो यह लिखा है कि मैं खास तौरसे वहा (शोलापुरमें) भगडा करने और काग्रेस तोडने गया था यह शायद नहीं है।

म०—कामत (एक दल्लि गो नरम दलके आदमी का नाम है) ने तुम्हें वहा भेजा था न ?

बा०—नहीं, मैं तो वहां नरमदली ब्राह्मणितर लीडरो में शामिल हो कर गया था और भी बहुतसे लोग गये थे। ता० ६-४-२० के केशरीमें जो दूसरे कालम पर नरमदलके वहा उपस्थित लोगो पर आक्षेप किये गये हैं वह सब मिथ्या है।

म०—केशरीके संपादकके विरुद्ध तुमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की—तुम्हारे विषयमें उसने एसे आक्षेप क्हापे है ?

बा०—उन सब आक्षेपोके उत्तर ब्राह्मणितर नरमदली पत्रोंने दे दिये थे इसलिये मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।

म०—तुमने महासभाको सभासदो फीस दी है ?

बा०—हां। मैंने प्रतिनिधि फीस एक रूपया दिया था जिसके बदलेमें मुझे एक टिकट मिली थी।

म०—तुम महासभा अधिवेशनमें कब शामिल हुए थे ?

बा०—ता० २३—२४ दिसम्बरको तो पण्डानमें

और ता० २५ को बाढ़े (बडेघर) में महासभाकी बैठक हुई उसमें शामिल हुआ था ।

म०—ता० २५ को पण्डालमें सहासभा क्यों नहीं हुई ?

बा०—ता० २५ को उस जगह रत्नत्रय संवर्धक सभा हुई थी ।

म०—नेमिसागरजी वर्षाके हस्ताक्षरों से ता० २६-१२-२४ को जो सूचना प्रकाशित हुई थी वह तुमने पढ़ी है ?

बा०—हां ! मुझे करीब ४ दिन बाद बेलगाममें मालूम पड़ी थी ।

म०—तुमने महासभाकी सहायताका कुल रूपया खपन पास म गानेको सूचना निकाली थी न ?

बा०—हां ! जनवरी १८२५ के पहिले सप्ताहमें मैंने अखबारोंमें छपाया था कि—मैं महासभाका महामन्त्री चुना गया हूँ इसलिये रूपये मेरे पास भेजने चाहिये ।

म०—तुमने महासभामें कुछ चन्दा दिया है ?

बा०—नहीं ।

म०—तुम्हारे पास महासभाकी सहायताका कितना रूपया आया ।

बा०—बहुत थोड़ा, करीब २५ अथवा ३० रूपया सा भी जनवरीके प्रारम्भमें ही ।

म०—पुराने महामन्त्रोंके पास कितने रुपये हैं ?

बा०—मुझे नहीं मालूम ।

म०—अस्पृश्य बोर्डिङ्गके लिये चन्दा लेना कबसे प्रारम्भ किया है ?

बा०—सन १८२३ के प्रारम्भसे ।

म०—अस्पृश्योंके स्यर्ग करना और उनके साथ खाना पाना जैनशास्त्रोंके अनुसार अनुचित है न ?

बा०—नहीं, जैनशास्त्रोंके अनुसार अस्पृश्यों को छूना और उनके साथ खान पान करना विरुद्ध नहीं है ।

म०—विधवाविवाहके विषयमें जैनशास्त्रोंका क्या मत है ।

बा०—जैनशास्त्र विधवाविवाहके विरुद्ध नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं, वे इसकी पुष्टि ही करते हैं, निषेध नहीं ।

म०—जैनलोग अस्पृश्यता मानते हैं या नहीं ?

बा०—अधिकसंख्यक लोग उसे मानते हैं और वे अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेके विरुद्ध पक्षमें हैं ।

म०—जैन लोग विधवाविवाहके पक्षमें हैं या नहीं ?

बा०—हां ! दक्षिणमें अधिक लोग उसकी पक्षमें हैं ।

म०—अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेवालीको जैनलोग नीच समझेंगे न ?

बा०—हां । यद्यपि जैनशास्त्र अस्पृश्योंके साथ खानपान करनेके पक्ष विपक्षमें नहीं क्योंकि जैनधर्म अस्पृश्याताको मानता ही नहीं तो भी यदि मैं अस्पृश्योंके साथ खान पान करने लगूं तो जैन लोग नीची निगाहसे मुझे देखने लगेंगे ।

(फिर भी जिरह होगी)

बेलगाम	}	भार० एन० किनो
११-६-२५		फष्ट क्लास प्रा० मजिस्ट्रेट

कचहरीका समय पूर्ण हो जानेसे ता० ११-६-२५को फरियादीसे जिरह करना समाप्त न हुआ इस लिये ता० १२-६-२५को फिर जिरह प्रारंभ हुई ।

म०—तुम सन् १६१८में पंढरपुर गये थे और वहाँके सर्वगौड महार भंगीको जानते हो ?

बा०—हां । मैं उसे जानता हूँ ।

म०—शिवदास धोंडोके भंगीको जानते हो ?

बा०—नहीं, उसे नहीं जानता ।

म०—पंढरपुरमें व्याख्यान देते समय तुमने हिंदू

मन्दिरोंमें अस्पृश्योंको घुसने देनेकी बात कही थी न और उन्हें जवरदस्ती घुसानेका प्रयत्न भी किया था न ? जिसके कारण वहाँ भगडा हो गया था ।

बा०—मैंने अपने व्याख्यानमें हिंदुमन्दिरोंमें अस्पृश्योंको घुसने देनेकी बात तो कही थी परन्तु जवरदस्ती उन्हें घुसानेका कोई प्रयत्न नहीं किया और न वहाँ कोई दह्रा ही हुआ ।

म०—तुमने अपने प्रार्थनापत्रमें जो यह लिखा है कि मेरी माने मुझे पृथक् कर दिया है यह जैन-गजटमें आक्षेप किया गया है सो क्या यह ठीक लिखा है ?

बा०—नहीं, उसको जगह यह होना चाहिये कि—मेरी मां मुझसे अलहदो रहती है ।

म०—शीलव्रतका अर्थ क्या है ?

बा०—ब्रह्मचर्य ।

म०—किस शास्त्रके आधारसे ऐसा कहते हो ?

बा०—तत्त्वार्थसूत्रके आधारसे ।

म०—तत्त्वार्थसूत्रजोके रचयिताका नाम क्या है ?

बा०—मुझे याद नहीं ।

म०—शीलव्रतका अर्थ 'स्वभाव वा सामान्य चरित्र' नहीं होता ?

बा०—गान शब्दका अर्थ चलती भाषामें वह होता है परन्तु संयुक्त शब्द शोलब्रत जैनशास्त्रींन ब्रह्मचर्य अर्थ में ही प्रयुक्त होता है ।

म०—तत्त्वार्थ सूत्रको यहां लाये हो ?

बा०—नहीं ।

म०—हाथ साफ करना' वाक्यका अर्थ कजा वा अधिकार करना नहीं है ?

बा०—नहीं, उसका अर्थ सिर्फ कजा करना हो नहीं वल्कि बर्बाद करना है ।

म०—'सुतरा' शब्दका अर्थ क्या है ?

बा०—'यही सिर्फ नहीं किन्तु' यह है ।

म —पंढरपुरमें सर्वगौड और शिवदास भंगियों-
के साथ तुमने नहीं खाया ?

बा०—नहीं, कभी नहीं ।

म०—जैनधर्म वर्णाश्रम मानता है न ?

बा०—नही मेरी समझमें जैनधर्म वर्णाश्रम नहीं मानता ।

म०—तुममें और आरोंपियोंमें कुछ शत्रुता है ?

बा०—नहीं, मेरी उनके साथ कोई शत्रुता नहीं है, मैं उन्हें साक्षात् पहचानता तक नहीं । मैंने इन लोगोंको सिर्फ कचहरीमें ही देखा है ।

म०—तुमने नं० २-३ के आरोपियोंके विरुद्ध दोबानी दावा फरवरो माससे दायर कर रखा है न ?

बा०—हां ।

इस प्रकार गजटके मंचालकोंकी तरफसे जिरह हो जानेके बाद फरियादोंके वकीलने कुछ वयानोंको स्पष्ट करानेके अभिप्रायसे प्रश्नी द्वारा, नीचे लिखा वयान और कौठारोसे दिलवाया

फिर जिरह ।

सब साधारणका मत बनानेके लिये मैने प्रकाशित किया था, कि मे अछूतोंके साथ भोजन करनेको तैयार हूं ।

संपादकको किसी दलका प्रतिनिधि हो कर, उस दलका समर्थन करना पड़ता है, कभी कभो दलके मतके साथ उसका मतभेद होता है। उदाहरणके लिये २ नं० प्रतिवादो जैनगजटके संपादक हो कर यद्यपि जैनधर्मको पुस्तके छापनेको बुरा समझते हैं, तो भी उन्होने जैनधर्मकी पुस्तक छपाई है और वे छापनेके पक्षपाती हैं ।

पाटमें किसी प्रकारका धर्मविधान नहीं देखा जाता । परन्तु जिस विधवाविवाहका मैं समर्थन करता हूं, वह नियमित विवाह है ; गत ८१० वर्षोंमें मैंने अन्ततः ५०० ग्राम सभाएँ कौ थीं, दो-तीन

उदाहरणों के सिवा और कहीं भी दङ्गा-वङ्गामह नहीं हुआ।

केशरी गरम दल (Extremist Parti)-का है। भगडू के कारण महासभाके लिये मैंने चन्दा वसूल करनेकी कोशिश नहीं की। तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी मि० कावडा द्वारा मैं प्रथम दो दिनके लिए महासभाका मेंबर बनाया गया था ये शब्द मेरे द्वारा छूट (Omitted) गये हैं। विषयनिर्वाचना समितिका भगडा मिटानेके लिए महासभा द्वारा सर्व-समितिसे नियुक्त पांच विचारकोंमेंसे मैं भी एक था।

बेलगाम	}	(८०) आर० एन० कियो०
१२-६-२५		आ० मजिस्ट्रेट फष्ट क्लास०

सेठ ताराचन्द वल्द नवलचन्दजी जौहरीके बयान।

—:~:—

मैं प्रतिज्ञापूरवक कहता हूँ

मेरा नाम

ताराचन्द है।

पिताका नाम

नवलचन्द भवेरी।

धर्म और जाति	जैन ।
उम्र	२७ वर्ष ।
व्यवसाय	भक्वरी ।
निवासस्थान	बम्बई जिला

फरियादोका वकील—तुम्हारे कुटुम्बके कितना दान दिया है ?

ताराचन्दजी—कोई १०-१२ लाख रुपये ।

वकील—उस रुपयेका जो द्रष्ट है उसका सभा-पति कौन है ?

ता०—उसका मैं ही सभापति हूँ ।

व०—इसके कितना देते हो ?

ता०—कोई आठ हजार रुपये ।

व०—तुम महासभाके मेंबर और सभापति हो न ?

ता०—हां ।

व०—फरियादोको दक्षिणमें कैसे इज्जत है ?

ता०—उसकी अच्छी इज्जत है ।

व०—क्या फरियादी भा० जैनसमाजका महा-मन्त्री है ?

ता०—हां । वह दिसम्बरसे महासभाका महा-मन्त्री है ।

व०—शेडवाल महासभामें जैनगजट इन आरो-पियोंसे ले लेनेका प्रस्ताव पास हुआ था न ?

ता०—हां ।

व०—आरोपियोंसे जान पहचान है ?

ता०—मै' २-३-४ नं०के आरोपियोंको तो जानता हूं परन्तु नं० १ को साक्षात् नहीं जानता । ये तीनों क्रमशः सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक है ।

व०—शेडवाल महासभामें इनकी जगह दूसरे जो कार्यकर्ता चुने गये हैं उनको इन्होंने अपना चार्ज दिया ?

ता०—नहीं ।

व०—जै नगजट तुम पढ़ते हो ?

ता०—हां । मै' उसे सदा पढ़ता हूँ ।

व०—तुमने 'बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारी कौन है' इस लेखको पढा था ? और उसके प्रकाशित हो जानेसे कोठारीको लोगोंने क्या समझा ?

ता०—उक्त लेखको मै'ने पढा था । उसके कारण बहुतसे लोगोंने कोठारीकी खराब समझा अर्थात् लोगोंका दृष्टिमें वह नीचा हो गया ।

व०—क्या उसके विषयमें तुमसे किसीने कुछ पूछा था ?

ता०—हां । लोग मुझसे शिकायत करने लगे कि तुमने ऐसा आदमी महासभामहासभाका क्यों बना दिया ?

मै'ने उत्तर दिया कि उक्त खेखकी कुल बातें
 सत्य है ?

—:#!—

इसके बाद दूसरे दिन ता० ८.६.२५ को
 आरोग्यियोंके वकीलने जिरह करना प्रारंभ किया और
 उनका जो उत्तर मिला वह नीचे लिखा जाता है—

मजूमदार—तुम महासभाके मेंबर कबसे हो ?

ताराचन्दजी—बहुत वर्षोंसे ।

मजूमदार—महासभाके मेंबर कितने प्रकारके
 होते हैं ? और उनमें तुम किस प्रकारके हो ।

ता०—महासभाके मेंबर कितने तरहके होते हैं
 यह तो मैं नहीं जानता परन्तु हाँ ! मैं समझता हूँ,
 मैं 'साधारण मेंबर हूँ' ।

म०—तुमने सभासदी फीस क्या दी है ?

ता०—यह मुझे ज्ञात नहीं । प्रतिवर्ष बी०पी०से
 सभासदी फीस वसूल करने लिए मेरे पास गनट
 आता है ।

म०—जैनगजटका मूल्य क्या है ? और वह
 क्या बिना मूल्य भी भोजा जाता है ।

ता०—मुझे नहीं मालूम कि जैनगजटका मूल्य
 क्या है ? और न यह मालूम कि वह किसीको बिना
 मूल्य भोजा जाता है या नहीं ।

म०—महासभाकी नियमावली है न ?

ता०—हां ! है ।

म०—तुम महासभामें कितने वर्षोंसे जाते हो ?

ता०—गत दो वर्षोंसे तो लगातार जा रहा हूं और पहिले अपने काकाके साथ गया होऊंगा ।

म०—महासभाका उद्देश्य क्या है ?

ता०—पहिला उद्देश्य जैनसमाजकी उन्नति करना दूसरा जैनधर्मकी रक्षा करना तथा समाजमेंसे कुरीतियां उठाना है ।

म०—सभासद बननेके लिए महासभामें फार्म भरना होता है न ?

ता०—सुझे नहीं मालूम ।

म०—तुम महासभाके मेंबर हो न ?

ता०—नहीं, मेरा फार्म (दुकान) आज बहुत वर्षोंसे मेंबर है और सभासदी फीस गुमास्ते लोग दे दिया करते हैं ।

म०—दुकान महासभाको सभासद हो सकती है ?

ता०—सुझे मालूम नहीं ।

म०—सभासदाकी लिष्टमें किसका नाम है ?

ता०—मानिकचन्द पानाचन्दका । वे दोनों भाई थे । फार्म (दुकान) का नाम मानिकचन्द पानाचन्द है ।

मैं उसका मालिक हूँ। मेरा नाम सभासरोमें नहीं है।

म०—महासभाकी प्रबन्धकारिणीका सदस्य महासभाका सभासद ही हो सक्ता है यह मालूम है ?

ता०—मैं इस विषयमें नहीं जानता।

म०—तुम शेटवाल अधिवेशनके पहिले प्रबन्ध कारिणीके मेंबर थे ?

ता०—नहीं।

म०—तुम महासभाके सभापति कब चुने गये ?

ता०—शेटवालमें।

म०—ता० २३ की महासभाका सभापति कौन था ?

ता०—नेमिसागरजी वर्णी।

म०—वे शिक्षित और अनेक सभाओंके सभापतित्व कर चुकनेवाले पुरुष है न ?

ता०—यह मैं नहीं जानता।

म०—ता० २६ की नेमिसागरजीने भ्रगड्डेके कारण महासभाके बन्द होनेकी सूचना कृपाई थी उसकी मालूम है ?

ता०—नहीं, मुझे नहीं मालूम। परन्तु हाँ। वह पीछेसे अखबारोंमें कृपी देखी थी।

म०—मेनेजिङ्ग कमेटीके चुनावमें भगडा हुआ था न ?

ता०—नहीं ।

म०—फरियादीने दीवानी दावा इन आरोपियोंके ऊपर दायर कर रखा है न ?

ता०—हां । फरियादीने मजामन्वीकी हैसियतमें चार्ज न देनेके कारण इन पर दायर कर रखा है ।

म०—आरोपी लोगोंका जैनगजटमें क्या सम्बन्ध है ?

ता०—नं० २ सहायक सम्पादक, नं० ३ प्रकाशक और नं० ४ मुद्रक है । नं० १ के सम्पादक हैं ।

म०—नं० १-२ के आन्वैरी (अवैतनिक) कार्यकर्ता है न ?

ता०—हां, कहा तो ऐसा ही जाता है ।

म०—संपादक स्तीफा देनेके बाद क्या संपादक बने रहते हैं ?

ता०—मैं नहीं कह सकता ।

म०—महासभाको नियमावली है न ?

ता०—हां । है एक कापी उसकी मेरे पास भी है, उसमें दो या तीन साल पहले निश्चित किये गये नियम छपे हैं ।

म०—महासभाको यही नियमावली है न ?

(यहां महासभाकी रूपी नियमावली दिखलाई गई)

ता०—मेरे पास जो नियमावली है उससे मिलान कर यह बात कही जा सकती है कि यह वही है या नहीं।

म०—तुम उसे यहां लाये हो ?

ता०—नहीं, मैं उसे अपने साथ यहां नहीं लाया।

म०—तुमने जैनगजट ता० २१-६-२४के पृष्ठ १३ पर प० रघुनाथदासजीका कृपा स्तोत्रा पढा है न ?

ता०—हां।

म०—ता० २८-७-२४के गजटमें प० लाला रामजीने अपने ऊपर समस्त संपादकोका भार लिया है यह भी मालूम है न ?

ता०—हां।

म०—न० २ के आरोपीको जानते हो ?

ता०—हां। मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने जैन शास्त्रोंका अभ्यास किया है और वे पण्डितजी कहे जाते हैं।

म०—न० २के आरोपीकी क्या उपाधि है ?

ता०—उन्हें 'न्यायालङ्कार' कहते हैं परन्तु किसने उन्हें यह पदवी दी यह नहीं मालूम।

म०—न० ४के आरोपी कलकत्ता यूनिवर्सिटीके काव्यतौर हैं न ?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं ।

म०—नं० १को धर्मरत्नको उपाधि है न ?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं ।

म०—नं० २को बंबईके दि० जे नपरीचालयसे पदवी मिली है न ?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं ।

म०—'मोसलरिफोमर' (सुधारक) शब्दका अर्थ क्या है ?

ता०—मैं नहीं जानता ।

म०—जैनशास्त्रोंका स्वाध्याय किया है ?

ता०—बहुतसे जैनशास्त्र हैं, उनमें रत्नकरण्ड श्रावकाचार, आराधनामार, प्रवचनमार आदिका किया है ।

म०—जैनधर्मके अनुसार भंगो चमार आदि अस्पृश्योंको स्पर्श कर सकते हैं ?

ता०—नहीं ।

म०—तुम उन्हें स्पर्श कर सकते हो ?

ता०—यदि वे अपनी उन्नति कर लें तो उन्हें मैं छू सकता हूँ, रेल आदिमें तो उन्हें स्पर्श करता ही हूँ । सूरतमें वे साग तरकारी बेचते हैं उस समय मैंने उन्हें छूआ होगा ।

म०—तुम अस्पृश्योंके साथ खान पान करने तयार हो ?

ता०—नहीं ।

म० फरियादीको कितने दिनसे जानते हो ?

ता०—कोई ४-५ वर्षसे ।

म०—उसके साथ घनिष्टता है न ?

ता०—मेरो उसके साथ घनिष्टता नहीं है, हा ।

मैं उसे समाजमें प्रसिद्ध पुरुष समझता हूँ ।

म०—फरियादीकी भा कहा रहते है ?

ता०—सुझे ज्ञात नहीं ।

म०—अस्पृश्योंके स्पर्श करने तथा उनके साथ खान पान करनेके विषयमें फरियादीका क्या मत है ?

ता०—मेरो समझसे उभका मत है कि यदि अस्पृश्य मांस खाना छोड दे' तो उन्हे' कू लेना चाहिये । परन्तु उनके साथ खान पान कर लेने वाकन क्या मत है सो नहीं मालम ।

म०--'बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारी कौन ह' यह लेख कैसा है ?

ता०--यह असत्य है । उसमें न० १-२ ५ ७ ८ और १० न०के आक्षेप विलकुल असत्य हैं । वाको आक्षेपोंके विषयमें मैं नहीं जानता । न० ३का आक्षेप मेरो समझमें सत्य है ।

म०—फरियादीका घर देखा है ? और वहां कभो जीमा है ?

ता०—नहीं, मैं उसके घर कभी नहीं गया और न मैंने उसके यहां जीमा ।

म०—फरियादोंके साथ कभी जीमा है ?

ता० हां । मैंने अपने घर तथा बाहर अनेक जगह उसके साथ जीमा है ।

म०—गजट पत्रके शब्द और जब तुमसे लोगों-ने कोठारीके महामन्त्रित्वकी शिकायत की उस वाचमें कोठारीसे तुम्हारा मुलाकात हुई थी ?

ता०—नहीं ।

म०—फरियादो कहां रहता है ?

ता०—करीब चार वर्षसे पूनामें रहता है ।

म०—उसके यहां अस्पृश्य नौकर रहते हैं यह तुम्हें मालूम है ?

ता०—मेरे साथ जो उसकी बातचीत हुई उससे मैंने नहीं समझा कि वह अस्पृश्य नौकर रखता है और उसकी बात चीतसे यह भी ज्ञात हुआ कि वह धार्मिक मंथ्याको रक्षा करेगा ।

म०—‘फरियादों मन्दिर बेचना चाहता है’ इस बातकी क्या तुमने सच समझा ?

ता०—नहीं ।

म०—तुम कोठारीके साथ महामन्त्रिके सिवा अश्व भी कभी किसी सभामें गये थे ?

ता०—नहीं ।

म०—नातिपूतेमें जो दि० जैनप्रातिक सभा हुई,
उसमें तुम गये थे ?

ता०—नहीं ।

म०—कोठारी सभाओंमें जाकर भगडा करता
है न ?

ता०—नहीं, परन्तु जहां वह जाता है वहां
लोग भगडा करने लगते हैं ।

म०—शीलापुर काग्राम और नातिपूते सभाका
वृत्तान्त जानते हो ?

ता०—नहीं ।

म०—महासभामें कितना फण्ड है ?

ता०—कोई लाख सवा लाख रुपये ।

म०—१०-१२ लाख का दान किमने किया

ता०—मेरे पिता और काकाने ।

म०—तुमने कुछ महासभाके लिए सहायता
दो है ?

ता०—नहीं ।

म०—तुम्हारे पिता काकाको मरे कितने दिन हुए ?

ता०—कोई सात वर्ष ।

म०—जो अस्पृश्योंको छूने और उनके साथ
खान पान करने तयार है वह महासभाका मेंबर
हो सकता है ?

ता०—नहीं, वह महासभाका मेंबर नहीं हो
सुक्ता ।

म०—महासभाको ले कर जैनियोंमें दो पार्टी
है न ?

ता०—हां । हैं परन्तु कुछ लोग मध्यस्थ भी हैं ।

म०—तुम किस पार्टीमें हो ?

ता०—मैं मध्यस्थ हूँ ।

म०—शेडवाल अधिवेशनके बाद नये महामन्त्री
ने चन्दा अपने पास मंगानेकी और पुराने कार्यकर्ता-
ओंके पास न भेजनेकी सूचना निकाली थी ?

ता०—निकाली होगी ।

म०—तुमने उसे ऐसा करनेकी क्या कोई आज्ञा
दी थी ?

ता०—मैं नहीं जानता कि—मैंने उसे वैसा
करनेका कोई सत्ता दी थी या नहीं ।

म०—शेडवाल अधिवेशनके बादसे कितना रकम
महामन्त्रीके पास एकत्र हुई है ?

ता०—मुझे नहीं मालूम ।

म०—तुम्हें मालूम है कि—श्यावर (राजपू-
ताना) में पुराने महासभाके कार्यकर्ताओंने फरवरी
१८२५ में एक अधिवेशन किया था ?

ता०—हां । मालूम है । परन्तु उस अधिवेशनमें

चुने गये कार्यकर्ताओंको नहीं मानता ।

म०—बम्बई प्रान्तिक दि० जैनसभाके मुख पत्र जैनमित्र और जैनगजटमें परस्पर विचार भेद है न ?

ता०—हां ।

म०—प्रगति आणि जिनविजय किस सभाका पत्र है ?

ता०—दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभाका ।

म०—विधवाविवाह जैनोंमें होता है न ?

ता०—नहीं, उसको दक्षिणमें तो चाल है परन्तु उत्तरमें वह नहीं होता ।

म०—धरेजा किसे कहते हैं ?

ता०—बिना विवाहके स्त्री रख लेना धरेजा है ।

म०—और करावा किसे कहते हैं ?

ता०—जो धरेजाका अर्थ है, वह ही करावेका है ।

आरोपियोंके वकील जब इस प्रकार जिरह कर बैठ गये तो फरियादीके वकीलने एक बातको स्पष्ट करनेके लिये पूछा—

तुमने फरियादीके घर क्यों नहीं जोमा ?

ताराचन्द —क्योंकि मुझे फरियादीके गांव जाने का कभी मौका ही नहीं मिला ।

८-६-२५	}	(सही) आर, एन, किणी
बेलगांव		

फष्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

गवाही नं० ३ बालाका इजहार ।



मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि—

मेरा नाम—	बाला है ।
पिताका नाम	नाना चोगले ।
धर्म-जाति	जैन ।
वय	४१ वर्ष करीब ।
व्यवसाय	खेती ।
निवास	भिलवडी [सांगली]

मुख्य इजहार

मैं प्रतिवादी नं० ३ को जानता हूँ एवं नं० २, ४ को भी देखा है । मैंने इन्हें उस समय देखा था जब कि ये पूनासे रेलमें आ रहे थे । मितारा एंशन पर मैं रेलमें चढ़ा था बुधगाव तक मैं इनके साथ था । जब तक हम बुधगाव पहुँचे तब तक हम एक ही डिब्बे में थे । नं० ३ प्रतिवादीको मैंने शेटवालमें देखा था । आरोपी शोलापुरके पंडित वंशोधरजीके साथ थे । पंडित वंशोधरजीने कहा था कि कोठारीके विरुद्ध लेख छपानेमें गलती की गई है, किन्तु यह है मानना कोर्टमें न पहुँचना चाहिये था । उस समय

आरोपियोंने क्या कहा मुझे स्मरण नहीं । आरोपी नं० ३के द्वारा लिखित एक पत्र मैं पेश करता हूँ । यह पत्र मुझे सांगलीके बाहुबनिन दिया था और मुझसे उस लेखमें लिखा हुई बातोंके जिये कहा था । मैंने ३ नम्बर आरोपीकी पत्रों पर हस्ताक्षर करत हुए अपने समक्ष देखा है । इस पेश किये गये पत्र पर प्रतिवादो नं० ३ के हस्ताक्षर हैं ।

जिरह पीछे होगी ।

बेलगाम	}	(८) आर० एन० कीणो०
८-६ १८२५		फष्टक्लास आनरेरो मजिस्ट्रेट

जिरह—

मैं सांगलीमें व्यापार करता हूँ । मैं कुछ २ हिन्दी जानता हूँ । मुझे गत दस वर्षसे हिन्दी पढ़नेका काम पडता है । मैं दिगम्बर जैन हूँ । सन् १८२४ के मासमें जब कि शेटवाल का अधिवेशन हुआ था तबसे मैं प्रतिवादो नम्बर ३ को जानना हूँ ।

प्रतिवादो नं० २ और ४ भी अधिवेशनमें देखे थे किन्तु उनके साथ मैंने जान पहचान नहीं की । मैं सुरैना जिला ग्वानियरके जैनमिहान्तविद्यालयको जानता हूँ ।

बाहुबनि वहाँ पढने गया था । बाहुबनि मेरा मित्र

नहों है। 'महावीर प्रेम' नामक प्रेसका वह मालिक है। गत ७-८ वर्षोंसे पण्डित वंशीधरजीसे मेरा ज्ञान पहचान है। वे कभी २ सागलो शास्त्र पढ़नेके लिए आया करते हैं।

मैं जेनगजट कभी २ पढ़ता हूँ। वंशीधरजीसे मैंने रेलमें इस अभियोगके बारेमें जाना था।

जिसके पहले मुझे समझाया गया था कि यह अर्जो उचित है। गत फरवरी मासमें बहुतसे मनुष्य इसी विषयमें बात-चोत करते देखे थे। वंशीधरजीसे मैंने रेलमें बातचोत की थी वे बेलगाम कीठारोके दावाको पैरवोके लिए आ रहे थे। रेलमें फरियादीके बारेमें ज्यादा बहस नहीं हुई। यह मेलगाडो सतारा स्टेशन पर रातको एक या डेढ बजे पहुँचती है और बुधगाम ४॥ बजे सुबह पहुँचती है।

मैं शेटवान महासभामें गया था। इसके पहिले इस सभाके किमो और अधिवेशनमें नहीं गया। मैं गत १०-८ वर्षोंसे कीठारोको जानता हूँ। मैं अपना समाजके नेताओंको जानता हूँ और वे धावते आर० बी० लड्डे, रावजी सखाराम, पण्डित धन्नालाल आदि हैं। मैं उनको उतना ही जानता हूँ जितना कि कीठारीको जानता हूँ।

१८२४ के दिसम्बरके अन्तमें तथा १८२५ के
जनवरी मासके

आदिमें महासभाकी स्पेशल पीटिंग

शेडबालमें हुई थी ।

उस सभाका कौन सभापति था मुझे मालूम नहीं । मैं स्मरण नहीं कर सकता कि कोठारी या आरोपी नम्बर २ या ४ उस सभामें उपस्थित थे या नहीं । मि० कोठारीके मतके तथा कार्योके विषयमें मैं कुछ २ जानता हूँ । परंतुमैं कोठारीके विधवाविदाहके मतके विषयमें कुछ नहीं जानता हूँ, क्योकि वह इस प्रान्तमें चानू है । मि० कोठारीका यह मत है कि अस्पृश्य लोग आम स्थानों पर कुपे जा सकते हैं । किन्तु उनका यह भी मत है कि अस्पृश्योंको अपने साथ भोजन करानेकी कोई आवश्यकता नहीं । अस्पृश्योंके हाथसे जलग्रहण करनेके वे विरोधी हैं, मैंने यह विषय खास कोठारीसे जाना अतएव मैं जानता हूँ । विधवाविदाहको कोई पाट बोलते हैं कोई पुनर्विवाह । यह उत्तर प्रान्तमें चानू है या नहीं यह मैं नहीं जानता । महासभाका उद्देश्य जैनधर्मको शिक्षाका फैलाना वा प्रचार करना है । वह मनुष्य जो कि आम जगहों पर अस्पृश्योंको कूता है वह महासभाका मेंबर

मेम्बर अवश्य ही सत्ता है संपूर्ण मेबर इसी तरहके है । मैंने इस विषयमें नहीं विचारा है कि जो मनुष्य महार मांग आदिके साथ खाता है वह महासभाका मेम्बर हो सक्ता है या नहीं । खाने वा पीनेके लिये उनके साथ सम्मिलित होनेमें मैं प्रस्तुत नहीं हूँ । मैं जैनधर्मके विषयमें किसी प्रश्नका उत्तर नहीं दे सकता कारण मैंने जैनधर्मके ग्रन्थोंका अध्ययन नहीं किया है एवं मुझे ऐसे मनुष्यके साथ भोजन करनेका मौका नहीं मिला जिसने कि महार तथा मांग आदिकोके साथ खाया हो । मैं अपनी सम्मति किसी भी विषयमें नहीं दे सकता हूँ जो कि अम्पूत्रोंके साथ खानेको तैयार है । बेलगावके सर्वसम्मिलित भोजनके विषयमें मैं कुछ नहीं जानता ।

मैंने नं० ३ के आरंपीको शेटवालमें अपने से एक हाथकी दूरीपर मन्त्रीके आफिसमें बैठे हुए देखा था, उसने सेठ चैनसुख महामन्त्री थे । विषयनिर्वाचनकी वहस सुननेके लिये मैं गया था । एक मनुष्य उनके पास कुछ कागज लाया और मैंने उनको उसपर इस्तावत करते हुये देखा । तीन चार पत्र पर इस्तावत उन्होंने एक दिन किये

एवं एक दिन दो पर क्रिये । मैंने 'आपका मक्खन-लाल' यह हस्ताक्षर करते हुये उन्हें देखा था ।

बाहुवलीने यह पत्र फर्वां रोके अन्तमें दिया । मैंने उनका कभी कुछ काम करके नहीं दिया । हाँ । यदि वे चन्दाके लिये आते तो मैं दे देता । मेरे पास पत्र रखनेके लिये उसने मुझसे स्पष्ट नहीं कहा । कोर्टमें पत्र दाखिल किया जाय वा नहीं इस विषयमें मैंने उससे नहीं पूंछा क्योंकि पूंछनेकी मैंने कोई आवश्यकता नहीं समझी । उपर्युक्त महाशयोंका (प० धन्नालालजी कोठारी आदिका) भिन्न मत है । महासभाके विषयमें क्या मत किया है मैं नहीं जानता । मैंने उस पत्रको (दाखिला नं० ११) पाया और दूरसे पढवाया था चूकि मैं पूर्ण रीतिसे उसे नहीं पढ सकता था । यदि वह पत्र मुझे दे दिया जावे तो मैं उसे सान्धोमें उपस्थित करूंगा ऐसी प्रार्थना मैंने बाहुवलीसे नहीं की थी । मेरे अतिथि चन्दौरकरने यह पत्र पढकर मुझे सुनाया वे दमोहके थे । अतिथिका अर्थ ग्राहक है । मेरा उनके साथ पत्र व्यवहार है ।

मैं यह जानता था कि आक्षेप अमर्य हैं अतः मैं प्रमाण सग्रह कर सकनेकी प्रशङ्कता जान चुप रहा । जब मैं बाहुवलीसे रास्तेमें मिला तब मैंने

इसकी उसे सूचना दे दी। गत एक या दो मार्च की बम्बई में अपने आपही बातचीतके समय फरियादासे मैंने कहा था। फरियादोने मुझसे वह पत्र अपनेपास भेजने केलिये कहा या मेरे पास ही रहनेको कहा यह मुझे स्मरण नहीं। महासभाके शेटवाल अधिवेशनमें मैं उपस्थित था जिसमें कि वादो महामन्त्री चुना गया था। उस अधिवेशनमें करीब ५००—५०० जन उपस्थित थे। वे वादोके दोस्त थे अथवा शोर थे यह मुझे मालूम नहीं। नेमिसागर वर्षी महासभाके सभापति थे। अधिवेशन ता० २३-२४ को हुआ था। कांग्रेसके दिन शेटवालमें रत्नत्रयधर्मवर्धनो सभाका अधिवेशन हुआ था या नहीं जानता चूकि मैं उस दिन वहां नहीं गया था। यह निर्णीत नहीं हुआ था कि महासभा २६ ता० को होगी। २५ ता० को शामको पुलिस आगयी थी। २५ ता० को अधिवेशनकी मनाई के लिये मैंने कोई नोटिस नहीं सुना था। मैं २६ ता० को शेटवालमें नहीं था मैंने शेटवाल सबेरे १० बजे छोडा था।

शेटवाल अधिवेशनके उपगत मैंने महासभाके लिये कोई चन्दा नहीं दिया न कोई मेरे पास इसक लिये आया। मेरो सभ्यतिके अनुसार महामन्त्रीके चुनावके बारेमें कोई झगडा नहीं हुआ। मैंने

जैनमित्रमें एक पत्र छापनेके लिये लिखा था कि फरि-
यादी महासभामें महामन्त्री चुना गया है जबकि गवाह
ताराचन्द सभापति थे। जैनमित्र और जैन गजटका
आपसमें मतभेद है यह मैं नहीं जानता। ता० १५—
२-२५ के जैनमित्रमें 'जैनगजटका असत्यप्रलाप'
नामक लेख मेरा है जो मुझे इस समय दिखलाया
गया है।

पत्रके भेजनेके पहले मैंने जैनगजटमें कृपी हुई
महासभाके विषयमें युक्तियोंको पढ लिया था। उन
युक्तियोंके पढने पर मैंने मत संग्रह किया एवं वह पत्र
लिखा। पत्र (दाखिली नं० २५) हेडिंग सहित
उसमें लिखा हुआ मेरा है। फिर मैं कहना हूँ कि
हेडिंग पत्रके सम्पादकका ही सकता है। मैंने
वह पत्र मराठीमें लिखा था और सम्पादकको हिन्दीमें
अनुवाद करनेकी सम्मति दी थी। आरोपी नं० ३
गजटका प्रकाशक है या उसके साथ कुछ न कुछ
सम्बन्ध है यह मैं जानता था। मैंने पत्र (दाखिली
न० ११) को जैनमित्र पत्रमें छपाना ठीक नहीं
समझा।

पुनः जिरह—कुछ नही।

वेलगांव

ता० १०-६-१८२५

(दः) आर० एन० किनो

आ० मजिस्ट्रेट एफ० सी०

गवाही नं० ४ यश्वन्तका इजहार ।

—*—

मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि—

मेरा नाम—	यश्वन्त ।
पिताका नाम—	संगप्पा अंकले ।
धर्म और जाति—	जैन ।
पेशा—	वकालत ।
उम्र—	करीब ३५ ।
निवासस्थान—	बेलगाव (जिला बेलगांव)

वयान—

मैं यहा (बेलगाम) जैन बोर्डिंग कमेटोका संभापति हूँ । महावीर प्रेससे मैं एक प्रति 'जैन-गजट'की पाता हूँ ; जहां कि जैन पुस्तकालय है । करीब ३० या ४० जैन महाशय वहा पढ़नेके लिये आया करते है । नाथा गलीमें यह प्रेस है । यह जैनगजट (दाखिली नं० २) पुस्तकालयमें पाया था एवं पढ़ा था ।

जिरह पीछे होगी ।

बेलगाम	}	(सहो) आर० एन० क्लिषी
८-६-१८२५		आ० मजिस्ट्रेट एफ० सी०

जिरह -

करीब १५ वर्ष पहले जैन बोर्डिङ्ग यहाँ पर स्थापित हुआ था, उसमें करीब ४०-४५ विद्यार्थी हैं। करीब दो वर्ष से यहाँ पर जैनियोंके लिये पुस्तकालय स्थापित किया गया है। यह जैन पुस्तकालय नामसे प्री पुस्तकालय है। पुस्तकालयके नाम पर कोई अखबार नहीं आता है। कानडो जैनविजयके सम्पादक० सम्पादक प्रगति आणि जिनविजय, प्रबन्धक जैनबोर्डिङ्ग, आर वी लड्डे, मि० चोगले एवं अन्य अन्य अपने-अपने नामके अखबारोंको महावीर प्रेसमें भेज देते हैं।

आठ मास हुए तबसे जैनगजट 'जैनबोर्डिङ्ग' (माणिकवाग—बेलगाँव) के नाम सुफ्त प्राप्त होता है। हमको आगेकी तारीखके एवं २२ १ २५ तारीखके अङ्क प्राप्त हुये हैं। यहाँ नियमित फाइल है। २ अङ्कको छोड़कर पत्रके सब अङ्क पाये जासकते हैं। मैं महामन्त्रीका सभासद नहीं हूँ। ता० २३-२४ को शेडवालमें जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं मौजूद था मीटिंग होनेके बाद मैं उस जगह नहीं था। मैं महामन्त्री निर्वाचनके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानता।

मैं एक दि० जैन हूँ। वर्तमान रीतिके अनुसार जैनगण पब्लिक स्थानोंमें भंगी चमारोंको स्पर्श कर सकते हैं। इस भावसे स्पर्श करना अच्छा है या नहीं

इसको मैं नहीं कह सकता। पब्लिक स्थानों में बिना जाने बूझि अस्पृश्य मनुष्यको स्पर्श कर सकता हूँ। भंगी और चमार हमारे घरमें भीतर कभी नहीं आये यदि वे हमारे घर आवें तब हमको उनका स्पर्श करना उचित है या नहीं। इस सम्बन्धमें मैंने अभी कोई मत निश्चित नहीं किया। यदि मैं उनको स्पर्श करूँ तो स्नान करूँगा। जैन लोग किसी अस्पृश्यके साथ भोजन नहीं कर सकते। यदि कोई अस्पृश्य मनुष्य कूआ स्पर्श कर देवे तो जैनी लोग उस कूपसे जल ग्रहण करेगे या नहीं। इस सम्बन्धमें मैं अपना मत नहीं दे सकता। किसी अस्पृश्यको मैं अपने कूपसे जल नहीं लेने दूँगा। महार (भंगी)के कूपसे लाया हुआ जल मैं पीऊँगा या नहीं। यह मैं बोल नहीं सकता। दक्षिणनिवासी जैनियोंके यहां विधवाविवाह होता है। उत्तर प्रान्तके दिगम्बर जैनियोंके यहां विधवा विवाह नहीं होता। विधवाविवाह रूढ़ि वश चालू है। विधवाविवाहके निवारणकेलिये चेष्टा हो रही है।

पुनः वयान—

मैं बोलगावसे प्रतिनिधि हुआ था।

बोलगांव

१०-६-२५

७

पढ़ा और अभ्रांत समझा

(दः) प्रार० एन० किनी

प्रा० मजिस्ट्रेट फर्ट क्लास

मैं अदालतकी दुहाई (साक्षा) देकर बतलाना
हूँ, कि मैं दो वर्ष से जैनविजयका सम्पादक हूँ ।
मैं जामखाना जैनबोर्डिंगका चेअरमैन हूँ ।
अदालतके हुक्मके अनुसार मैं जैनगजटकी फाइल
लाया हूँ ।

पठा एव अभ्यांत समझा
वेलगांव } (८) आर० एन० किनी०
१०-६-२५ } आ० मजिस्ट्रेट एफ० सी०

नं० ५ साक्षी वसवन्तप्पाका इजहार ।

मैं प्रतिष्ठा पूर्वक कहना हूँ कि—

मेरा नाम—	वसवन्तप्पा है ।
पिताका नाम—	भरमप्पा पुजारी ।
धर्म और ज्ञानि—	जैन ।
उम्र—	३६ वर्षके करीब ।
पेशा—	खेती, व्यापार ।
निवास—	कुड़ची (जिला वेलगांव)

बयान ।

रविवार पेठ वेलगावमें मेरी एक दुकान है ।
मैं अपनी दुकानमें गत जनवरी मासके शुरुआतसे
हिंदी जैनगजटके अङ्क पाता हूँ ।

जिरह—

मैं कुछ २ मराठी ज नना हूँ एवं उसका कुछ २ लिखना भी जानता हूँ । कुडचीमे मेरा खेती बारी का काम है । वेलगांवमे मेरी लोहेकी दुकान है । मैं किसी भी मराठी पत्रका ग्राहक नहीं हूँ ! जैनगजट नामका एक समाचारपत्र है यह बात मुझे कब मालूम हुई यह मैं नहीं कह सकता । कुडचीमें एक मनुष्य आया था वह गजट का ग्राहक होनेके लिये उपदेश देता था । वह जैनधर्मके विषयमें भी कुछ कहता था । उसने वहाँ ५—६ ग्राहक बनाये थे । गत जनवरीकी किस तारीखसे मैंने गजट पाना आरम्भ किया यह मैं नहीं जानता । अच्छी तरहसे पत्रको मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ । मैं सिर्फ हिंदीके अक्षर पढ़ सकता हूँ ।

वेलगांव	}	(द.) आर० एम० किनी
८—६—२५		आ० मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास



नं० ६ साक्षी आनप्पाका इजहार ।

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि—

मेरा नाम - आनप्पा है ।

पिताका नाम— वालप्पा पाटील ।

जाति और धर्म— जैन ।

आयु— ३२ वर्ष करीब ।

पेशा— खेती ।

निवास— बेलगांव जिला बेलगांव ।

बयान ।

महासभाके शेडवाल अधिवेशनसे मैं जैनगजट पाता हूँ । मैं इसे पढ़ता हूँ । मैंने २२ १-२५ का जैनगजट पढ़ा है एवं 'वालचन्द रामचंद कोठारी कौन है' यह लेख भी पढ़ा है । मेरी दुकान रवि वार पेठमें है । मेरे पास वहीं पत्र आता है ।

जिरह—

मैं थोड़ी मराठी जानता हूँ । मैंने कनडो ६ वीं क्लास तक पढ़ी थी । मैं कुडचीका पाटील हूँ । चौगुलेके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । गन १२ १३ वर्षसे मैं बेलगांवमें रहता हूँ ।

प्रायः दो तीन वर्ष पहले मैं एक पत्रका ग्राहक हुआ था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, वह मेरे पास १०-१२ वर्षतक आता रहा । सुविधानुसार

मैं इसे पढ़ता था। यह जैनविजय नामका कनड़ी भाषाका समाचार पत्र था।

जैनगजटका कौन मालिक है उसे मैं नहीं जानता। यह मराठी हिंदीमें प्रकाशित होता है। जिस समय मैंने इस कागजको पाया था उसी समय मैंने इसे जाना था। गत दिसम्बर मासके अंकमें कांग्रेस बैठकके पूर्वमें एक कीर्तनकारने इस पत्रको लेनेके लिये उपदेश दिया था और मैं ग्राहक हुआ था। मुझे मालूम पड़ता है कि १०-१-२५ से यह पत्र मैंने लेना आरंभ किया है। दो तीन अङ्क मेरे घर पर हो सकते हैं। अथवा छिष्ट अङ्क पढ़नेके लिये दूसरे लोग लेगये हैं। एक वर्षके लिये ५) ६० चंदा मैंने दिया था। मेरे भाईने ६० भेजे थे इसके लिये मैंने कोई रसीद पायी थी या नहीं मैं नहीं कह सकता। जैनगजटको कुछ २ में समझता था और दूसरोंसे पढ़वाता हूँ। इससमय जो मुझे जैनगजट पढ़ने दिया गया है उसके अभिप्रायको मैं कुछ २ समझ सकता हूँ।

बालचन्द रामचन्द कोठारीके विरुद्ध लिखा गया है ऐसा सुन कर मैंने दूसरेसे पढ़वा कर वह लेख सुना था। कोठारीके विषयमें मैं कुछ २ जानता हूँ। जब यहाँ (बेलगाम) के मासति मंदिर-

मैं सभा हुई थी तब ये वहां आये थे, तभीसे मैं इनको जानता हूँ। उनको मैंने रास्तेमें देखा था। मैंने सुना था कि मि० कोठारीने जैनधर्मके विरुद्ध लिखा है इसीलिये मैंने वह लेख दूसरेसे पढवा कर सुना था। मैंने और भी सुना था कि मि० कोठारी जैनधर्मके विरुद्ध कार्य करते हैं इसलिये मैंने दूसरेसे पढवा कर सुना था। जैनधर्मके विषयमें वादीका क्या मत है मैं नहीं जानता। मैं दिगम्बर जैन हूँ।

मैं शोडवाल अधिवेशनमें नहीं गया था। मैं किसी भी जैनसभामें गया था या नहीं सो मैं नहीं कह सकता। यह लेख पढकर मैंने कोई आलोचना नहीं की। हमारे धर्मानुसार हम अस्पृश्योंके साथ भोजन नहीं कर सकते, न हमारे कूरसे अस्पृश्य लोग पानी भर सकते हैं।

२३-४ नं० अथवा उनके अनुगमनकारी प्रति-वादीगणकी क्या और कितनी इज्जत है मैं नहीं जानता। कल (गत) मि० लट्टेसे मि० कोठारीके अभियोगके संबन्धमें मैंने जाना है। कल (गत) मैं साली देने आया था। जैनगजटमें मि० कोठारीके विरुद्ध जो लेख लिखा गया है उसे मैंने पढा था या नहीं यह मि० आर० बी० लट्टेने मुझसे पूछा था।

बेलगांव } (दः) आर० एन० किनी.
६-६ १६२५ } फर्षे क्लास आ० मजिस्ट्रेट

नं० ७ साक्षी चतुरवाईका इजहार ।

फरियादीने अपनी मातुश्रीका नाम गवाहोंमें लिखाया था और कमीशनसे गवाही लेनेकी प्रार्थना की थी इसलिये कोर्टने उसकी प्रार्थना मजूर कर आरोपियोंसे कमीशन द्वार साक्षी लेनेका स्थान पूछा । उत्तरमें आरोपियोंने बेलगामकी शेरगलीका दि० जैन मंदिर पसंद किया और तदनुसार ता० ११-६-२५ को खुदह ही कोर्ट श्रीमदिरजीमे ही लगी और श्री जिनेन्द्र भगवानके समक्ष फरियादीकी माताने अपने बयान देने प्रारंभ किये ।

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि—

मेरा नाम— चतुरवाई है ।

मेरे पतिकका नाम— रामचन्द अवाचन्द कोठारा ।

मेरा धर्म और जाति—जैन ।

मेरी अवस्था— करीब ६० वर्ष ।

मेरा निवास— वावी तालुका माढा ।

बयान ।

मेरा स्थायी भावसे निवास माढा है कमी २ मैं पूनेमें रहती हूँ । फरियादी मेरा लडका है । हीराचन्द मेरा छोटा लडका है । वह वावीमें रहता है, और फरियादी पूनेमें रहता है क्योंकि मेरी छोटी

बहुसे नहीं पटती अन' मैं अलग रोटी बनाती हूँ श्रीमन्मृतुमें चार मासके लिये कोठारीके साथ पूनेमें रहती हूँ । फरियादो बाबीमे आता है और हीराचन्दके यहां ठहरता है, उस समय फरियादीकी स्त्री शुद्ध कपड़ोंसे रोटी बनाती है और हम सब एकसाथ भोजन करते हैं । मेरा बालचन्दके साथ रहनेमें कुछ भी प्रतिबन्धक कारण नहीं है । मैं उसके साथ भोजन करती हूँ । उसने किसी अस्पृश्य नौकरको अपनी नोकरीमें नहीं रक्खा है । यदि वह किसी महार मांगके साथ कभी खाना हो तो मैं नहीं जानती । पीसनेके लिये या और कामके लिये कोठारीके द्वारा कोई महार या मांगकी स्त्री घरमें नहीं लाई गई । मेरे पतिने कुंथलगिरि पर एक मंदिर बनवाया है । गत दस वर्षोंसे पत्र उसकी देख रेख करते हैं । फरियादोने कभी उसे बेचनेके लिये बानचीन नहीं की । मंदिर बेचनेके सम्बन्धमें मेरा उसके साथ कोई झगडा नहीं हुआ ।

आरोपियोंके वकीलकी जिरह ।

मेरे पति १० वर्ष पूर्व मर गये हैं । कोठारी जब बाबी आता है तब वह चार माससे एक साल तक वहां ठहरता है । हीराचन्दकी अवस्था २५ वर्षकी है । आठ वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था ।

गत आठ वर्षों से हीरानन्दकी स्त्रीका मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है ।

बाधीमे घर दो तला है । मैं सिडियोंके पासके कमरेमें रहा करती हूँ । इस कमरेके बाहर मैं भोजन बनाती हूँ । मेरे भोजनालयके सामने हीरानन्दकी स्त्री रसोई बनाती है । पूजाके लिये तीन प्रतिमा थीं एक प्रतिमाजी नीचे जीनेमें रक्खी गयी थी । सीडियोंके ऊपरके स्थानमे एक प्रतिमाजी थीं । जब मेरे पति ऊपर न जा सकते थे तब वह नीचे लायो गयीं । मेरे पुत्रोंने नीचेकी प्रतिमाजीको नही हटाया करीब दो वर्ष पहले मेरे पुत्रने महार मांग आदिके फायदेके लिये एक बोर्डिंग खोला है । यह बागमे है । मैंने इसे दूरसे देखा है । मैं उसके अंदर नहीं गई क्योंकि मेरा कोई काम न था और मैं अपवित्र हो जाती । इस बोर्डिंगके लडके घरमें काम करनेको नहीं आते । वे बाहरसे ही अन्न आदि मांगते हैं । खेतमें वे काम करते हैं या नहीं यह मैं नहीं जानती । माली, मरहठा जिनको मैं नहीं जानती वे घर पर आते हैं ।

कोठारी उन लडकोंको पढानेकी ये या उपदेश देनेको जाना है या नही मैं नहीं जानती । महार स्त्री भोजन बनानेके लिये वहां पर है कि नहीं मैं नहीं

जानती। यह कहा जाता है कि वहाँ पर एक स्त्री है। वह महार है या मरहटा यह मैं नहीं जानती। सामान घरसे दिया जाता है कमी २ खरीदा भी जाता है। हीराचन्द बागकी और खेतकी देख रखा करता है। स्थायीभावसे वह वात्रीमें रहता है। वह बोर्डिंगमें जाता है या नहीं मैं नहीं जानती। बोर्डिंगका खोलना मुझे अच्छा लगना है या नहीं मैं नहीं कह सकती। यदि मैं बोर्डिंगके अन्दर जाऊंगी तो खान करूंगी। बोर्डिंग जा कर मेरे पुत्र खान करते हैं या नहीं मैं नहीं जानती। बोर्डिंगमें जाते हुये मैंने उन्हें नहीं देखा। माहर मांगके छूनेके उपरांत जब तक वह खान न करे तब तक मैं फरियादीके साथ भोजन न करूंगी। यदि वह माहर मांगके साथ भोजन करे तो मैं क्या करूंगी यह मैं नहीं कह सकती। वर्तमानमें वह उनके साथ भोजन नहीं करता है। उनकी गणजति महार और मांगके साथ मेल जोल या भोजन करनेकी है या नहीं यह मैं नहीं जानती। प्रत्येक प्रोपमस्तुमें मैं पूने जाती हूँ। पहले कोठारी नदीके तट पर कोकरके वाटेमें रहता था अब वह पुलिस लाइनके सामने रहता है। हीराचन्दकी स्त्री सातवर्षसे रजस्वला होती है। वह षविलताका ख्याल नहीं करती, अच्छी तरहसे नहीं बोलती। प्रत्येक

मगसिर मासमें कुंथलगिरी पर एक उत्सव हुआ करता है। जब मेरे पति जीवित थे, मैं प्रत्येक तीसरे वर्ष उसमें जाया करती थी। कुंथलगिरि मंदिरके लिये कोई जमीन नहीं लगी हुई है। मंदिरका खर्च मेरे पति करते थे, जिसे आजकल पंच करते हैं। नेमिनाथ वहाँ पुजारी हैं। मोतीचन्द सब मंदिरोंकी देखरेख करते हैं। मैं नहीं जानती कि मोतीचन्द हमारे मंदिरको देख रेख करते हैं या नहीं। वह मेरी पति की जीवित अवस्थामें करते थे। अब कौन २ पंच है यह मैं नहीं जानती। अपनी सुविधानुसार हम कुंथलगिरी जाते हैं। हम वहाँ ५-६ दफे गये हैं। हम वहाँ दो चार दिन ठहरते हैं। हम मंदिरके बरामदा-में ठहरते हैं। पुजारी नेमिनाथ हमको सहायता देता है। हम वहाँ करीब चार मास हुये तब गये थे उस समय वहाँ मोतीचन्द नहीं थे। पूव समयमें वे देख रेख करते थे। पतिके सामने वे अपनी ध्वजा नोकरके हाथ यात्राके समय भेजते थे। ध्वजा उसके कुटुम्बद्वारा चढ़ाई जाती है जिसने मंदिरको बनवाया है। इस ध्वजाका लर्च मेरे पति करते थे, वह खर्च आजकल पञ्चोंके द्वारा किया जाता है। ध्वजा चढ़ाना एक आदरणीय कार्य है। आजकल भगवानदास शांभाराम ध्वजा चढ़ाते हैं। किस दिनसे यह क।

कर रहे हैं मैं नहीं जानती । इस सम्बन्धमें भगवान दास शोभाराम खर्च देते हैं या नहीं, मैं नहीं जानती । मैंने कभी पञ्चोंसे या नैमिनाथसे अपने पुत्रके चरित्रके बारेमें नहीं कहा । मेरे पुत्रोंने पञ्चोंसे कभी मंदिर ध्वंस कर खर्च उठानेको नहीं कहा । इस सम्बन्धमें अपने पुत्रोंको सलाह देनेका कोई कारण मेरे पास न था ।

मैं यहाँ पूनासे आई हूँ मैं वहाँ चार या पाँच सप्ताहोंमें थी इसके पहले मैं बावीमें थी । इस जगह से मैं विवाहके लिये बाहर पंढरपुर गई थी । जब मैं पिछले पाँच समाह बावीमें थी फरियादो पूनेमें था । जब मैं मोहाल [गाँव] गई थी कोठारी चाकी आया था । कभी १०-१२ दिन पहले उमने मुझसे कहा था कि मुझे गवाही देने जाना होगा । और मैं अलग अपना भोजन क्यों बनाती हूँ इसकी गवाही दनी होगी । कोठारी मुझसे कहा था कि उसके (कोठारीके) ऊपर दूसरोंने फरियाद की है इसलिये गवाही देनी होगी उमने यह नहीं कहा कि यदि मैं गवाही न दूँ तो उसके ऊपर कुछ विपत्ति आवेगी । मोहाल्लिब (गाँव) में मेरे पतिका चचेरा भाई रहता है । वह हमारे घर आता है और हम उसके घर जाते हैं उसका नाम हीराचन्द है ।

[५५]

किर जिरह—क्या फरियाद की है यह कोठारीने
सुझते नदों कक्ष

बेलगांव	}	(दः) आर० एन० किनी
११ ६-१६२५		फहरे क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

नं० ८ साक्षी (गनपत) का इजहार ।

कोठारीने जो प्रार्थनापत्र पेश किया था उसमें
लिखे गये गवाह यद्यपि पूर्ण होगये तो भी यह
गवाह लाकर खड़ा किया गया और उसकी जवानी
इस तरह ली गई—

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक बोलता हूँ कि—

मेरा नाम— गनपत है ।

पिताका नाम— घोड़ीवा साठे ।

धर्म— हिंदू ।

जाति— मरहटा ।

वय— ३० वर्ष ।

व्यवसाय— खेती ।

वास— माढ़ा (शोलापुर)

जिरह—

मैं तालुका लोकल बोर्ड का समापति हूँ । मैं
महसुी रुपया कर देता हूँ । बालीस रुपया करमें

फसल उत्तम करनेके लिये जमीन मुझको दी गई थी । मैं फरियादी और शोलापुरके पं० बंशीधरजीको जानता हूँ । बम्बईके सूरचंद शिवराम गांधीको मुझ देखनेसे मैं पहचान सकता हूँ । आकलूजके भाईचन्द जीवनचन्द गांधीको मैं जानता हूँ । १९२५ सालकी २७ या २८ मईको सूरचन्दकी मेरी मुलाकात हुई थी । मि० कोठारी महारोंके साथ भोजन करते हैं एवं उनको घरमें चाकर नियुक्त करते हैं और अपने पिताका बनाया हुआ मंदिर विक्री करना चाहते हैं इन सब बातोंको प्रमाणित करनेके लिये साक्षी संप्रह करनेको उन्होंने मुझसे कहा था । मैंने कहा था कि ये तीनों बातें मिथ्या हैं । मैंने बंशीधरजीको और भाईचंद जीवनरामको ३६-२५ को शोलापुर कपड़ेके बाजारमें देखा था । उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि कोठारीनं हमारे पड़ितोंके विरुद्ध जो मामला दायर किया है, उस विषयमें कुछ सहायता दो । और साथही यह भी कहा कि कोठारी महारोंके साथ खोता है, अस्पृश्योंको अपने घर नौकर रखा है, इस बातके कुछ गवाह संप्रह कर दो । उत्तरमें मैंने कहा कि इन मिथ्या बातोंके लिये मैं कुछ नहीं कर सका । इसके बाद मुझे उन्होंने कुछ रकम भी देनेके लिये कहा परन्तु मैंने उसे लेना

अस्वीकार कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि इस समय पंडितों पर आपत्ति नहीं है किन्तु धर्म पर है। फिर मैंने उनका अमित्राय जाननेके लिये कहा कि तब एक पत्र लिख दीजिये। यह सुन भाईचन्दने मुझे एक पत्र लिख कर दे दिया। मैं उस पत्र पेश करता हू। (गवाहने रूल पे सिलसे लिखा हुआ एक कागजका टुकड़ा दाखिल किया) यह पत्र मेरे समक्ष भाईचन्दने लिखा था। मैंने यह बात फरियादीके भाई हीराचंदसे कही थी और जब कोठारीका मुझे यहां आनेके लिये नार मिला तो मैं फौरन चला आया।

ता० १२-६ २५ } (दः) नार० एन० किनी
बेलगाम } फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

—०—

दूसरे दिन मजूमदार वकीलके जिरह करने पर गवाहने उत्तर दिया—

मैंने बर्नाब्युलर सप्तम श्रेणी पोस की है। गत दस वर्षोंसे मैं कोठारीको जानता हूँ। मैं स्थायीभाव से माहामें रहता हूँ। मि० कोठारी स्थायीभावसे पूनेमें, कभी कभी वावीमें रहते हैं। वह मेरा मित्र नहीं है कभी २ मैं उसके पास जाता हूँ। इस सालमें मैं उसके पास २० २५ बार जा सका हूँगा। मेरा

वाबीमें रिश्ता है। मेरी बहनकी दो लड़कियाँ वहाँ ब्याही गईं हैं एवं मेरे भाईकी ससुराल है। जब मैं वाबी जाना हूँ तब मैं कोठारीके घर पर जाना हूँ। ब्राह्मणोंके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलनमें मैंने योगदान दिया था। कोठारीने अब्राह्मणदलमें चार पाँच वर्ष पूर्व योगदान दिया था। मैं उस दलमें नहीं था। मैं उस समय नौकरी करता था। सन् १९२०में मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैंने नौकरी छोड़ी तब मैं अक्सिस्टेण्ट कलेक्टरके दफ्तरमें कारकून था। इन दो वर्षोंमें मैंने अब्राह्मणदलमें योगदान दिया। फरियादी नेता होनेसे उस आंदोलनके प्रति सहानुभूति रखते हैं।

मैं जैन महासभाके विषयमें कुछ नहीं जानता। मेरो और कोठारीकी घनिष्ठ मित्रता है ऐसी लोगोंकी समझ नहीं है। मुझे जहाँ तक स्मरण होता है मैंने अदालतमें एक बार साक्षी दी है। दोवानी किम्बा फौजदारी मुकद्दामोंमें मैंने कभी योगदान नहीं दिया। मैं मिथ्या साक्षी तयार करने या मिथ्या बात बोलने में हुनियार हूँ ऐसी लोगोंमें प्रसिद्धि नहीं है। पंडित बंशोधरजीसे मेरा सामान्य परिचय है, गत चार पाँच वर्षोंसे मैंने उनको देखा है। वे शालापुरमें रहते हैं, वे क्या करते हैं यह मैं नहीं जानता। मैं बालचंद्र

निम्बगी करके पास गया था उस समय वह वहाँ आये थे । सन् १९१६में मैं उनके साथ और अन्यान्य लोगोंके साथ भ्रमणके लिये गया था तबसे उनके (बंशाधरजीके) पास जानेका और कोई सुयोग प्राप्त नहीं हुआ ।

सूरचन्द्र गांधी बम्बईमें व्यापार करते हैं । माढेमें गौतम शिवराम नामके उनके भाई हैं । वह अपने भाईसे मुलाकात करने वहाँ आते हैं, उन समय मैंने उनको देखा है । रास्ता पर गौतमचन्द्रकी दुकान है । कभी कभी पान खानेके लिये वहाँ मैं जाता हूँ । वहाँ सूरचन्द्रके साथ मिलाप होजाता है । गौतमचन्द्र मेरा मित्र नहीं हैं किन्तु उनके साथ परिचय है ।

माढेसे ३०-३२ मील दूर आकलूज [एक गांव] में भाईचन्द्र रहते हैं । वे प्रायः अपने सम्बन्धी शिवराम करतूरके पास माढे आते हैं, चार पांच वर्ष हुए भाईचन्द्रको शिवरामके घर देखा था । ३-६-२५के प्रायः ६ सप्ताह पहले मैंने भाईचन्द्रको देखा था ।

मैं पन्द्रह दिन पहले भोजनके लिये कांठारीके घर गया था । उस समय हीराचन्द्रने मेरे भगनीके जमाईका निमन्त्रण किया था । फरियादी उस समय वहापर नहीं था । इसके पहले १९१७-१८ सालमें जिस समय मैं चाकरी करता था एव मि० कोठारी वहाँ

घर थे उस समय मैं भोजन करनेके लिये उसके घर गया था । १९२५ सालकी २७-२८ मईको माट्टे में सूरचन्दसे मैंने इस फरियादकी खबर जानी थी । सूरचन्दने पण्डितजीके सम्बन्धमें अच्छी तरहसे कुछ नहीं कहा । उन्होंने केवल मात्र कहा था कि वे उत्तरके मनुष्य हैं । एवं कोठारीने मानहानिके लिये उनके विरुद्ध अर्जी फाइल की है । मैं जानता हूँ कि यदि त्रातिके मनुष्य राजी हैं तो अस्पृश्योंके साथ भोजन करनेकी एवं मेलजोल करनेकी कोठारीको कोई आपत्ति नहीं है । मेरा मत भी प्रायः ऐसा ही है । बाबीके बोर्डिंगमें मैं गया था, इस समय भी कभी २ में वहां जाता हूँ ।

गत २७-२८ मई को सूरचन्दने मुलाकात करनेके लिये गौतम शिवरामने मुझे अपने घर बुलाया था । मैंने उस समय विचार नहीं था कि वे मिथ्या साक्षी जुटानेके लिये कहेंगे । जब उन्होंने अन्य प्रकारकी चर्चा मुझसे नहीं की तब मैं विरक्त होगया । इसके बाद मैं किसी प्रकारका अनुसंधान इस विषयमें नहीं किया । उस समय सूरचन्द गौतमचन्द और मैं ये तीन जने थे । ३-२-२५ ता० को भाईचन्द एवं पण्डित बशीरअलीके साथ मेरा मिलाप हुआ था, उनके बाद हम लोग चले गये । भाईचन्दने निकट-

वर्ती बरामदाहमें यह पत्र मुझको दिया था । उनके मनकं होव भावसे प्रतीत हुआ था कि वे फरियादोके विरोधी थे ।

इस घटनाके विषयमें मैंने वादोको लिखित सम्बाद नहीं दिया । सूरचन्दके साथ जो घटना हुई थी वह हीराचन्दको ज्ञात नहीं कराई । किंतु माई चन्द और बंशीधराजीकी यह घटना उससे कही थी । हीराचन्दसे मैंने यह भी कहा था कि—वह फरियादोको यह खबर देदे और जरूरत समझे तो मुझे सूचना दे, मैं इस विषयकी गवाही दे दूंगा ।

इस सम्बन्धमें फिर हीराचन्दने क्या किया मैं नहीं जानता । हीराचन्दको मैंने यह पत्र लिखनाया था । अपने घरपर मैंन तार पाया था । यहां आनेका खर्च मैं कोठारीसे लूंगा । मिथ्या अपवाद पर मुकदमा चलाया गया है यह माईचन्दने मुझसे कहा था ।

माडा और बावोमें फासला ७-८ मीलका है । एवं माडा और शोलापुरमें ३८ मीलका फासला है । बावो और शालापुरमें भी इतना फासला होगा । मैंने ४-६-२५को किसी दीवानी मुकदमाके लिये माडेमें आये हुये हीराचन्दको खबर दी थी । इस सम्बादको उससे कहना मैंने अत्यावश्यक समझा था ।

जिरह—मि० कोठारी स्वराजदलभुक्त हैं । सूर-
चंदका स्थायी निवास आकलूत है । व्यवसायके
लिये बम्बई रहते हैं ।

बेलगांव	}	(दः) आर०एन० किनी
१३-६-१६२५		आ० मजिस्ट्रेट फस्ट क्लास



इसप्रकार फरियादी कोठारीकी तरफसे कुल
गवाहोंके बयान हो चुकनेपर जैनगजटके संचालको
से उत्तर मांगा गया और वह लिखकर निम्नभांति
दिया गया । पं० रघुनाथदासजी तो उपस्थित ही
नहीं हुए इसलिये उनको उत्तर देने की आवश्यकता
ही नहीं पड़ी पं० लालारामजीने अपने बयान
मराठी भाषामें लिखकर दिये इसलिये मजिस्ट्रेट
साहबने ही सबको पढ़कर सुना दिये । न्यायालंकार
पं० मधुखनलालजीने अपना वक्तव्य हिंदी भाषामें
पेश किया और उसे गंभीरतापूर्वक सुनाया जिसका
असर कोर्टस्थित सभी सज्जनोंपर अच्छा पड़ा ।
पण्डित श्रीलालजीने संक्षिप्त वक्तव्य रहनेके कारण
मौखिक ही निवेदन कर दिया ।

आरोपियोंके लिखित वयान । आरोपी नं० २ श्रीयुत पं० लालारामजी शास्त्रीका उत्तर ।

१—मैं जैनगजटका सहायक संपादक था (अब संपादक हूँ) मैं देहलीमें हीरालाल जैन हाईस्कूलमें मुख्य धर्माध्यापक हूँ, इसीलिये मैं जैनगजटमें लिखे हुये लेखोंपर प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं रख सकता । मैं कभी कभी लेख लिखकर भेजता हूँ और मुख्यतया पुस्तकोंकी समालोचना करता हूँ ।

२—महासभासे नियुक्त हुए जैनगजटके मुख्य संपादक पण्डित रघुनाथदासजीने बीमार होने तथा अपने हाथसे काम न होनेसे ता० २३ ६-२४के जैनगजटके अंकमें संपादकपदका स्तीफा सर्वसाधारण में प्रसिद्ध किया है और ता० २८ ७-२४के अंकमें मैंने संपादककी सब जिम्मेदारी अपने सिरपर लेकर सर्व साधारणमें प्रसिद्ध की है । महासभाके नियमानुसार भानरेरी कार्यकर्ता स्तीफा देने पर यदि उन्ही समय स्वीकार न हुआ तो वे आगेके लिए ३ महीने तक कार्य करनेके जिम्मेदार रहते हैं । इस नियमके अनुसार यद्यपि पण्डितजीका स्तीफा उसीसमय स्वीकार नहीं हुआ, तथापि २३-६-२४ तक ही उनका

सम्पादनकार्य समाप्त हो जाता है, आगे वे इसके जिम्मेदार नहीं रहते। उनका स्तीफा महासभामें स्वीकार होनेवाला था परन्तु शेडवालके अधिवेशनमें ता० २३-२४ इन दो दिन तक काम चला आगेके काममें विरोधी मण्डलीने रुकावट डाली इसलिये ता० २६ के दिन सभाके अध्यक्षने ता० २४ तक होनेवाले काम पर ही सभाका काम समाप्त हुआ समझना ऐसी एक सूचना प्रगट की।

३—तदनन्तर गत फरवरी महीनेमें महासभाका नैमित्तिक अधिवेशन व्याव (राजपूताना) में हुआ था, उसमें पण्डित रघुनाथदासजीका स्तीफा स्वीकार हुआ व दूसरे सहायकसम्पादक (आरोपी न० ३) नियुक्त किये गये, उसीसमयसे उनका नाम सम्पादकके स्थानमें ज्ञापना बन्द कर दिया है। इसलिये ता० २२-१-२५के दिन जैनगजटमें लिखे हुए समाचारके सम्बन्धमें आरोपी न० १ जिम्मेदार नहीं है। और वह लेख मेरे पास न भेजकर मेरे भाई पं० मन्मथनलालने अपनी जिम्मेदारीपर ज़ापा है इसलिये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।

४—फरियादी शेडवालके महासभाके अधिवेशनमें महामन्त्री नियुक्त हुआ है यह बात गलत है। फरियादी सुधारक मतको माननेवाला है उसके

[२५]

अनुकूल चलनेवाले कुछ लोगोंने महासभाकी अपने स्वाधीन करनेके उद्देश्यसे फरियादीको महामन्त्री नियुक्त किया ऐसी बनावटी बात प्रसिद्ध की है। इसके सिवाय फरियादीका मत सर्वथा धर्मविरुद्ध होनेसे व उसके वर्तमान महासभाके उद्देश्यसे अनुकूल न होनेसे महामन्त्री होनेके लायक नहीं है। व उसका चुनाव भी नहीं हुआ है व उसके पास महासभा संबंधी कोई रकम न देवे इस सद्दहेतुसे जनसमाजके हितके लिये व धर्मकी रक्षाके हेतुसे आक्षेपाहं लेख लिखा होगा ऐसा प्रगट दिखता है। उससे फरियादीकी किसी प्रकारकी बेइज्जती करनेका बिलकुल हेतु नहीं था, न उससे उसकी कोई बेइज्जती हुई है।

५—मेरे और फरियादीके किसीप्रकारका द्वेष न होनेसे उसकी बेइज्जती करनेका कोई कारण नहीं है, केवल अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये व किसी भी प्रकारसे हमारी बेइज्जती करनेके लिये जानबूझकर यह फरियाद की दिखती है।

आरोपी नं०३ श्रीयुत पं० मखनलालजी न्यायालंकारका उत्तर ।

यह लेख मेरे पास सीधा पहुंचा था मैंने उसे ठीक समझकर अपने नोट सहित प्रकाशित कर दिया था ।

जैनगजटका मैं प्रिंटर और प्रकाशक (और संपादक) हूँ इसलिये समालोच्य पुस्तकोंके सिवा समस्त समाचार और लेख विज्ञापनादि प्रायः सब मेरे पास ही सीधे कलकत्ता पहुंचते हैं और ऐसी गजटकी सुनना भी है ।

बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारी कौन हैं' इस समाचारके विषयमें पहले तो मुझे मेरे संवाददाताने विश्वास दिलाया है कि यह समाचार दक्षिणमें प्रसिद्ध होते हुए भी उसने दक्षिणके प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित पुरुषोंसे भलीभांति जानकर ही मेरे पास प्रकाशनार्थ भेजा है, दूसरे—मैं कई बार अपनी दक्षिण यात्रामें दक्षिणके पुरुषोंसे नातेपूते शालापुर आदि स्थानोंमें भाई कोठारीजीके विचार और उनके आचरणके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुन चुका था इसलिये उस लेखको ठीक समझकर जैनगजटके वर्तमान संपादक पूज्य पण्डित लाजारामजी

शास्त्रीके पास देहली नहीं भेजा और सीधा ही अपना नोट सहित प्रकाशित कर दिया ।

कोठारीजी स्वयं तो सर्वथा धर्मविरुद्ध विचार और आचरण करते ही हैं, साथ ही उन्हें वे जैन समाजमें भी प्रचलित करनेके लिए पूर्ण प्रयत्नशील हैं । इसलिए उनसे समाजकी हानिकी पूरी आशका समझकर मैंने उस लेखको प्रकाशित करना उचित समझा ।

इसके सिवा वे सेडवाल आंधवेशनके पीछे बिना नियमानुसार चुनावके ही कुछ लोगोंकी सरासर धोखेपूर्ण मन गढ़न्त कल्पनाके बलपर अपनेको श्री भा० व० दि० जैन महासभाका महामन्त्री प्रगट कर समाजसे रुपये अपने पास मंगानेकी सूचना दे चुके हैं इसलिए केवल धर्मशिक्षण और धर्मकार्योंके लिये धर्मात्माओं द्वारा दिये गये महासभाके रुपये मगाकर कहीं ये महाशय धर्म एवं समाजोपयोगी कार्योंमें धक्का न पहुँचावें इसलिये उस समाचार द्वारा धर्मरक्षार्थ समाजको सावधान करना मैंने उचित समझा ।

व्यक्तिगत मेरी कोठारजीने कुछ भी हानि नहीं की है, न मेरा उनके साथ वैयक्तिक कोई सम्बन्ध ही है । और न उनका जाति आदि सम्बन्ध भी मेरे साथ है, इसलिये उनकी मानहानि करनेका मेरा किंचिन्मात्र भी इरादा नहीं था किंतु उनकी अधार्मिक

प्रवृत्ति एवं विचारोंसे धार्मिक समाजका कहीं अहित न हो इसी मात्र अभिप्रायसे धार्मिक नाते मेंने उक्त समाचार प्रकाशित किया है ।

प्रकाशित समाचारके विषयमें भाई कोठारीजीने कहीं २ अर्थविपर्याप्त भी माननीय न्यायाधीश महोदयके समक्ष प्रगट किया है इसलिये उस भ्रमको दूर कर देना यहाँ में आवश्यक समझता हूँ ।

हाथ साफ करनेका जो अर्थ महासभाके रूप्योंको स्वयं हड़पना बतलाया गया है वह न तो पंक्तिका ही अर्थ है और न वैसा अभिप्राय ही है यह मुहा-
घरेकी हिंदीका प्रसिद्ध शब्द है उसका अर्थ यही है कि महासभाके रूप्योंको अपने अधीनस्थ करना चाहते हैं अर्थात् केवल धर्मशिक्षण आदि धर्मकार्यों के लिये प्रदान किये गये महासभाके द्रव्यको अपने हाथमें लेकर अर्थात् अपने ताबेमें करके बॉर्डिंग आदिमें खर्च करना चाहते हैं । यह बात ऊपरकी पंक्तियोंसे और नीचेकी नवमी कलमसे स्पष्ट हो जाती है । दूसरे कोठारीजीने अपने को महामंत्री बतलाते हुए महासभाके द्रव्यको मांगा है । इसलिये उसे वे स्वयं निजके लिए लेना चाहते हैं यह बात कोई समझदार न तो प्रगट ही कर सकता है और न वैसा समझ ही सकता है ।

दूसरा भ्रम धरेजाके अर्थके विषयमें है । कोठारीजी धरेजा, करावाको विधवा-विवाहसे

भिन्न और नीच समझते हैं परन्तु जैनसिद्धांतके अनुसार जैसा कि श्री राजवार्तिकालङ्कार, तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकाङ्कार, सर्वार्थसिद्धि, एकसंधिसंहिता, और श्रीमहापुराण आदि प्रसिद्ध २ शास्त्रोंमें बताया गया है कि चारित्रमोहनीयके उदयसे कन्या—कुमारीका वरण ही विवाह कहा जाता है इसके सिवा विधवा स्त्रीका पुनः किसी पुरुषके साथ एक या दो बार आदि सम्बन्ध किया जाता है वह महा अधर्म है। उसे ही विधवाविवाह, धरेजा करावा किसी भी शब्दसे कहा जाय सब एक ही अर्थ है। उनमें कुछ भेद नहीं है, वह त्यागविरुद्ध मार्ग है।

तीसरी बात—आपके शीलव्रतका कुछ महत्त्व नहीं है, इस वाक्यका अर्थ कोठारीजीने स्वयकी बदचलनी किया है, इस वाक्यका यही अर्थ है कि आप शीलव्रतका कुछ महत्त्व नहीं समझते, इसलिये आप धरेजा वा करावाके पोषक हैं, यहांपर 'सुतगं' पद दिया गया है उसका अर्थ 'इसलिये' कोषम मिलता है। उससे पूर्व और उत्तर वाक्योंका संबन्ध मिलानेसे स्पष्ट अर्थ हो जाता है। अर्थात् जैनधर्मके अनुसार कन्यादानका विवाह बता कर स्वस्त्रीसंतोषी अधवा परदारनिवृत्तिवाले पुरुषको एकदेशब्रह्मचर्य पालक शीलवान कहा गया है और विधवास्त्रीके लिए वैधव्य दीक्षा लेकर धर्मसाधन कहा गया है जो पुरुष धरेजा करावा अधवा विधवाविवाह आदि का पोषण करता है वह शीलव्रतका कुछ महत्त्व नहीं समझता यही इस वाक्यका अर्थ है।

कोठारीजीने मेरा जो प्राइवेट नौकरीपेशा बताया है, वह ठीक नहीं है। कलकत्तामें मेरी कपडेकी दुकान है मैं जैनगजटकी सहायकसंपादकीका कार्य और बंग-विहार अहिंसाधर्म परिषद्के मंत्रित्वका कार्य आदि सभी धर्मसेवा समझकर आनरेरी करता हूँ। मेरा इन कार्योंमें निजका तनिक भी स्वार्थ नहीं है। किंतु निजकी अनेक हानि उठाकर भी यह कार्य कर रहा हूँ इसीप्रकार गजटके संपादक पूज्य पंडित लालारामजी शास्त्री भी गजटका संपादन कार्य विना किसी स्वार्थके आनरेरी करने हैं। हम दोनोंने गजटके कार्यमें स्तीफा भी महामभामें उपस्थित किया परन्तु मंजूर नहीं किया गया किन्तु व्यायर्के अधि-वेशनमें मुझे सहायक संपादक और शास्त्रीजीको संपादक नियत कर महामभाने हमारा गौरव बढ़ाया है, ऐसी अवस्थामें कोठारीजीका यह कहना कि 'ये (हम) पदच्युत कर दिये गये हैं' इसलिये विद्वेषवश यह समाचार प्रकाशित किया गया है सर्वथा बजड है। गजट चले जानेसे हमारी निजकी कुछ हानि नहीं है प्रत्युत जानेसे लौकिक लाभ अधिक है और न पदच्युति ही हमारी हुई है वास्तव में विद्वेषका कोई कारण नहीं है।

जो सांगलीके बालू नाना चौगलेने अपनी साक्षी में एक पत्र कोर्टमें उपस्थित कर उसे मेरा प्रगट किया है, वह बात भी सर्वथा बतावटी है। उसका कारण भी स्पष्ट है कि उसमें न तो मेरे हस्ताक्षर ही हैं और जिन पं० बाहुबली शर्माके नाम पत्र

बताया जाता है, वे मेरे शिष्य हैं इसलिये अपने शिष्यके लिए गुरुकी ओरसे क्या कभी पूज्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि बनावटी पत्रमें पूज्य शब्दका प्रयोग किया गया है इससे उस पत्रके बनावटी होनेमें कोई शंका नहीं रहनी ।

फर्यादी कोठारीजीकी ओरसे उनकी साक्षीमें कहा गया है कि "जैनगजट"के प्रिटर पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ हैं परन्तु यह बात भी मिथ्या है वे गजटके प्रिटर नहीं हैं किन्तु जैनसिद्धान्तप्रकाशक पवित्र प्रेसके प्रिटर हैं इसलिये गजटके पीछे उनका नाम प्रबन्धकके नामे छूपा रहा है ।

फर्यादीने पंडित लालारामजी शास्त्री, पंडित श्रीलालजी काव्यतीर्थ और मुझे तीनोंका भाई बताकर विद्वेषी मिद्ध किया है परन्तु यहां भी उन्होंने माननीय कोर्टको धोखेमें डाला है, कारण पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ मेरे भाई नहीं हैं, फर्यादी ने विद्वेषकी झूठी कहाना की है ।

फर्यादी कोठारीजीने अपनी साक्षीमें इस लेखके लेखक परिचित श्रीलालजी काव्यतीर्थको प्रगट किया है सा भी सच्चीया असत्य है । पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ इस लेखके लेखक नहीं हैं, कोई दूसरे ही है, परन्तु उस लेखकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ।

ऊपर लिखे कारणोंसे माननीय कोर्टसे मैं निवेदन करता हूँ कि मैंने अपने अन्तःकरणसे फर्यादीकी मानहानिका किन्विन्मात्र लक्ष्य इस लेखक प्रकाशनमें नहीं रखा है किन्तु भा०दि० जैन महासभाके

मुख्यपत्र जैनगजटके प्रकाशक और समाजके एक विद्वानके नाते मैंने कोठारीजीके उनभावोंका प्रकाश किया है जिनका समाजकी धार्मिक प्रवृत्ति और आर्ष मार्गकी हानिले गहरा सम्बन्ध है । यदि फर्यादी उनके सत्य भावोंके उल्लेखको भी (जो कि समाजमें वर्तमान पत्र एवं व्याख्यान आदि द्वारा स्वयं उन्होंने प्रभिद्ध किए हैं) मानहानिका कारण समझते हैं तो उन्हें धर्मशास्त्रके सर्वथा विपरीत अपने भावोंको तीव्रताके साथ समाजमें नहीं फैलाना चाहिये था । अन्यथा उनके भावों और प्रवृत्तिकी सत्य एवं उचित मीमांसा करनेका अधिकार समाजके प्रत्येक व्यक्ति को है, धर्मके नाते यह न्यायप्राप्त मार्ग है ।

आरोपी नं० ४ पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ- का बयान ।

(१) मैं न तो गजटका प्रिंटर हूँ, न लेखक हूँ और न प्रकाशक हूँ ।

(२) गजटके अन्तमें जो मेरा नाम छपा है वह मैं जैनसिद्धांतप्रकाशक प्रेसका प्रबन्धकर्ता हूँ इसलिये छपा है । उक्त लेख मुझे जैनगजट आफिससे छापने के लिये मिला था ।

बालचंद रामचंद कोठारी कौन हैं ?

—:~:—

उत्तर भाग ।

जैनगजटके संचालकोंकी तरफसे पेश
हुवे गवाहोंके बयान ।

श्रीमान् शेठ भगवानदास शोभाराम
जी पूनाकी गवाही ।

आपने नियमानुसार ईश्वरकी शपथ ग्रहण करते
हुये कोर्टके पूछने पर कहा कि—मेरा नाम भगवान
दास, पिताका नाम शोभाराम, जाति जैन, उम्र ५८
वर्ष, पेशा-व्यापार और निवासस्थान पूना है । अथुत
मजूमदार वकीलके प्रश्न करने पर आपने नीचे लिखा
हुआ उत्तर देना प्रारम्भ किया —

प्रश्न—तुम फिर्यादो (बालचन्द्र कोठारा) को पहिचानते हो ?

उत्तर—हां ।

प्र०—फिर्यादोके पिताने कुन्वलगिरि पर क्या कोई मन्दिर बनवाया है ?

उ०—हां । उसके पिताका बनवाया एक मन्दिर कुन्वलगिरि पर है ।

प्र०—उस मन्दिर पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसका खर्च क्या तुम देते हो ?

उ०—हां ।

प्र०—तुम कितने वर्षसे कितने रूपय प्रति वर्ष खर्च दिया करते हो ?

उ०—मैं कुन्वलगिरिके पञ्चोंका कोई ५६ वर्षसे (२११) रु० प्रति वर्ष दिया करता हूँ ।

प्र०—तुमने किसके कहनेसे और क्यों मन्दिर लिया ?

उ०—मैं ध्वजा चढ़ानेका प्रबन्ध अपने हाथमे लेनेसे पूर्व आजसे ६-७ वर्ष पहले मध्य १८७४ या १८७५में कुन्वलगिरि पर गया था, उस समय पञ्चोंन मुझसे कहा था कि—वावीकर (फिर्यादोके यामका नाम वावी है इसलिये उसे वावीकर कहा) के मन्दिरमे न तो पूजा उनके द्वारा होती है और न ध्वजा चढ़ाई

जाती है इसलिये पंचोंको इसका समस्त खर्च करना पड़ता है। इसी समय कुछ (पंचों) ने मुझसे यह भी कहा था कि तुम वावीकर (फिर्यादी) से कहो कि वह उसका प्रबन्ध करे और पंचोंका जो रुपया अभी तक खर्च हो चुका है उसे भी देदे। उसके बाद मैंने पूना आ कर फिर्यादीसे कुल हकीकत कही। उत्तरमें फिर्यादी बोला कि—

**मुझे न तो मन्दिरकी जरूरत है और न ध्वजा
चढानेकी। अतएव जो आदमी उस
मन्दिरको लेना चाहे उसे
पंच दे डालें।**

जब कि मैं पुनः कुम्बलगिर पर गया तो फिर्यादीने जो कुछ मुझसे कहा था वह सब पंचोंको कह सुनाया। पञ्चानि मुझसे पूछा कि क्या तुम मन्दिर लेने तयार हो। उत्तरमें मैंने उसे लेना स्वीकार कर लिया।

प्र०—कुम्बलगिरिके कितने पञ्च हैं और वे कौन २ हैं ?

उ०—वहाँके मुख्य पञ्च तो (सेठ) कस्तूरचन्द परमचन्द प्रगंडाकर और (सेठ) गङ्गाराम लीलाचन्द्रजी

है, बाकी (सेठ) रावजी मखाराम भूमकर (सेठ)
नेमचन्द आदि भी पञ्च हैं ।

प्र०—कुन्बलगिरिद्वित्रका हिमाञ्च किताब किनक
प स रहता है ?

उ०—सेठ कस्तूरचन्दजीके पास ।

प्र०—आप क्या प्रतिवर्ष उक्त खर्च दिया करते
हैं ?

उ०—हा ! मैं प्रतिवर्ष नियमतः खर्च देता हूँ ।

प्र०—आपको आयका माने क्या है ?

उ०—मैं महाजनो पेशा करता हूँ और मकानो-
का भाडा आता है ।

प्र०—इनकमटैक्स कितना और म्युनिस्पलटैक्स
कितना देते हो ?

उ०—मैं २८००, उनतीस सौ रुपये इनकमटैक्स
आर १८००) अठारह सौ रुपये म्युनिस्पलटैक्स
देता हूँ ।

इस प्रकार बयान देनेके बाद फ़िर्यादोंके वकीलने
आपसे जिरह की—

प्र०—तुमने क्या दक्षिणकी यात्रा की है ?

उ०—हां ! मैं अभी छह मास पहिले दक्षिणकी
यात्रार्थ निकला था ।

प्र०—तुमने इधरके जैनमन्दिरोँ पर ध्वजा देखी ?

उ०—मैंने ध्वजाओंके विषयमें कुछ खोज नहीं की ।

प्र०—ध्वजाओंके विषयमें खोज क्यों नहीं की ?

उ०—मैंने ध्वजा नहीं देखी, न उनके न होनेका कारण ही तलाश किया ।

प्र०—मन्दिर बनवा कर पञ्चोंके सुपुटं प्रबन्धके लिये किए जा सकते हैं ?

उ०—हां !

प्र०—पञ्चोंके हाथमें मन्दिर देनेसे क्या घम-विरुद्धता आती है ?

उ०—नहीं, परन्तु ऐसा करनेवालेको इज्जत कम हो जाती है ।

प्र०—तुमने कोठारीको मन्दिरके बदलेमें क्या कुछ दिया है ?

उ०—नहीं मैंने कुछ नहीं दिया ।

बेलगाम

३-८-२५

}

(सही) आर० एन० कृष्णो

आन० फर्टिलास मजिस्ट्रेट

श्रीमान् सैठ गंगाराम लीलाचन्द-
जीकी साक्षी ।

आपने अपनी उम्र ५० वर्ष, निवासस्थान वारा-
मती, जिला पूना, जाति जैन बतलाते हुए श्रीयुक्त

मजूमदार महाशयके पूछने पर या उत्तर देना प्रारम्भ किया ।

प्र०—आप कितना इनकमटैक्स देते हैं ?

उ०— ४६८) रुपया ।

प्र०—फिर्यादीको क्या जानते हो ?

उ०—हा । मै वालचन्द कोठारोको जानता हूँ ।

प्र०—फिर्यादीका क्या कोई मन्दिर कुन्धलगिरि पर है ?

उ०—हा । उसके पिताका बनवाया एक मन्दिर कुन्धलगिरि पर है ।

प्र०—आपने कुन्धलगिरि पर क्या कुछ खर्च किया है ?

उ०—हां । मैने करीब ५० हजार रुपय खर्च कर वहा पाठशाला और धर्मशाला करीब ५ या ७ वर्ष पहिले बनवाई है ।

प्र०—वहाँका प्रबन्ध कौन करते हैं और क्या तुम्हारा भी उससे सम्बन्ध है ?

उ०—वहाँका प्रबन्ध पांच करते हैं, उनमें मेरा भी नाम है ।

प्र०—हिमाब किताब किसके पास रहता है ?

उ०—श्रीमान् सेठ कस्तूरचन्द परखड़ाकरके पास ।

प्र०—क्या वे स्वयं हिसाब किताब रखते हैं?

उ०—नहीं । उनका नियुक्त मुनीम वहाँ रहते और वे हिसाब रखते हैं । नेमनाथ नरहर, गनपतिराम आदि मुनीमोंके नाम हैं । इनसे पहले मोतोराम गुलाबचंद मुनीम था ।

प्र०—फिर्यादोंके मंदिरका खर्च ध्वजा चढाने बगैरहका इस समय कौन करता है ?

उ०—मन्दिरका समस्त खर्च आजकल श्रेष्ठ भगवानदास शोभाराम जी देते हैं और वे ५-६ वर्षसे प्रति वर्ष २११) दो सौ ग्यारह रुपये देते हैं ।

प्र०—इससे पहिले खर्च कौन चलाता था ?

उ०—इससे पहिले पंच किया करते थे ।

प्र०—क्या कोई आदमी फिर्यादोंके पास खर्चका रुपया मागने भजा गया था ?

उ०—हाँ । नेमनाथ नरहरिको बालचन्द कोठारोंके पास खर्चका रुपया मागने भेजा गया था कोई ५ ६ वर्ष पहिले ।

प्र०—उस समय क्या फिर्यादोंने रुपया दिया था ?

उ०—नहीं !

प्र०—उसके बाद पंचोंने क्या किया ?

उ०—पंचोंने उसके बाद ध्वजा चढाने आदिका हक (स्वत्व) श्रेष्ठ भगवानदास शोभारामजीको दे दिया ।

प्र०—कुथलगिरि पर क्या प्रत्येक मन्दिर पर इस तरहकी ध्वजा चढ़ा करतो है ?

उ०—हाँ । वहा प्रत्येक मन्दिर पर ध्वजा चढ़ती है ।

प्र०—क्या फिर्यादोसे आपको कभी मुलाकान हुई थी ?

उ०—हाँ ! सेठ भगवानदासजीको मन्दिरका स्वत्व (हक) देनेके पहिले मेरी मुलाकात पूनामें फिर्यादोसे हुई थी ।

प्र०—फिर्यादोने आपसे मन्दिरके विषयमें उम समय क्या कहा था ?

उ०—उसने कहा था कि—मैंने आपके मुनोमसे जो कुछ कहना था मन्दिरके वास्त कह दिया है, बार बार मुझे टिक मत करो ।

इसके बाद फिर्यादोके बकालने प्रश्न करना प्रारम्भ किया तो आप उत्तर देने लगे--

वकील—पंच लोग यात्रियासे क्या चन्दा लेते है ।

सेठजी—हाँ ।

वकील—वह रुपया कहा जमा रहता है ।

सेठजी—शोलापुरके सेठ हरीभाई देवकरणजीके यहाँ ।

वकील—उक्त रुपया किस काममें खर्च होता है ?

शेठजी—यदि किसी मन्दिरका खर्च मन्दिरके निर्माताको तरफसे नहीं आता तो एक रूपयेमेंसे खर्च होता है ।

वकील—पंच लोग वहां क्या करते हैं ?

शेठजी—उस क्षेत्र पर जो लोगोंने मन्दिर बनवाये हैं उनका प्रबन्ध करते हैं ।

वकील—पंचोंके तावेमें मन्दिर देना क्या धर्म विरुद्ध है ?

शेठजी—नहीं !

३-८ २५

बेलगाँव

}

सही—आर, एन किर्नी

फर्ल क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

श्रीयुत शेठ गुलाबचंद नान- चंदजीकी साक्षी ।

आपने कोर्टके नियमानुसार कायदा पूर्ति करने हुए कहा कि—अकलकोट स्टेटके नागनसूर ग्रामका रहने वाला हूँ और उम्र ६६ वर्षकी है । इसके बाद आमान् मजूमदार महाशयके प्रश्नोंका उत्तर देना प्रारम्भ किया ।

मजूमदार—क्या आप फिर्यादोको पहचानते हैं ?

शेठजी—हां ।

म०—घ्रापका और उसका क्या कुछ सम्बन्ध है ?

शेठजी—हां । मेरे सातकी बहिनका वह लडका है ।

म०—घ्राप क्या शोलापुर गया आया करता है ?

शेठजी—हां । मैं अपने व्यापारके लिये अराबर वहां जाता आया करता हूं ।

म०—फिर्यादोने क्या कोई व्याख्यान वहां दिया था ?

शेठजी—हां । करीब ५०६ वर्ष पहिले जब कि श्रीमान् पद्मलालजी ऐलक महाराजका केशलोच उत्सव शोलापुरमें हुआ था उस समय फिर्यादोने प० वंशाधरजाके सभापतित्वमें व्याख्यान दिया था ।

म०—व्याख्यान किस विषय पर था ।

शेठजी—जैनसमाजके विषयमें ।

म०—फिर्यादोके पिताका बनवाया क्या कोई मन्दिर कुंथलगिरि पर है ?

शेठजी—हां । हे, उसे लोग 'बाबीकरका मन्दिर' कहते हैं ।

म०—उक्त मन्दिरके बाबत फिर्यादोने क्या उस समय कुछ कहा था ?

शेठजी—उस समय उसने कहा था कि—

मैं उस मन्दिरका बेचनेके लिये तैयार हूं

और उस द्रव्यको गरीब लोगोंके लिये बोर्डिंग वगैरहमें लगा देनेके लिये ।

म०—इस बातका लोगो पर क्या प्रभाव पडा था ?

से०—लाग असंतुष्ट मालूम पडते थे ।

म०—इसके सिवा और कोई भी वहाँ कोई सभा हुई थी ?

से०—हां, दूसरे दिन सेठ हीराचन्द नेमचंद जी के सभापतित्वमें एक और सभा हुई थी ।

म०—क्या आप उस सभामें गये थे ?

से०—हां, मैं उस सभामें गया था ।

म०—फिर्यादोंने उस सभामें क्या कोई व्याख्यान दिया था ?

से०—नहीं ! केवल फिर्यादों व्याख्यान देनेके लिये खडा हुआ था परन्तु जो लोग वहाँ एकत्र हुए थे उन्होंने उसे बालने न दिया । कारण लोग समझते थे कि यह (फिर्यादी) धर्मविरुद्ध व्याख्यान देगा ।

म०—क्या सभापतिने उस समय कुछ कहा था ?

से०—हां ! सभापतिने कहा था कि—उस (फिर्यादी) को व्याख्यान देनेको मैं परवानगी देता हूँ ।

म०—उसके बाद क्या हुआ ?

से०—उसके बाद पुलिस बुलाई गई परन्तु उप-

स्थित जनताने उसका व्याख्यान न होने दिया, लैम्प (दीपक) बुझा दिये गये और सर्वत्र अन्धेरा ही अन्धेरा हो गया ।

म०—फिर्यादीकी माकी क्या आप जानते है ?

से०—हां ।

म०—आपने उसे कहाँ देखा था ।

से०—मैंने उसे अपनी बहिनके घर देखा था ।

म०—क्या फिर्यादी और उसको मां एकत्र दोनों जीमते है ?

से०—यह मैं नहीं जानता ।

म०—आपको और फिर्यादीकी माकी कुछ बात चीत हुई थी ।

से०—हां । मैंने फिर्यादीको मामले जब यह कहा था कि तुम्हारा लडका जैनधर्मके विरुद्ध व्याख्यान देता है तो उसने कहा था कि—मेरो और उसकी (कोठारोको) पटतो (जनता सुनह) नहीं है ।

फिर्यादीके वकीलने इसके बाद यां पूछना प्रारम्भ किया जिसका उत्तर श्रेष्ठजीने दिया ।

वकील—जैनबोधक मामिक पत्रक क्या ग्राहक हो और क्या उसे पढते हो ।

श्रेष्ठजी—हां । मैं उसका ग्राहक हूं और उसे पढ़ता हूं ।

वकील—पञ्चानालजी महाराजके केशलोचका विवरण उसमे क्या कृपा है ?

शे०—कृपा होगी । मैं सिर्फ़ तीन वर्षोंके उम्र पत्रका ग्राहक हूँ ।

व०—उक्त दार्जी सभाओं और केशलोचका विवरण क्या समाचार पत्रोंमें कृपा था ?

शे०—कृपा होगी ।

व०—पहिली सभा कहां हुई थी और किसने बुलाई थी ?

शे०—वह सेठ हीराचन्द नानचन्दजीके घरमें हुई थी परन्तु किसने बुलाई थी यह मालम नहीं ।

व०—तुम किसके कहनेसे सभामें गये थे ?

शे०—मैं सेठ देवचन्द रामचन्द्रजीके कहनेसे सभामें गया था ।

व०—क्या सभाका विज्ञापन बाँटा गया था और उसका विषय आपसे कहा गया था ?

शे०—नहीं ।

व०—मन्दिर बनेके सिवा फ़िर्यादीने व्याख्यान में और क्या कहा था ?

शे०—वह मुझे धाद नहीं है ।

व०—पं० वंशोधरजी पहिले बोले या पहिले फ़िर्यादी ।

शे०—प्रहिले पं० वंशोधरजीने कहा था और बादको फिर्यादोने ।

द०—उसके बाद किमका व्याख्यान हुआ था ।

शे०—उस दिन फिर किमीका नहीं हुआ ।

व०—कुंथलगिरिके मन्दिरके प्रबन्धके विषयमें क्या कुछ जानते हो ?

शे०—नहीं ।

व०—दूमर दिन क्या फिर्यादोका व्याख्यान हुआ था ?

शे०—नहीं, फिर्यादो ज्यों ही बोलनेके लिये खुड़ा हुआ त्यों ही वहाँ शोर गुल प्रारम्भ हो गया । क्योंकि उपस्थित लोगोंने निश्चित कि । था

कि उसे बोलने न देंगे ।

व०—तुमने भी क्या उसमें भाग लिया था ?

शे०—नहीं मैं सिर्फ सुनने गया था, न कि कुछ करने ।

व०—व्याख्यान न देनेवालोंमें कौन कौन थे ?

शे०—करकुमकारके लडके थे और भी थे परन्तु मैं किसी प्रधान पुरुषका नाम नहीं बता सकता ।

व०—कोठारीके व्याख्यान देनेके पक्षमें भी क्या कुछ लोग थे ?

शे०—नहीं, मैं नहीं जानता कि थे या नहीं ।

व०—लेस्य किसने बुझायी थी ।

शे०—मैं नहीं जानता कि किसने बुझायी थी ।

व०—उस मकारिको कुछ टैक्स देते हो ?

शे०—हाँ (मैं २१०) दो सौ दश रुपये मालगु-
जारो (फाटा) देता हूँ ।

बेनगाव	}	महो—शार, एन, किर्णो
३-८-२५		फर्टिक्लाम आनररी मजिस्ट्रेट,

दूसरे दिन ता० ४ को सेठजी जब भत्ता (मार्ग
व्यय) लेने कचहरी आए और ले कर बाहर आये थे
कि फियरिदीके वकीलने मजिस्ट्रेट साहबसे प्रार्थना की
कि—उक्त सेठजीका लिखा एक पत्र हमारे पास पंढर-
पुरसे रवाना हो कर कल आवेगा, इसलिए उन्हे
उस पत्रके विषयमें जब तक पूछ ताछ न कर ली जाय,
बेनगावमें ही रहने कहा जाय । मजिस्ट्रेट साहबने
इस प्रार्थना पर ध्यान दे सेठजीको रहनेके लिए कह
दिया । ता० ७-८-२५ को उक्त पत्र हाजिर हुआ और
उस पर नाचे लिखा प्रकृताछ हुई ।

फियरिदीका वकील—शिवलाल मलूकचन्द आपके
कौन होते हैं और उनसे आपका पत्रव्यवहार है या
नहीं

सेठजी—वे मेरे साले होते हैं और उनसे मेरा
पत्रव्यवहार है ।

वकील—यह पत्र क्या आपका लिखा हुआ है ?

सेठजी—हां। मेरे मुनीमने उक्त शिवलालको यह पत्र लिखा था।

वकील—इस मुकद्दमेमें गवाही देनेवाले सेठ सखाराम देवचन्दजीसे आपका क्या सम्बन्ध है और सेठ नेमिचन्द देवचन्द कौन है ?

सेठजी—सखाराम देवचन्दजी मेरी बहिनके लडके हैं और नेमिचन्दजी उनके भाई हैं।

वकील—नेमिचन्दजीने क्या तुम्हें 'स्वास तोर पर गवाही देनेके लिये नहों' कहा ?

सेठजी—नहीं।

वकील—(पत्र दिखा कर) आपने जो यह लिखा है कि 'मुझे भरनेवाला भो वहो है' इसका क्या अर्थ है ?

सेठजी—उसने मुझे झूठ बोलने कहा होगा लेकिन क्या कहा होगा सो मुझे याद नहों है। परन्तु (यहां मजिस्ट्रेट साहबको लक्ष्य कर सेठजीने जोरसे कहा—राय साहब।)

मैंने पत्रमें स्पष्ट लिखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा।

ता० ७ ८ २५	}	(सही) आर, एन, किष्ठी
बेलगाव		फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

नेमिनाथ नरहर मुनीम कुंथल- गिरिक्षेत्रकी साक्षी ।

कोर्टके नियमानुसार शपथग्रहणके बाद अपनी उम्र ५२ वर्ष, पेशा—खासगो नौकरी, जाति जैन मत लाते हुए श्रीयुत मजूमदार वकोलके पूछने पर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया ।

प्र०—तुम क्या फिर्यादी और उसके मन्दिरको जानते हो ?

उ०—हां । मैं फिर्यादीको जानता हूँ, उसका कुंथलगिरि पर एक मन्दिर है ?

प्र०—कुंथलगिरि पर सब कितने मन्दिर हैं ?

उ०—ब्रह्मा कुल दश जैनमन्दिर हैं,

प्र०—तुम वहाँ कबसे क्या काम करते हो, और किसकी आज्ञासे करते हो ?

उ०—मुझे आजसे दश साल पहले पञ्चोंने मुनीम नियुक्त किया था क्योंकि वहाँकी समस्त देखभाल पञ्चोंके अधीन है इसलिए मैं जो यात्री चन्द्रा लिखा जाते थे उसको उगानेका काम करता रहता हूँ ।

प्र०—उस क्षेत्र पर कुन कितने मन्दिर हैं और उनमें पञ्चोंके बनवाए कितने हैं ?

उ०—पक्षोंने केवल एक मन्दिर बनवाया है, बाकी सब (नौ) खास खास लोगोंने बनवाये हैं ।

प्र०—उन सब मन्दिरों पर क्या प्रतिवर्ष ध्वजा चढ़ाई जाती है ? और क्या उनका सब खर्च पञ्च करते है ?

उ०—हां । उन कुल मन्दिरों पर ध्वजा प्रतिवर्ष चढ़ाई जाती है परन्तु उनका ध्वजा चढ़ाने आदिका कुल खर्च पंच उसी हालतमें अपने पाससे करते हैं जब कि मन्दिरके निर्माता मालिक नहीं रहते । ऐसे मन्दिर सिर्फ दो है एक इन्दौरकर (इन्दौरके रहनेवाले) किसी महाशयका और दूसरा चन्द्रप्रभ स्वामीका । इन दोनों मन्दिरोंके मालिक मर चुके है ?

प्र०—वह क्वा और भो कोई मुनीम है ?

उ०—हां । गनपति नामक एक और मुनीम है जो सेठ कस्तूर चन्द्रजीके आज्ञाधीन रह कर हिसाब किताब रखता है ।

प्र०—फिर्यादो (बालचन्द्र कोठारो) पर क्या उसके मन्दिरकी वावतका कुछ रूपया पंचोंका पावना है ! और उसे उगाने भी का तुम गये थे ।

उ०—हां । बाबीकर (फिर्यादी) पर पंचोंका पांच सौ या ५५० साठे पांचसौ रूपया पावना है जिसकी कि उन्होंने फिर्यादीके मन्दिरमें खर्च किया था । मैं उसको

उंगाने फिर्यादीके पास माढा (शोलापुर जिलेका एक ग्राम) गया था क्योंकि इस जगह फिर्यादोको बहिनका सासुरा (घर) है और वह उस समय वहा आया था ।

प्र०—क्या उस समय कोठारीसे तुमने तगादा किया था ।

उ०—हाँ । मैंने उससे तगादा किया था परन्तु उसने मुझे उत्तरमें कहा कि—मेरे गाव [बाबो]में आओ ।

प्र०—माढा कितने दिन पहिले गये थे ?

उ०—मैं लगभग सात वर्ष पहिले माढा [शोला-पुर] गया था ।

प्र०—फिर तुम तगादा करने बाबो [फिर्यादीके गाव] कब गये थे और तब फिर्यादो क्या बोला ।

उ०—माढा जानिके कोई दो तीन मास बाद मैं फिर्यादोके पास बाबोमें गया था जहां कि उसका घर है । परंतु फिर्यादो उस समय घर पर हाजिर न था । मैं जिस समय पहुँचा, सुबहका वक्त था, फिर्यादो दुपहरको घर आया । मैंने उससे मन्दिरके खर्चके रुपये देनेके लिये कहा । फिर्यादी उत्तरमें बोला कि—

“ मुझे मंदिरकी जरूरत नहीं है, मैं उसका कुछ खर्च नहीं दूंगा ।” जब मैंने उससे बकाया रुपया देनेके लिये कहा तो उस (फिर्यादी) ने क्रोधपूर्ण स्वरमें कहा कि—

“मंदिर बेच कर बढ़ा कर लो।”

प्र०—तुमने उस दिन कहा जोमा ?

उ०—मैंने उस दिन फिर्यादीकी माताके यहा जीमा । फिर्यादीको रसोई भिन्न जगह यों इसलिये वह [फिर्यादी] वहा जीमा ।

प्र०—तुमने फिर्यादीके यहाँ क्यों नहीं जीमा ?

उ०—फिर्यादीके बिच्चोने आदि बिछाते मुझे महार [अस्वस्थ शूद्रो का एक भेद, हिन्दीमें इन्हे भङ्गी कहते हैं] देख पड़े थे इसलिये मैंने फिर्यादीके यहाँ नहीं जीमा ।

प्र०—तुम्हें कैसे मालूम पडा कि वे महार (भंगी) थे ?

उ०—मुझे उन लोगोंने ही कहा था कि—

हम महार (भंगी) हैं और फिर्यादी (काठरी) के यहा नौकर हैं ।

प्र० - फिर तुम उसको माके यहाँ ही कैसे जीमे ?

उ०—माताने मुझसे कहा था कि—

वह (माता) अलग रसोई बना कर स्वार्ता है इसलिये मैं उसके यहाँ जीमा ।

प्र०—फिर्यादीकी माताको क्या तुम पहचानते थे ?

उ०—हां। वह कुंथलगिरि पर आयी थीं इसलिए वे मेरी परिचित थीं।

प्र०—माजकल फिर्यादीके मन्दिरका कुल स्वर्ध कौन चलाता है।

उ०—पूनाके श्रेष्ठ भगवानदास शोभारामजी।

इस प्रकार बयान होनेके बाद फिर्यादीके वकीलने जिरह करना प्रारंभ किया और गवाहने उत्तर दिया—

प्र०—तुम्हरी जाति क्या है? और फिर्यादीकी क्या है?

उ०—मेरी मैतवाल और फिर्यादीकी दशा ह्मड जाति है।

प्र०—इन दोनों जातियोंमें क्या रोटो व्यवहार है?

उ०—नहीं, परन्तु तुक छिपकर कोई कोई करते हैं।

प्र०—तुम ह्मडोंके यहां रोटो खाते हो या नहीं?

उ०—यदि दूधकी दशमो (रोटो या पकवान) बनायी जाती है तो मैं ह्मडोंके यहां जोमता हूँ।

प्र०—फिर्यादीकी माताने क्या तुमसे भोजन करने कहा था?

उ०—हां। उन्होंने मुझे अपने यहां जीमनेके लिये सुवह करीब ८ या ९ गजे ही निमग्नण दे दिया था।

प्र०—फिर्यादोकी माताको कहा और फिर्यादोको कहाँ रसोई बनायो गई थी ?

उ०—माताने सोढियोके पासकी कोठरोमे रसोई बनायो थी और फिर्यादोको रसोई भोतरी कोठरीमें बनी थी ।

प्र०—महार (भंगो) तुमने कब देखे थे, क्या कर रहे थे ? और कितने थे ?

उ०—मैने उन्हें (भंगियोको) सुबह करीब आठ बजे विरतर (बिछोने) आदि बिछाते थे, वे दो थे ।

प्र०—तुम क्या बिछोने पर बैठे थे ?

उ०—नहीं, मै खालो जमीन पर बैठा था ।

प्र०—वे महार (भंगो) अस्पृश्य बोडिंगके तो न थे ?

उ०—नहीं, उस समय तक तो बोडिंग खुला ही न था ।

प्र०—महार कहाँ तक जाते तुमने देखे ? और क्या करते देखे ।

उ०—वे दोनो महार जाते तो सिर्फ बरंडा तक देखे थे और काम करते उपयुक्त अनुसार (बिछोना आदि बिछाते) देखे थे ।

प्र०—तुम्हारे यहाँ क्या महार ये काम करते हैं ?
और यदि करें तो क्या समस्त घर अपवित्र नहीं हो
जायगा ।

उ०—हमारे यहाँ घरोंमें महार लोग उषयुक्त
काम नहीं करते और यदि करें तो उससे समस्त घर
अपवित्र हो जाता है या नहीं मैं नहीं कह सकता ।

प्र०—तुम्हारी तनखा क्या है ? और क्या तुमने
कभी तोर्थ का हिसाब किताब भो रखा था ?

उ०—मैं ३३) तैतोम रूपये प्रतिमास पाता हूँ ।
मैंने तोर्थ पर कभी हिसाब किताब (बहोखाता)
लिखनेका काम नहीं किया ।

प्र०—पंचोनि क्या फिर्यादीके लिये लिख कर
तुम्हें कोई पत्र दिया था ?

उ०—हाँ पंचोनि एक पत्र लिख कर मुझे
फिर्यादीके लिए दिया था ।

प्र०—चिट्ठी नूद (वारनिशी) क्या क्षेत्र पर है ?

उ०—मुझे नहीं मालूम, है या नहीं ।

प्र०—बकाया रूपया किस बाबतका था ? और
किनर्न समय तकका था ?

उ०—मन्दिरमें नीकर चाकर आदिका जो खर्च
होता है उसी बाबतका बकाया था परन्तु यह नहीं
मालूम कि वह कबसे कब तकका खर्च लगा कर चिट्ठा
बनाया गया था ।

प्र०—मन्दिरका खर्च क्या पंचोंको करना लाजिमी नहीं है ?

उ०—मैं नहीं जानता कि वह पंचोंको करना लाजिमी है या नहीं ।

प्र०—कोठारो या कोठारोके पिता प्रतिवष कितना खर्च किया करते थे ?

उ०—मुझे नहीं मालूम कि कितना करते थे ।

प्र०—तुम हिसाबकी विगत माथ ले गये थे ?

उ०—नहीं, मैं विगत नहीं ले गया था ।

प्र०—फिर्यादोने तुमसे पंचोंको अर्थ छय्य करने बावत शिकायत को थी ? और क्या विगत भी मांगो थी ?

उ०—नहीं, उमने मुझसे पञ्चाको कुछ भी शिकायत नहीं की, और न रुपयेको विगत (ग्योरा) हो पूछी ।

प्र०—हिसाब किताब कहाँ रहता है ?

उ०—कुंथलगिरि क्षेत्र पर ।

प्र०—इन्दौरकर (इन्दौरवामो वे मयाशह जिनका बनाया मन्दिर कुंथलगिरि पर है) क्या जीवित हैं ?

उ०—नहीं, वे मर चुके हैं ।

प्र०—तुमसे और फिर्यादोसे क्या भगडा हुआ था ?

उ०—नहीं, फिर्यादोसे मुझसे उक्त विषयको ले

कर कोई भगदा नहीं हुआ, केवल उतनी ही बात-चीत हुई जो मैंने पहिले कही है।

प्र०—जब तुम नगादा करने गये तब नौकरो पर आए कितने दिन हुए थे ?

उ०—तब मुझे कुल छह महीने नौकरी करते हुए थे।

बेलगाम	}	(सही) आर० एन० किणी
५ ८-२५		फष्ट क्लास आनरेरो मजिस्ट्रेट

पं० शान्तिनाथजी न्यायतीर्थकी साक्षी ।

—#—

आपने अपने पिताका नाम ब्रह्मनाथ, जाति जैन उम्र ३० वर्ष, पेशा अध्यापकी, वासस्थान, शिडवाल, जिला बेनगांव उतलाते हुए नोचे लिखे प्रकार श्रियुत मजूमदार वकीलके प्रश्नोंका उत्तर देना प्रारम्भ किया ।

म०—आपने संस्कृतको कौन कौनसी परीक्षाएं पास की हैं, और इस समय क्या काम करते हैं, कितनी आमदनी है ।

श०—मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटीकी न्यायतोष और बडौदाको शास्त्री परीक्षा पास है। मैं शिडवालमें अध्यापकोका कार्य करता हूं, मुझे वहां ५५)

रुपये मासिक मिलते हैं। मेरे कुछ जमीन भी हैं जिसकी आमदनी प्रतिवर्ष दो हजार रुपये है।

म०—फिर्यादी की कबसे पहचानते हो।

शा०—मैं उसे सन १८०८ या १० से पहचानता हूँ।

म०—हिन्दी जानते हो ?

शा०—हाँ। मैं हिन्दी जानता हूँ; उसे पढ़ भी सकता हूँ।

म०—जैनगजटमें जो लिख ता० २२-१-२५ के अङ्कमें कृपा है “बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारो कौन है” उसे क्या आपने पढ़ा है ?

शा०—हाँ, मैंने उसे पढ़ा है ?

म०—‘धरेजा’ और ‘करावा’क अर्थमें क्या अन्तर है ? मराठीमें उनको क्या कहते हैं ? विधवाविवाहमें और धरेजामें क्या भेद है ?

शा०—धरेजा और करावा दोनों शब्दोंका एक अर्थ है। मराठीमें उन्हें ‘पाट’ अथवा ‘मुहुतूर’ कहते हैं। धरेजा और विधवाविवाह भी समानार्थक है।

म०—उस लेखमें जो ‘हाथ साफ करना चाहते हैं’ यह वाक्य है उसका क्या अभिप्राय है ?

शा०—उसका अभिप्राय “कजा या अधिकार करना चाहते हैं” यह है।

म०—इस लेखको पढ़ कर फिर्यादीके आचार विचारके विषयमें आपका क्या अभिप्राय हो गया ?

शा०—इस लेखको पढ़ कर फिर्यादीके आचार विचारके सम्बन्धमें मेरा कुछ भी अभिप्राय (मत) नहीं बदला, कारण मैं फिर्यादीके आचार विचारको इस लेखके पढ़नेसे पूर्व ही जानता था कि वह जैन धर्म के विरुद्ध हैं।

म०—फिर्यादीके धर्मविरुद्ध आचार विचार आपने कहां देखे ?

शा०—आजसे कोई ५-६ साल पहिले तासगांवमें एक सभा हुई थी जिसमें फिर्यादीने 'सत्यशाधक समाज' के विषयमें व्याख्यान दिया था। मैं उस सभामें हाजिर था। यह सभा सायंकालको कोई ५ बजेके करीब खतम (पूर्ण) हुई थी। उसके बट मैं फिर्यादीके साथ उसी गाव (तासगांव) के 'महारवाडा' (भङ्गियोंका मुहल्ला) में गया। फिर्यादीके साथ उस समय एक और महाशय थे। फिर्यादीने वहां जा कर भङ्गियोंको उपदेश दिया कि—

'तुम लोग ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हो।' इसके बाद 'पार्वती' नामक एक महार (भङ्गी) ने फिर्यादीसे 'चाय पीने' की प्रार्थना की जिसे खोकार कर फिर्यादीने उस महार (भङ्गी) के हाथका बना कर लाई हुई, चाय पीली।

म०—उस समय और भी किसीने चाय पी थी ?

शा०—हां। साथमें जो दूसरे मन्नाशय थे उन्होने पी थी।

म०—आपने भी क्या पी थी ?

शा०—नहीं, मैंने उसे नहीं पीया।

म०—फिर क्या हुआ ?

शा०—उसके बाद फिर्यादो शहरमें चला गया और मैं अपने घर (शास्त्रीजीका घर तामगांवमें है) आया।

म०—फिर्यादो क्या दि० जैनसमाजका नेता है ?

शा०—नहीं, वह (बाळचन्द कोठारी) दि० जैनसमाजमें नेता नहीं माना जात, बल्कि उसके धर्मविरुद्ध आचार विचार हैं इसलिये घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है।

बेलगांव } (सही) आर, एन, क्रिष्णो

५-८-२५ } फष्टक्लाम आनरेरी मजिस्ट्रेट

ता० ५-८-२५ को कोर्ट बन्द होनेका समय हो जानेसे और दूसरे दिन छुट्टी होनेके कारण ता० ७-८-२५ को फिर्यादोके वकीलने जिरह करना प्रारम्भ किया जिसका उत्तर शास्त्रीजीने इस प्रकार दिया।

प्र.—कोल्हापुरमें क्या पण्डित लालारामजी (आसामी नं० २) ने तुम्हें पढ़ाया था ?

उ०—नहीं। मुझे उन्ही ने नहीं पठाया।

प्र०—हिन्दी भाषाकी क्या कोई परीक्षा तुमने दी है ?

उ०—नहीं।

प्र०—हिन्दीमें कोई पुस्तक लिखी है ?

उ०—नहीं।

प्र०—हिन्दी आपकी मातृभाषा है ?

उ०—नहीं, हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है परन्तु मैंने मुरैना पाठशालामें संस्कृतके साथ उसका अभ्यास किया है।

प्र०—'हाथ साफ करन' का अर्थ जो आपने बतलाया है वह किसो पुस्तकमें दिखा सकते हैं ?

उ०—नहीं।

प्र०—'विवाह' शब्द कौनसी धातुसे बना है और उसका क्या अर्थ है ?

उ०—विवाह 'वह' धातुसे बना है और उसका अर्थ 'कन्याका वरण करना' है।

प्र०—धरिजा और विवाहमें क्या अन्तर है ?

उ०—विवाहमें धार्मिक उत्सव किया जाता है और धरिजा अथवा करावामें कोई धार्मिक उत्सव नहीं होता।

प्र०—न० २३-४ के आसामियोंको कबसे जानते हो और उनमें कहां पहिचान हुई थी।

उ०—मैं उन्हें करीब ८-९ सालसे जानता हूँ, मेरी उनकी पहचान बनारसमें हुई थी।

प्र०—क्या दि० जैनसमाज अथवा दिगम्बर महासभामें पण्डितपार्टी और बाबूपार्टी दो पार्टियाँ नहीं हैं।

उ०—नहीं, कोई पार्टी नहीं है।

प्र०—गत दिसम्बर मासमें जो शेडवालमें महासभा हुई थी उसमें क्या उक्त दोनों पार्टियाँ नहीं थी।

उ०—नहीं।

प्र०—प्राग्ने उस सभामें काम नहीं किया था ?

उ०—नहीं, मैंने उसमें कुछ काम नहीं किया, मैं तो प्रतिनिधि था।

प्र०—सञ्जककमेटोके चुनावमें मतभेद था ?

उ०—हां ! लोगोको भिन्न भिन्न सम्प्रतिषां थो।

प्र०—महासभाने तब क्या किया ?

उ०—महासभाने सर्वसम्प्रतिसे पांच आदमियों की एक कमिटी बना दी जिसमें फिर्यादोका भी एक नाम था।

प्र०—वह जो लेख जैनगजटमें रूपा है (यहां जैनगजटका वह लेख दिखलाया गया जिस पर करीब शेडवालके ७० आदमियोंकी सही है। देखो ता० १२-१-२५ का जैनगजट पृष्ठ १६१) वह क्या तुमने पढ़ा है और उस पर तुम्हारे दस्तावेज हैं ?

उ० - हाँ ! वह जिस समय मेरे पास हस्ताक्षर करनेके लिए लाया गया था उस समय जल्दी जल्दी पढ़ा था और उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये थे। लेखका मजमून मैंने देख लिया था।

प्र०—इस लेखको तुम्हारे पास कौन लाया था और इसे किसने लिखा था, जिस समय तुम्हारे पास लाया गया, उस पर किसीके हस्ताक्षर थे या नहीं ?

उ०—मुझे याद नहीं कि इस लेखको कौन मेरे पास लाया था और न यह जानता हूँ कि उसे किसने लिखा था। जिस समय वह मेरे पास लाया गया था उसके नीचे कुछ लोगों के हस्ताक्षर थे।

प्र०—इस लेखमें 'पण्डितपाटीका बहुमत था' ऐसा लिखा गया है यह तुम्हें मालूम है ?

उ०—मुझे याद नहीं कि उस लेखमें यह वाक्य था वा नहीं।

प्र०—इस लेखमें फिर्यादों (कोठारों) के गुण दोषका विवेचन है यह तुम्हें मालूम था ?

उ०— नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया।

प्र०—इस लेखमें 'आपने पिता द्वारा बनवाये गये मन्दिरको भङ्गी चमारोंके हाथ बेचनेवाले' जो लिखा गया है, वह कोठारों (फिर्यादों) को उद्देश्य कर लिखा गया है न।

उ०—नहीं, वह कोठारो (फिर्यादी) को उद्देश्य कर नहीं है ।

प्र०—तब वह किसकी उद्देश्य कर है ?

उ०—मैं नहीं कह सकता कि वह किसको उद्देश्य कर है ।

प्र०—प्रथम दिन सभामें कितने व्याख्यान हुए ? और दूसरे दिन कितने ?

उ०—पहिले दिन तीन व्याख्यान हुए और दूसरे दिन एक भी नहीं ।

प्र०—दूसरे दिन सभाकी बैठक कै घण्टे हुई थी ? और उसमें क्या हुआ ?

उ०—दूसरे दिन सभा तीन घण्टे हुई थी और लोग भिन्न भिन्न बोल रहे थे ।

प्र०—मन्दिर विक्रीका अभियोग किस व्याख्याता पर लगाया गया है ?

उ०—उसका किमी व्याख्यातासे संबंध नहीं है ।

प्र०—सभाका मुख्य प्रबन्ध किसके हाथमें था ?

उ०—बालगौडा (पाटील शिडवाल) के हाथमें ।

प्र०—जिस पाठशालामें तुम पढाते हो उससे उसका क्या सम्बन्ध है ?

उ०—बालगौडा रत्नत्रय संवर्धक सभाके उपमन्त्री है और उस सभाके अधीन वह पाठशाला है जिसमें मैं पढाता हूँ ।

प्र०—'तासगाँवमें फिर्यादीने महार बाडे (भंगी-
योके घर)में चाय पी' यह बात क्या तुमने आसामि-
योसे पहिले कही थी ।

उ० आसामो नं० ३ और ४ (पं० मकबूलला-
लजी और पं० श्रीलालजी) मुझे जिस समय शिडवाल
सभामें मिने थे उस समय मैंने उनसे तासगाँवमें
फिर्यादीकी चाय पीनेकी बात नहीं कही थी, उसका
आचरण अधार्मिक है सामान्यतया इतना ही कहा
था । परन्तु ज्येष्ठ सुदी ५से ८मी तक शास्त्रपरिषद्का
अधिवेशन जो ऐनापुर (बेलगाँव) में हुआ था उस
समय मैंने तासगाँवका उक्त समाचार (हाल) उनसे
कह दिया था ।

प्र०—तासगाँवमें जो महारोंकी सभा भरी थी
उसमें कितने महार और कितने स्पृश्य थे ।

उ०—उसमें कोई ५०-६० तो महार (भंगी)
थे और मैं खुद, फिर्यादी (बालचंद कोठारी) और
कोल्हापुरका एक आदमी इस प्रकार तीन स्पृश्य थे ।

प्र०—जिस समय फिर्यादीने चाय पी उस समय
कितने महार थे और उस समय क्या तुमने चाय न
पीनेके लिये उसे कुछ सलाह दी थी ?

उ०—फिर्यादीके चाय पीते समय कोई ५-६,
महार (भंगी) रह गये थे, मैंने चाय न पीनेके लिये
उसे कोई सलाह नहीं दी ।

प्र०—तुमने इस बातको कहीं प्रकाशित कराया था ?

उ०—नहीं, मैंने प्रकाशित (छपाया) तो नहीं कराया, परन्तु कुछ लोगोंसे अवश्य कला था जिनके नाम मैं नहीं बता सकता ।

प्र०—जार्ज तो महार गवार्नी देन यहां आया है ?

उ०—नहीं । मैंने उसे हालमें (इन दिनों) में नहीं देखा है ।

प्र —हिन्दोमें षष्ठी और द्वितीया विभक्तिके चिह्नोंमें कुछ फर्क है ?

उ०—नहीं ।

प्र०—‘आपके घर’ इस वाक्यमें कौनसी विभक्तो है ?

उ०—षष्ठी ।

प्र०—‘आपकूँ मैं मिलना चाहता हूँ’ इस वाक्यमें कौनसी विभक्तो है ?

उ०—द्वितीया ।

फिर्यादोका वकील जिस समय जिरह बन्द कर बैठ गया तो श्रेयुत मजूमदारने मन्देहनिवारणार्थ प्रश्न किया कि—

दूसरे दिन महासभामें काग कारवाही हुई थी ?’

इसका उत्तर शास्त्रीजीने दिया कि उस दिन मजिस्ट्रेट कमेटोके मेम्बरोंके चुनाव पर बाद विवाद होता रहा था ।

इसके बाद श्रीमान् मजिस्ट्रेट माहवने पृच्छना प्रारम्भ किया ।

प्र०—महासभामें कमेटो (जो पांच आदमियोंको चुनो गई) चुननेके लिये क्या कोई प्रस्ताव किया गया था ?

उ०—नहीं, कमेटो चुननेका कोई प्रस्ताव नहीं किया गया । बादविवादमें उनकी नियुक्ति हुई और फिर किमोने कोई निषेध नहीं किया ।

प्र०—तासगावमें महारोंने क्या तुम्हें भी पीनेके लिये चाय दी थी ?

उ०—नहीं । मै फिर्यादोंके पोछे ४-५ हाथको दूरी पर था ।

प्र०—सभा कहा हुई थी ?

उ०—सभा खुनो जगहमें हुई थी परन्तु वह जगह महारवाडे (भंगियोंके वासस्थान) में ही थी ।

प्र०—सभासे जानेकी बाद तुमने स्नान किया था ।

उ०—नहीं ।

बेलगाम
७-८-२५

सही) पार, एन. किशोर,
फष्ट क्लास आनररो मजिस्ट्रेट

श्रीयुत नारायण गंगाधर खरेकी साक्षी ।

—.*: -

ईश्वरको शपथ लेनेके बाद अपना धर्म हिन्दू, जाति ब्राह्मण उम्र ४४ वर्ष, पेशा समाचारपत्रोंको एजेंसो, निवासस्थान पूना बतलाते हुये श्रीयुत मजूमदार वकीलके पूछने पर कहना प्रारम्भ किया ।

म०—तुम सन्देश पत्रके एजिएंट थे ।

ना०—हां ।

म०—तुम फिर्यादीको जानते हो, वह उसका ग्राहक था या नहीं ।

ना०—हां । वह सन्देशका ग्राहक था ।

म०—ता० ४-६ १८१८के सन्देशपत्रको फायल तुम्हारे पास है और क्या उसे पेश करते हो ।

ना०—हां । (इस पत्रमें 'बालचन्दो अत्याचार' हेडिंग देकर पंठरपुरमें जो फिर्यादीने जैनमन्दिर और बिडोवाके मन्दिरमें भंगो चमारोंको घुमानेका प्रयत्न किया था तथा भंगो चमारोंके साथ खानेकी प्रतिज्ञा की थी उसीका विस्तृत विवरण छपा हुआ है)

फिर्यादीके वकीलने जब पेश किये गये सामाचारपत्रको जिम्मेदारीका प्रश्न किया तो गवाहनका—

पृष्ठ ४ पर 'बालचन्दी' नामक जो लेख छपा है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, न मैं उसके लेखकको पहिचानता हूँ और न उसकी सत्यता असत्यताके विषयमें कुछ जानता हूँ।

बेलगाम

७-८-२५

}

(सही) आर, एन, किषी,

फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट,

श्रीमान् शैठ फूलचन्द हीराचन्द जी शाह संपादक 'हूमड-बन्धु'की साक्षी ।

—*—

आपने कोर्ट को कायदे-पूर्ति करनेके बाद अपनी उम्र ३२ वर्ष, जाति हम्मड, पेशा व्यापार और निवासस्थान शोलापुर बताते हुए अयोग्य मजूमदार वकीलके प्रश्नीका इस प्रकार उत्तर देना प्रारम्भ किया ।

प्र०—आप क्या फिर्यादीको पहिचानते हैं ?

उ०—हाँ। मैं उसे पहिचानता हूँ, उसकी और मेरी जाति एक हैं ।

प्र० सखाराम देवचन्दजी और उनके भाई निमिचन्दजीको जानते हैं ?

उ०—हां ! मैं उन्हें जानता हूँ ।

प्र०—नेमिचन्द्रजीका फिर्यादीसे क्या सम्बन्ध है ?

उ०—वह उसके पट्ट शिष्य हैं ।

प्र०—आप क्या कोई मासिक पत्र निकालते हैं ?

उ०—हां ! मैं गत दिवालीसे 'ह्रमड्वन्धु' नामक एक मासिक पत्र निकालता हूँ ।

प्र०—फिर्यादीके तरफसे आपको क्या कोई नोटिस मिला है ?

उ०—हां ! मुझे एक नोटिस मिला है और वह यह है (यहां आपने एक पोष्टकार्ड पेश किया) मैंने मागंशोषं और पौषके संयुक्त अंकमें पृष्ठ १३ पर जो संपादकीय टिप्पणी लिखी है उसीको लक्ष्य कर यह नोटिस दिया गया है । फिर्यादीका कहना है कि उसने गत दिसम्बर १८२४में जो बिलगाममें महामण्डल हुआ था उसमें कुछ नहीं कहा । जिस अङ्कमें वह टिप्पणी छपी है वह यह है (यहां 'ह्रमड्वन्धु' का मागंशोषं पौषका संयुक्त अङ्क पेश किया)

प्र०—नोटिस मिलनेके बाद आपसे क्या नेमिचन्द्र मिले थे ? और क्या कहा था ?

उ०—नोटिस पानेके बाद मैंने उनसे मुलाकात हुई थी, उस समय उन्होंने (नेमिचन्द्रने) कहा था कि—“तुम इस केशमें फिर्यादी कीठारीके विरुद्ध

गवाही मत दी, यदि होगी तो (फिर्गदी) तुम पर भी फिर्गद (केश) करेगा ।” मैंने उत्तर दिया कि—
“मैं जो कुछ सत्य है उसे कहूँगा ।”

प्र०—फिर्गदीने क्या कभी कोई व्याख्यान शोलापुरमें दिया था ?

उ०—हां । आजसे ५-६ साल पहिले श्रीपन्नालाल ऐलक महाराजके केशलोचके समय फिर्गदीने श्रेष्ठ हीराचन्द अमोषन्दजी (शोलापुर) के घरमें छत पर सामाजिक विषय पर एक व्याख्यान दिया था इस व्याख्यानमें उस (फिर्गदी) ने कहा था कि—मन्दिरोके बमवानेकी कोई जरूरत नहीं है ।

मैं स्वयं अपने मन्दिरको बेच देनेके लिये तत्पर हूँ ।

और उसकी आई कीमतकी गिनामें व्यय करनेके लिये । इस सभामें पं० वंशीधरजी सभापति थे ।

प्र०—फिर्गदीका कोई अस्पृश्य बोर्डिङ्ग है ?

उ०—हां । वावी (फिर्गदीके गाँवका नाम है) में उसने एक अस्पृश्य बोर्डिङ्ग करीब दो वर्ष से चालू कर रखा है ।

प्र०—उसके सुपरिण्टेंडण्टको आप जानते हैं ?

उ०—हां ! उसका नाम लिङ्गप्पा ऐदाले' है । वह जातिका महार (भङ्गी) हैं ।

प्र०—आपने उक्त एदाले और फिर्यादीको कभी साथ देखा था ?

उ०—हा । आजसे कोई सवा वर्ष पहिले मैंने एदाले और फिर्यादी (कोठारो) को एक साथ रेलमें बैठे देखा था । वे दोनों एक ब्येसरो (कंपार्टमेंट) में थे और मैं दूसरीमें था ।

प्र०—वे और आप कहसि जा रहे थे और कब चले थे ।

उ०—हम लोग पूनासे कोई सवा आठ बजे सुबह चले थे । मैं शोलापुर जा रहा था । एदाले और फिर्यादी कोई दुपहरको साढ़े तीन बजे कुलदवाडो (स्टेशन) पर उतर गये थे ।

प्र०—फिर्यादीने बीचमें करा नास्ता (भोजन) किया था ? और किया था तो करा ?

उ०—हा ! उन दोनों (कोठारो) और एदाले (महार) ने धौड स्टेशन पर नास्ता किया था ।

एदाले (साथका अस्पृश्य) होटलसे पूड़ी तथा अन्य खानेको चीजें लाया था और फिर रेलमें ही उन दोनोंने एक साथ बैठ कर उन्हें खाया था ।

प्र०—आप करा जैनगजट पढ़ते हैं और उसमें “बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारो कौन है” यह लेख पढा है ? उसे पढनेके बाद आपके विचार फिर्यादीके चाल चलनेके वास्तव कैसे हो गये थे ?

७०—हां ! मैं जैनगजट पढ़ा करता हूँ, उसमें छपे “बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है” इस लेखको भो मेने पढ़ा है। उसे पढ़ लेनेके बाद मेरे विचार फियर्दीके चाल चलनेके विषयमें पहिले जैसे थे वैसे ही बने रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि महारों (भद्रियों)के साथ खान-पान और छूआ छूत करनेके बाबत जैसा इस लेखमें लिखा गया है फियर्दीके आचार विचार वैसे ही हैं यह मुझे पहिले ही मालूम था।

इसके बाद फियर्दी (बालचन्द) ने स्वयं आपसे जिरह करना आरम्भ किया और आपने इस प्रकार उत्तर दिया—

बा०—गोलापुरमें हीराचंद देवचंदका बनवाया जो रत्नत्रय नामक मन्दिर है उसके विषयमें जो पंचों और मन्दिरके मालिकमें भगडा चला था उसकी आपको क्या खबर है ?

शेठजी—हां ! वह मन्दिर शेठ हीराचन्द सखा-रामजीका बनवाया हुआ है परन्तु “पंचोंके हाथमें वह मन्दिर दे देना चाहिये” ऐसा लोग किस हेतुसे कहते थे यह मुझे मालूम नहीं।”

बा०—पंचोंके सुपुर्द मन्दिर कर देना ठीक है या नहीं ?

शे०—मैंने इस विषय पर कुछ विचार नहीं किया है ।

बा०—आप पण्डित पार्टीमें शामिल हैं न ?

शे०—नहीं ।

बा०—आपने उसकी पक्ष ली तो है ।

शे०—नहीं, मैंने कभी उस (पण्डितपार्टी) का पक्ष ग्रहण नहीं किया ।

बा०—'झमड-बन्धु' के पृष्ठ ८ पर जा 'संपादकीय स्फुट विचार' लिखे गये हैं उनका लेखक कौन है ?

शे०—उनका लेखक मैं हूँ ।

बा०—उक्त लेखमें बाबूपार्टीके दोष बतलाये गये हैं न ?

शे०—नहीं, उसमें सिर्फ धार्मिक पार्टीसे उस पार्टीका मेद बतलाया गया है ।

बा०—धार्मिकपार्टी किसे कहते हैं ?

शे०—जो धर्ममार्ग पर चलती है ।

बा०—पण्डितपार्टी उसीका नाम है न ?

शे०—नहीं, मैं नहीं जानता कि पण्डितपार्टी क्या चीज है ।

बा०—आपने पृष्ठ ११ (झमडबन्धु) पर पण्डित पार्टीका फिर उल्लेख कैसे किया है ।

शे०—वहां मैंने लोगोंको समझका उल्लेख किया है कि 'पण्डित पार्टी' नामकी एक पार्टी भी है ऐसा वे कहते हैं ।

बा०—नं० ४ के आरोपी (पं० श्रीलालजी) की साथ बलसंग (शोलापुर) आप प्रेसकी सहायतायें रूपया बूकड़ा करने गये थे ?

से०—हां। परन्तु प्रेसकी सहायतायें नहीं, बल्कि संस्थाकी सहायतायें गया था और वह पब्लिक संस्था है।

बा०—आपने अपने मासिक पत्र (इमडबन्धु) में उक्त संस्थाकी सहायतायें लोगोंसे अपील की थी ?

से०—हां।

बा०—पं० श्रीलालजी शोलापुरमें किसके यहां ठहरे थे ?

से०—मुझे नहीं मालूम।

बा०—उन्होंने (श्रीलालजीने) जो अपने भ्रमणकी रिपोर्ट छपाई है वह आपने पढ़ी है ?

से०—नहीं।

बा०—यह ग्रिथ किसे कहते हैं ?

से०—जिसके आचार विचार ठीक मुझके से हों।

बा०—नेमिचन्द्र देवचन्द्रने अस्पष्टोंके साथ खान पान करनेका कामी पब्लिकमें उपदेस दिया है ?

से०—नहीं।

बा०—वे (नेमिचन्द्र देवचन्द्र) कया विधवाविवाहके पक्षपानी हैं ?

श्री०—हां।

बा०—उन्होंने इसका पब्लिकमें उपदेश दिया है ?

श्री०—नहीं।

बा०—फिर आप कैसे समझते हैं कि वो विधवा-विवाहके पक्षपाती हैं ?

श्री०—उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत (प्राइवेट) इस विषयमें कहा है।

बा०—उनके इन विचारोंको अन्य भी कोई जानता है ?

श्री०—दूसरोंकी तो मुझे मालूम नहीं, परन्तु उनके (नेमचंद देवचंदके) भाई सखाराम देवचंदने मुझसे उनके उक्त विचार कहे थे।

बा०—नेमचंद देवचंद बेलगांव आये थे न ? और उन्हें आपने गृहपुर बेलगांव तथा इस कोर्टमें देखा था न ?

श्री०—नहीं, मैंने उन्हें यहां कहीं भी नहीं देखा।

बा०—श्रीलापुरमें पं० केशीधरजोकी अध्यक्षतामें जो सभा हुई थी उसे किसने बुलाया था और वहां (उस सभामें) कौन कौन उपस्थित थे ?

श्री०—सभा किसने बुलायो थी यह तो मुझे नहीं मालूम परन्तु उसमें सेठ गुलाबचंदजी और एक

भोहील (सोलापुर) वासी सेठजी तथा अन्य बहुतसे लोग उपस्थित थे । मैं उस समय शोलापुरमें न रहता था इसलिये सबके नाम नहीं कह सकता ।

बा०—मंदिरका विषय धार्मिक है न ?

शे०—हां ।

बा०—सभापतिने अपने व्याख्यानमें क्या कहा था ?

शे०—उनके बोलते समय मैं सभामें हाजिर न था अतः नहीं कह सकता ।

बा०—मेरे (फिर्यादोके) आचार विचार आप कितने दिनोंसे जानते हैं ?

शे०—ऊरीब आठ वर्षसे ।

बा०—पूना क्या आप सदा आया जाया करते हैं और वहाँ कहाँ ठहरते हैं ?

शे०—मैं पूना सालमें एक दो बार जाया करता हूँ और मंदिरमें ठहरता हूँ ।

बा०—उस (रेलके) कम्पाटमें कितने आदमी थे ?

शे०—बहुत थे, वह भरा हुआ था ।

बा०—आप उस समय कहाँ थे ?

शे०—मैं उस समय उसी कम्पाटमें था परन्तु मैं बैठा दूसरे कम्पाटमें था ।

बा०—क्या आपने मुझे (फिर्यादोको) - उस समय

(महारके साथ खाते देख कर) वैसा न करनेके लिये कहा था ?

शेठ—हां । परन्तु तुमने (फिर्यादीने) उत्तर दिया था कि वे भी आदमी हैं, इसलिये उनके (महार-मंगियोके) साथ खानेमें कोई ऐतराजकी बात न होनी चाहिये ।

बा०—घापने इस बातको अपने पत्रमें छपाया था ?

शे०—नहीं, उस समय मेरा पत्र (इमडबन्धु) प्रकाशित हो न होता था ।

बा०—यह घटना किस महीनेमें हुई थी ?

शे०—महीनेका नाम मुझे याद नहीं है ।

बा०—धार्मिक पंचायतके समय क्या यह घटना उपस्थित की गई थी ?

शे०—नहीं ।

बा०—मै (कोठारी फिर्यादी) जिस कम्पाटमेंगट-में था उसमें और कौन २ थे ।

शे०—उनको मै नहीं पहचानता ।

बा०--पेटाली (फिर्यादीके साथी महार) की उम्र कितनी है ?

शे०—कोई ४०-४५ वर्षको ।

बा०—घरमें बिछौने आदि बिछानेके लिये यदि

महार (भंगी) रख लिया जाय तो धार्मिक विद्वत्ता
घाती है या नहीं ?

श्री०—हाँ जाती है ।

बा०—घरमें महार (भंगी) नौकर रखनेसे जाति
वहिष्कार होगा या नहीं ?

श्री०—हाँ ! जाति वहिष्कार हुआ है ।

बा०—मेरा (फिर्यादीका) जाति वहिष्कार
हुआ है ?

श्री०—मुझे समाचार नहीं मिले है और न मैंने
इस विषयमें कुछ पूछ-ताछ ही की है ।

फिर्यादीके जिरह कर चुकने पर कुछ सभेदोंके
निर्णयार्थ—श्रीयुत मजूमदार साहबने पुनः सेठजीसे
प्रश्न किया कि—

म०—जातिवहिष्कार करना किसका काम है ?

श्री०—खानीय पञ्चायतकी ।

म०—बाबी (फिर्यादीके गांव)में उसकी (फिर्यादी-
की) जातिके कितने घर हैं ?

श्री०—सिर्फ एक उसी (फिर्यादी) का ।

म०—घांपने सत्त (महारके साथ फिर्यादीके खाने-
की) घटना क्यों प्रकाशित नहीं की ?

श्री०—फिर्यादीके आचार विचार सबको ज्ञात ही
थे इसलिये मैंने उसे प्रकाशित नहीं कराया ।

इसके बाद मजिस्ट्रेट साहबने पूछा कि—“जिस कर्म्याटमेंगटमें भिन्न भिन्न जातिके लोग--स्पृश्य अस्पृश्य सब बैठे होते है उसमें उच्चजातिके जोमते हैं या नहीं” श्री आपने (सेठ फूलचन्दजीने) उत्तर दिया कि “जोमनेवाले जोमते है” ।

बिलगाम	}	(सही) धार. एन० कीर्षी०
८-८ २५		फर्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

श्रीमान् न्यायतीर्थ पं० वंशीधरजी शास्त्रीकी साक्षी ।

—:~:—

आपने सर्कारी नियमको पाव'दो करनेके बाद अपनी जाति जैन, पिताका नाम उदयरज, उम्र ४० वर्ष, पेशा प्रेसको मालिकी और निवासस्थान शोलापुर बल्लात हुए श्रोयुत मजूमदार वकीलके प्रश्न करने पर कहना प्रारम्भ किया

म०—आप क्या किसी प्रेसके मालिक है ?

शा०—हां, मैं श्रीधर प्रेसका मालिक हूँ ।

म०—आप शास्त्रिपरिषद्के मन्त्री हैं न ?

शा०—हां ।

म०—उस परिषद्की तरफसे क्या कोई मासिक पत्र निकलता था और उसके आप सम्पादक थे ?

शा०—हां ! जैनसिद्धान्त नामक एक मासिक पत्र उक्त परिषद्से निकलता था और उसका मैं सम्पादक था ।

म०—आपको क्या कोई सर्कारी यूनिवर्सिटीकी तरफसे टाइटल (पदवी) मिला था ?

शा०—हां, पञ्जाब यूनिवर्सिटीकी तरफसे शास्त्री और कलकत्ता यूनिवर्सिटीकी ओरसे 'न्याय तीर्थ', टाइटल मिले हैं ।

म०—आपने क्या कुछ ग्रंथ लिखे हैं ?

शा०—हां ! मैंने कुछ टीकाएं और व्याकरणका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है ।

म०—आप फिरीादी तथा नं० २, ३, ४ के आरोपियोंके जानते हैं ?

शा०—हां । मैं उन्हें जानता हूं ।

म०—सगलीके बालू नाना चौगलेको जानते हैं ? और उससे ड्रेनमें मिले थे ।

शा०—मैं उसे कम पहचानता हूं । ड्रेन (रेल) में मैं उससे नहीं मिला ।

म०—जैनगजटमें फिरीादीके विषयमें जो लेख छपा है उसे आपने पढा है ? और क्या उस विषयमें बालू नानासे आपने कुछ बात चीत की थी ?

जैनगजटका वह लेख तो मैंने पढ़ा है परन्तु उस विषयमें अथवा इस केशके (मुकदमाके) सम्बन्धमें बालू नानासे मैंने कभी कोई बातचीत नहीं की ।

म०—गनपत धोडी वा साठे माढ़ा (सोलापुर)-वालेको आप जानते हैं ? उससे आपने इस केश (मुकदमा) में साक्षी संग्रह करनेकी वाधत कहा था ?

शा०— मैंने उक्त नामके किसी आदमीकी नहीं जानता और न उससे मैंने कभी कोई बात चीत हो साक्षी संग्रह करनेके लिये की है ।

म०—कोठारो (फिर्यादी) ने क्या कभी आपके सभापतित्वमें व्याख्यान दिया था ?

शा०—हां ! आजसे करीब ५॥ माई पांच वर्ष पहले सोलापुरमें फिर्यादीने मेरे सभापतित्वमें समाजिक विषय पर एक व्याख्यान दिया था ।

म०—क्या फिर्यादोका कोई मन्दिर कुन्वसगिरि पर है ?

शा०—हां !

म०—आपके कैसे जाना कि उसका वहां मन्दिर है ?

शा०—मैंने स्वयं फिर्यादीसे समझा । उस (फिर्यादो)ने व्याख्यान देते समय कहा था कि—

उम (फ़िर्यादी) का वहाँ एक मंदिर है और वह उसे (मंदिरको) शिक्षाकी उन्नति करनेके लिये बेच देने तयार है ।

म०—क्या आपको फ़िर्यादीके समाज वास्तविक विचार मालूम हैं, और है तो क्या है ?

शा०—हां । मुझे उसके विचार मालूम हैं । फ़िर्यादीका कहना है ।

मन्दिरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन मन्दिरोंसे समाज वास्तविक होता है ।

म०—जैनोंमें क्या भेद है ?

शा०—हां ।

म०—आपने क्या जैनशास्त्रोंका अभ्यास किया है ?

शा०—हां ?

म०—जैनशास्त्रोंके अनुसार अष्टपुत्रोंका स्वर्ण और विधवाओंका विवाह आयत्त है या नहीं ?

शा०—नहीं ।

म०—आप शिडवालमें जो महासभा हुई थी उसमें गये थे ? और वहाँ फ़िर्यादीको क्या महामन्त्री बना गया था ?

शा०—हां । मैं शिडवाल-महासभामें गया था

परन्तु फरिादी वहां महामन्त्री नहीं चुना गया ।

म०—फरियादी ५ आचार विचार विधवा विवाह और कूताकूतके विषयमें कैसे हैं ?

शा०—वह विधवाविवाह करनेके लक्षमें है । वह मशर मांग (भंगी चपारों) के साथ खान पान करना उचित वजाता है और साथ उन भंगी चपारों) के साथ खान पान करनेके लिये तयार है ।

म०—फरियादी दक्षिणका जैनसमाजमें क्या नेता समझा जाता है ?

शा०—नहीं, उसे जैन लोग नेता नहीं मानते ।

म०—धरेजा, करावा और विधवाविवाह इन तीनोंके अर्थमें क्या फर्क है ?

शा०—कुछ नहीं । तीनों शब्दोंका समान अर्थ है ।

म०—धरेजा कौनसी भाषाका शब्द है और मराठी भाषामें उसे क्या कहते हैं ? (शास्त्रीजीने अपने वयान (इजहार) मराठी भाषामें दिये थे इस लिये आपको मराठीका ज्ञाता समझ कर पूछा गया)

शा०—धरेजा शब्द हिंदी भाषाका है, मराठामें उसे 'पाट' कहते हैं ।

म०—'करावा' शब्दका क्या अर्थ है ?

शा०—'करावा' का भी वही (विधवाविवाह) अर्थ है ।

म०—पं० गोपालदासजीको आप जानते हैं ?

शा०—हां । मैं उन्हें जानता हूँ, परन्तु अब वे नहीं (स्वर्गत) हैं ।

म०—क्या उन्होंने 'धरेजा और करावा' विषय पर लेख लिखे थे ?

शा०—हां । उन्होंने उक्त विषय पर बहुतेसे लेख लिखे थे । वे शास्त्री थे । उनके लेख 'जेमसिद्धान्तमे' उद्धृत किये गये हैं । उन लेखोंमें विधवाविवाह अर्थात् धरेजा' इस शब्दका भी एक लेख है ।

म०—सुतरां शब्दका यही नहीं किन्तु 'यह अर्थ है क्या ?

शा०—नहीं, उम (सुतरां) का 'यही नहीं किन्तु' यह अर्थ नहीं है । उसका अर्थ 'इसलिये, अतः कारणात्' है ।

म०—'हाथ भाफ करना चाहते हैं' इस वाक्यका क्या अर्थ है ?

शा०—उसका अर्थ 'अधिकार करना चाहते हैं' यह है ।

बेलगांव

३०-६ २५

(सही) आर, एन, किणी

फष्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

ता० ३० को फर्यादोंके वकीलने शास्त्रीजीसे जिरह (क्रीस) करनेके लिये अपनेको तयार न बत लाया और इसलिये कोर्टसे दूसरे दिनको मुहलत मांगी । तदनुसार उस दिन आगे कुछ कार्य न हुआ । ता० १ ९-२५ को एक बजे कोर्ट खुला । आज फर्यादोंके पक्षसे दो वकील खड़े किये गये, धावते प्रभृति मांगली तकके लोग भी आये थे ।

कोर्टके नियमोंकी पावन्दो कर चुकनेके बाद शास्त्रीजीसे जिरह हुई और आपने निम्न प्रकार प्रश्नोंका उत्तर देना प्रारम्भ किया ।

व०—जबसे ज्ञान हुआ है तबसे सब क्रियायें क्या आप जैनधर्मके अनुसार करते हैं ?

शा०—हां ।

व०—आपने सोमसेनकृत त्रैवर्णिकाचार पढ़ा है ? (यहां मराठी भाषान्तर छपा हुआ ग्रन्थ दिखलाया)

शा०—हां । मैंने उसे पढ़ा है । परन्तु छपा हुआ नहीं, हस्तलिखितग्रन्थ पढ़ा है ।

व०—आपने जिस ग्रन्थको पढ़ा है वह (त्रैवर्णिकाचार) ही यह है न ?

शा०—मैं इसी समय नहीं कह सकता कि वह ही ग्रंथ छपाया गया है जो मैंने पढ़ा है या दूसरा ।

व०—उस ग्रन्थमें जो बिषय आपने पढ़ा था वह अपकी याद है न ?

शा०—हां ।

व०—आप पं० गजाधरलालजीको जानते हैं ?
और उन्होंने जो हरिवंशपुराण लिख कर प्रकाशित
किया है उसकी खबर है ?

शा०—हां ! मैंने सुना है कि उन्होंने हरिवंश-
पुराण नामक एक ग्रंथ लिख कर प्रकाशित किया है ।

व०—पं० श्रीलालजी (नं० ४ आरोपी)-ने उस
ग्रंथके प्रगट करनेमें पं० गजाधरलालजीकी मदद दी
थी यह आपको मालूम है न ?

शा०—यह मुझे नहीं मालूम ।

व०—आपने हरिवंशपुराण पढ़ा है ? और उसको
प्रामाणिक समझते हैं ?

शा०—हां ।

व०—भगवल्जिनसेनाचार्य कृत महापुराण आपने
पढ़ा है ? और वह आपको मान्य है ?

शा०—हां । (शास्त्रीजीने यहां कोर्टसे कहा कि
इस प्रकार प्रत्येक जैनग्रन्थकी मान्यता मुझे पढ़नेकी
कोई जरूरत नहीं है मुझे सर्व ही जैनधर्म शास्त्र
त्रैवर्णिकाचार प्रभृति मान्य हैं, मैं उन सबको प्रामा-
णिक समझता हूँ)

व०—त्रैवर्णिकाचारमें मौजीबन्धन संस्कार
किये बिना क्या विवाह करनेका विधान है ?

शा०—नहीं ।

व०—यदि किसीका मौजूबन्धन न हुआ हो तो ?

शा०—तो कहा जायगा कि उसके सम्पूर्ण संस्कार नहीं हुये ।

व०—ऐसे पुरुषको खाने पीनेकी वस्तुएं कूनीकी मनाई है ?

शा०—मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई मनाई नहीं है ।

व०—उसके यदि सन्तान उत्पन्न हो जाय तो वह धर्ममें भा सकता है या नहीं ?

शा०—हां । प्रायश्चित्त दे कर उसे ले सकते हैं । विवाह हो जानेके बाद अथवा विवाह हो कर सन्तान होनेके बाद प्रायश्चित्त दे कर मौजूबन्धन संस्कार किया जा सकता है और सन्तानकी समस्त धार्मिक क्रियायें करनेकी परवानगी दी जा सकती है ।

व०—इन बातोंका प्रमाण बता सकते है ?

शा०—हां ! मैं सोमवेन त्रैवर्णिकाचारके श्लोक इस विषयके दिखला दूंगा ।

व०—आपका मौजूबन्धन संस्कार हुआ है ?

शा०—मेरा तो विवाहसे पहले ही हो गया था ।

व०—महारीको संस्कृतमें क्या कहते है ?

शा०—श्वपच, अत्यज, चाण्डाल ।

व०—म्लेच्छ किन्हे कहते हैं और कौन कौन हैं ?

शा०—भार्य (लोगों) से भिन्नको म्लेच्छ कहते हैं और वे मुमलमान तथा ईसाई हैं। अन्य नाम मुझे इस समय याद नहीं पड़ती।

व०—म्लेच्छ और आर्यमें क्या अन्तर है ?

शा०—आर्योंमें शास्त्रोक्त कर्म, संस्कार और धर्मव्यवस्था है परन्तु म्लेच्छोंमें वह नहीं है।

व०—अस्पृश्य और म्लेच्छ दोनों एक है न ?

शा—नहीं क्योंकि अस्पृश्योंके लिये शास्त्रोक्त कर्ममें अर्थात् जैन शास्त्रोंमें उनके लिये नियम बतलाये गये हैं परन्तु संस्कार वा शास्त्रोक्त अन्य कर्म म्लेच्छोंके लिये कुछ नहीं कहे गये हैं। महार (भङ्गी, चमार) अर्थ-शिखा (आर्योंके सिद्धान्त) के अनुसार चलते हैं और म्लेच्छ नहीं।

व०—महार अथवा अस्पृश्य और म्लेच्छ इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ?

शा०—धार्मिक ख्यालके होनेके कारण अस्पृश्य म्लेच्छोंसे श्रेष्ठ हैं।

व०—महार क्या जैन बन सकता है ?

शा०—हां। महार लोग भी जैनधर्म पाल सकते हैं।

व०—जैन शास्त्रानुसार क्या अस्पृश्य स्मृश्र किया जा सकता है ?

शा०—नहीं, अस्पृश्य को स्पृश बनाने का जैनशास्त्रों में कहीं विधान नहीं है ।

व०—स्त्रोच्छ्र स्पृश हैं या अस्पृश ?

शा०—जैनशास्त्रों में स्त्रोच्छ्रों के ये दो भेद नहीं किये गये हैं आर्यों के स्पृश अस्पृश ये दो भेद हैं ।

व०—स्त्रोच्छ्रों को छूना चाहिये या नहीं ?

शा०—यह उनके पेशे (व्यापार) से संबन्ध रखता है ।

व०—यदि उच्च कार्य करने लगे तो महार (अस्पृश्य) स्पृश्य हो सकते हैं या नहीं ?

शा०—नहीं ।

व०—जैन राजा स्त्रोच्छ्रों को कन्याओं से विवाह कर सकते हैं ?

शा०—हाँ ।

व०—भरत कौन थे और उन्होंने क्या स्त्रोच्छ्रों की कन्याओं से विवाह किया था ?

शा०—भरत, चक्रवर्ती जैन राजा थे जिन्होंने जैनो के लिये नियम निकाले, उनमें ३२ हजार स्त्रोच्छ्र कन्याओं से विवाह किया था ।

व०—उनने क्या दूसरों के लिये ही नियम निकाले ?

शा०—हाँ, अपने और दूसरे सबके लिये निकाले ।

व०—**म्हणजे** जैनधर्म धारण कर लो तो उसके साथ खान पान किया जा सक्ता है ?

शा०—**नहीं** ?

व०—**म्हणजे** कन्याओंसे उत्पन्न पुत्र मोक्ष गये हैं ?

शा०—**मुझे** मालूम नहीं ।

व०—**भरत** उक्त **म्हणजे** कन्याओंके साथ खान पान करते थे ।

शा०—**नहीं**, वे उनके साथ खाते पीते न थे ।

व०—**भरत**की वे विवाहित स्त्रियां थी या रखेली ?

शा०—**वे** विवाहित स्त्रियां थी (यहां शास्त्रीजीके उत्तरसे कोर्टकी बड़ा आश्चर्य हुआ और सन्देह हुआ कि जब विवाहित स्त्रियां थीं तो उनके साथ खान पान बिना किये भरत कैसे बच सक्ते थे इसलिये फिर्दादोके वकीलने यद्यपि निषेध किया कि जो बात मैं पूछता हूँ नहीं उसको आप कैसे कहते हैं तो भी सन्देह निरसनार्थ कहा) महापुराणके पर्व ३६ या ३७में तीन प्रकारकी विवाहित स्त्रियां कही गयी हैं— धर्मपत्नी, भोगपत्नी और यज्ञभा । उनमें धर्मपत्नीके साथ तो खान-पान किया जाता है और शेष दोके साथ नहीं । **म्हणजे**की कन्याएँ भोगपत्नी थीं ।

व०—धर्मपत्रियोंके साथ ही खान पान करना यह कहाँ लिखा है ?

शा०—सोमसेनकृत त्रैवर्णिकाचारमें लिखा है और भी दूसरे ग्रन्थोंमें है ।

व०—ऋच्छोमें साक्षर और अनक्षर ये दो भेद हैं न ?

शा०—नहीं ।

व०—महापुराण पर्व ४२ श्लोक ७८ का अर्थ इस ग्रन्थमें जो लिखा है (यहाँ मराठी भाषांतर सहित महापुराणजीको कृपा प्रति दिखलाई) वह ठीक है न ?

शा०—हा । वह ठीक है (यहा शास्त्रीजीने पूर्वका प्रकरण बताकर कोटसे कहा कि यह आर्योंके लिये कहा गया है)

व०—सुतार (बढई) और लुहार स्पृश्य है या अस्पृश्य ?

शा०—मैं नहीं कह सकता ।

व०—सोमसेन त्रैवर्णिकाचार अध्याय ४ पृष्ठ १४६में लिखे गये इस श्लोकका अर्थ क्या है, (यहाँ कृपा त्रैवर्णिकाचार बतलाया)

शा०—इन श्लोकोंका अर्थ है कि—सुतार, धोबी, सुनार, लुहार, कोढ़ी, आदि छ ने न चाहिये ।

व० - हरिवंशपुराणमें सुमुख राजाकी कथा जो कही गई है उसकी याद है ?

शा०—नहीं ।

व० - पं० गजाधरलालाजीका संपादित हरिवंशपुराण जिसका पहिले उल्लेख किया गया है, वह यही है न ? (यहाँ भा० जैनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हरिवंशपुराण भाषा दिखलाया)

शा० होगा ।

व०—यदि कोई कहे कि—आप अपने घरेलू कामोंमें महार नौकर रखते हैं, तो आपकी इज्जत सर्वसाधारणमें कम होगी या नहीं और जातिवन्धु आपका वहिष्कार करेंगे या नहीं ?

शा०—नहीं, किसीके कहनेमात्रसे मेरो इज्जत कम नहीं होगी और न जातिवाले वहिष्कृत ही करेंगे । मेरा यह उत्तर उस हालतमें है जब कि लोग तो कहते हैं परन्तु सत्य बात नहीं है । अगर मैं सचमुच ही महारोंको अपने घर कार्योंके लिये नौकर रखूंगा जैसे कि घाटा पोसने बर्तन माजने आदिके लिये और लोग आंखोंसे देख लेंगे तो मेरे जातिवन्धु मुझे वहिष्कृत कर देंगे परन्तु सर्वसाधारणकी दृष्टिमें मैं नीच नहीं समझा जाऊंगा ।

व०—नौकरी पर महार रखनेसे क्या आप अपनी इज्जत न खो देंगे ?

शा०—नहीं, परन्तु हाँ ! मैं अपने धार्मिक सिद्धांतोंसे गिर जाऊंगा ।

व०—क्या आपने फर्यादोंको कभी भंगी चमारों के साथ खानपान करते देखा है ?

शा०—हां

मैंने उसे (कोठारीको) लगभग ५-५॥ पांच साठे पांच वर्ष पहिले चमार ढेड़ोंके घर चाय पीते देखा था ।

व०—यह काम उसने वहिष्कारके योग्य किया था ?

शा०—हां । क्योंकि उसका यह कार्य जैनधर्मके विरुद्ध था ।

व०—फर्यादोंने क्या वहाँ आपको बुलाया था ?

शा०—नहीं ।

व०—क्या आप उस समय (चाय पीनेके समय) फर्यादोंके समीप थे ?

शा०—नहीं ।

व०—आपने क्या उन (चमार ढेड़ों)के घर देखे हैं ? और उनका नाम भी जानते हैं ?

शा०—मैंने उनके घर तो देखे हैं परन्तु उन (चमार ढोरो)के नाम नहीं बता सकता ।

व०—फर्यादोने किस दिन चाय पी थी ?

शा०—दिनका नाम नहीं कह सकता परन्तु महीना कार्तिक वद्य था ।

व०—क्या वहां कोई स्पृश था ?

शा०—मेरी पहचानका स्पृश कोई न था ।

व०—चाय और भी किसीने पी थी ?

शा०—हां ! चमार ढोड़ोने उसके साथ पी थी ।

व०—आप उन लोगोंके भीतर गये थे ?

शा०—नहीं ।

व०—इस खबरकी क्या किसी अखबारमें आपने छपाया था ?

शा०—नहीं ।

व०—उस समय जैनगजट और जैनमित्र निकलते थे न ?

शा०—हां ।

व०—जैनसमाजमें ऐसी पृथाओंके प्रचलित होने देनेको जुम्मादारो शास्त्रियों पर है न ?

शा०—हां ।

व०—फर्यादो क्या इसके कारण (भंगी चमारोंके साथ चाय पीनेके कारण) वहिष्कृत हुआ है ?

शा०—मुझे नहीं मालूम ।

व०—आपने क्या यह घटना किसोसे कही थी ?

शा०—मैंने उस समयकी बात तो नहीं कही परन्तु फर्यादो (कोठारी) के चालचलनको धावल लोगो'से बहुत बार कहा है । पण्डित मकखनलालजी (नं० ६ आरोपियो) आजसे ६ या ७ मास पूर्व अथवा महासभाका अधिवेशन जो शंभुवालमें हुआ था उसके बाद एक मासके भीतर मुझे मिले थे तब उनसे कहा था ।

व०—आपने इस घटनाको प्रकाशित क्यों नहीं कराया था ?

शा०—मैंने तब उनके छपानकी आवश्यकता न समझी थी ।

व०—फर्यादीने चाय किस जगह पी थी ?

शा०—शोलापुरमें पिजरापोलके समीपकी सड़क पर ।

व०—आपने पं० मकखनलालजीसे स्थान आदिका उल्लेख किया था ?

शा०—नहो' मैंने उनसे सब ब्योरेवार नहीं कहा ।

व०—आरोपियो'के वकीलने आपकी गवाहो' किम किम विषय (मुद्दे) पर देना होंगो यह बतलाया था न ?

शा०—नहीं मुझे उन्हींमें गवाहीके विषय (मुद्दे) नहीं बतलाये ।

व०—आप यहाँ (कोर्टमें) आनेके पूर्व वकील-से मिलने थे ?

शा०—हाँ । मैं कल सुबह उनसे मिला था ।

व०—उस समय आरोपियोंमेंसे वहाँ कौन कौन थे ?

शा०—कोई नहीं ।

व०—आपको आरोपियोंसे कहाँ मूलाकात हुई थी ?

शा०—बेलगाममें ।

व०—आप साक्षी देनेके लिये कैसे आये ?

शा०—आरोपी नं० २ अथवा ३ (पं० लाला-रामजी या० पं० मकलनलालजी)ने मुझे बंबईमें पूछा था कि--गत दो महीनेके भीतर रेलमें कभी आपको मुलाकात बालूना (फर्यादोंके उस गवाहका नाम है, जिसने अपने वयानमें शास्त्रीजीसे रेलमें बातचीत होनेका जिकर किया है) के साथ हुई थी । उत्तरमें मैंने कहा कि—नहीं । तब उन्हीं (आरोपी) ने मुझे कहा था कि आपको इस विषयकी तथा गजटमें छपे हुये लेखके वास्तव गवाही देनी होगी ।

व०—आपने चाय पीनेकी गवाही देनेके वास्तव

आरोपियों से वा आरोपियों के वकीलसे क्यों नहीं कहा ?

शा०—रूपे हुये लेखमें लिखा है कि फर्यादो (कीठारी) महारो (अम्पुश्यों) को छूता है और उनके साथ खान पान करता है। चमारों के साथ उसने चाय पी थी, यह बात मुझे ज्ञात ही थी, इसलिये मुझे मालूम था कि इस संबंधमें मुझसे कुछ न कुछ पूछा ही जायगा अतएव मैंने आरोपियों के वकीलसे कुछ नहीं कहा।

व०—आरोपियों ने आपसे क्या उक्त लेखको पुष्टिमें कोई प्रमाण पूछा था ?

शा०—हा एनापुरमें फर्याद ही जानिके बाद उन्होने (आरोपियों ने) मुझसे उक्त लेखका प्रमाण पूछा था उत्तरमें मैंने उस (फर्यादो) के आचार विचार दो या तीन बार सब माधारणमें कहे थे।

व०—महानिका नाम बता सक्ते है ?

शा०—नहीं, मुझे महानिका नाम याद नहीं।

व०—आपने क्या आरोपियों से 'चमारों के साथ फर्यादोको मैंने चाय पीते देखा' यह बात कहा थी ?

शा०—नहीं क्योंकि मैंने उसको कोई अवसरकता न समझी थी।

व०—आपके पास कोई पत्र या सन्देश आरोपि-

योंकी तरफसे इस मामलेमें साची संग्रह करनेके लिये आया था ?

शा०—नहीं ।

व०—आपने 'फर्यादो मन्दिर बेचना चाहता है' यह बात आरोपियोंसे जब कही थी ?

शा०—बीडवालमें महासभा हुई थी उसके बाद ।

व०—क्या किसी आरोपीने फर्यादोके मन्दिर बेचने और अस्पृश्योंके साथ खानेकी बात आपने माल्हात् देखी है ऐसा पूछा था ?

शा०—हां । नं० ३ के आरोपी (पं० मक्खन-लालजी) ने मुझे पूछा कि—

मैंने उसे (फर्यादीको) उक्त बातें कहते और करते साक्षत् देखा है ।

मुझे आप गवाहोंमें बुला कर सब व्यौरवार पूछ सकते हैं ।

व०—फर्यादोने उस लेखरसे (जिसमें मन्दिर बेचनेकी बात कही), पहिने या पीछे अस्पृश्योंके यहाँ चाय पी ?

शा०—व्याख्यान देनेके करीब दो दिन बाद उसने अस्पृश्योंके घर चाय पी थी ।

व०—मन्दिर और मूर्ति बेचना क्या जैनधर्मके अनुकूल है ?

शा०—नहीं ।

व०—उससे समाज या धर्म को लाभ होगा या हानि ?

शा०—उक्त वस्तुओं को बेचनेकी परधानगी हो जानेसे जैनधर्म का झाम और समाजकी हानि होगी ।

व०—इस मन्दिर विक्रयके विरुद्ध आपने क्या किसी जैनपत्रमें आन्दोलन किया था ?

शा०—नहीं ।

व०—आपको फर्यादोसे बीलचाल है ?

शा० हा ।

व०—फर्यादीने जब मन्दिर बेचनेकी बात कही तब आपको कैसा लगा ?

शा०—मुझे बुरा लगा ।

व०—फर्यादीने व्याख्यानमें यही कहा था न ? कि लोगो को मन्दिरोंमें अत्यधिक खर्च न करना चाहिये ।

शा०—जहाँ ।

उसने कहा था कि मन्दिरमें रूपया खर्च ही न करना चाहिये ।

व०—फर्यादीने यह नहीं कहा ? कि बहुतसे जैनमन्दिर जोर्णशीण हैं उनकी मरम्मत कराना चाहिये ।

शा०—तहो, उसने ऐसा कभी नहीं कहा ।

व०—फर्यादीने मन्दिर बेच कर काग रुपये जमा किये हैं ?

शा०—मन्दिर बेचकर तो उसने रुपये नहीं जमा किये है परन्तु हाँ । खर्च घटा कर रुपये बचा अवश्य लिये हैं ।

व०—उस (फर्यादा) ने क्या कोई मूर्ति बेची है ?

शा०—नहीं ।

व०—आपने हिन्दीको कोई परीक्षा पास की है ? और उसके सार्टीफिकेट दिखला सकते हैं ?

शा०—हा ! मैंने हिन्दीका ७ वां दर्जा (एंडड) पास किया है और उसका सार्टीफिकेट भी दिखला सकता हूँ ।

व०—हिन्दीमें किसो यूनिवर्सिटीकी परीक्षा भी दी है ?

शा०—केवल हिन्दीकी परीक्षा कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेता ।

व०—धरेजा किसे कहते हैं ?

शा०—धरेजाका अर्थ है—किसी स्त्रीको चाहे वह विधवा हो या सधवा पंचोंकी सम्मतिसे और पंचोंके द्वारा कुछ मुकर्रर किये गए विधि विधानोंसे स्त्री बना कर रख लेना ।

व०—करावाका क्या अर्थ है ?

श०—करावाका भी ठीक वही अर्थ है जो धरे-
जाका है ।

व०—तब इस लेखमें (यहां 'बालचन्द्र रामचन्द्र
कोठारी कौन है ?' इस गजटके लेखका आपके शील
त्रतका महत्व नहीं, सुतरा धरेजा वा करावके पोषक
है ?' यह वाक्य दिखलाया) धरेजा और करावा दो
शब्द क्यों दिये गये हैं ?

श०—विषयको स्पष्ट दिखलाने और लोगोंको
खुलासेवार समझानेके लिये दो शब्दोंका प्रयोग किया
गया है नहीं तो किसो एक शब्दका प्रयोग ही पर्याप्त
था ।

व०—उक्त प्रकारके स्त्री रखनेके नियम जैनधर्म
से सम्मत है ?

श०—नहीं, वे कुछ समाजके लोगोंने सम्मत
कर लिये हैं ।

व० - रखेली भी उसे (धरेजा या करावमें आई
औरतों) कहते हैं न ?

श० - नहीं, रखेली उससे बिल्कुल भिन्न है ।

व०—मोक्षसेनकृत वैद्यणिकाचारमें विधवा-
विवाह करना बताया गया है न ?

श०—नहीं ।

व०—दक्षिणके जैनसमाजमें विधवाविवाह होता है न ?

शा०—हां ।

व०—विधवाविवाह, धरेजा और करावामें क्या फर्क है ?

शा०—कुछ नहीं ।

व०—आप किसी विधवाविवाहमें गये हैं ?

शा०—नहीं ।

व०—ब्राह्मणोंमें विधवाविवाह होता है या नहीं ?

शा०—मुझे नहीं मालूम ।

(कोर्टका समय पूर्ण हो जानेसे आपको जिरह आज यहाँ तक ही रही)

बिलगाम	}	(सही) आर० एन० किशो
१-७-२५		फर्टिक्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

दूसरे तीसरे दिन कुट्टी होनेके कारण कोर्ट ता० ४-७ २५ को फिर दिनके १ एक बजे खुली और शास्त्री-जोसे फियर्यादोके वकीलने पुनः जिरह करना प्रारम्भ किया ।

व०—धरेजा किस अर्थको कौनसी धातुमें बना है ? और क्या अर्थ है ?

शा०—'धारण करना' अर्थवाली ध धातुसे

धरजा शब्द बना है जिसका अर्थ 'धारण किया' है।

व०—विवाह शब्द किस धातुसे बना है ? उसमें 'वि' का क्या अर्थ है ?

शा०—विवाह शब्द 'धारण, अर्थ' वाली "वह" धातुसे बना है। 'वि' का यहाँ कुछ अधिक अर्थ नहीं है।

व०—विवाह शब्द का जो अर्थ प्रचलित है वह कैसे निकला ?

शा०—प्रारम्भिक शब्द होनेसे।

व०—विधवाविवाहको Prostitution (वैश्यावृत्ति) आप किस आधारसे कहते हैं ?

शा०—वेदवर्णिकाचारके हिन्दो अनुवादके आधारसे ; जिसे मैं पोकिसे बतलाऊंगा।

व०—इस अर्थकी बतलानेवाले हिन्दीके किसी मूल ग्रन्थका नाम बतलाइये ?

शा०—मूलग्रन्थ मुझे मालूम नहीं।

व०—'हाथ साफ करनी' का अर्थ 'कजा करना' जिस ग्रन्थमें लिखा है उसे क्या १५ दिनके भीतर लाकर दिखला सक्ते हैं ?

शा०—मैं उस ग्रन्थको कितने दिनके भीतर दिखला सकूँगा यह नहीं कह सकता।

व०—भराठीमें 'हाथ मारना' मुहावरका अर्थ क्या है ?

शा०—मुझे नहीं मालूम कि मराठीमें ऐसा कोई मुहावरा है।

व०—'हाथ मारना' जो हिन्दीका मुहावरा है उसका अर्थ क्या है ?

शा०—उसका अर्थ तो 'थप्पड़ मारना' है।

व०—आपने अपने प्रेसमें किसका द्रव्य लगाया है ? और उस पर कज है या नहीं ?

शा०—न तो मैंने प्रेसमें दूसरेका द्रव्य ही लगाया है और न प्रेस पर किसीका कज ही है।

व०—आपके प्रेसका प्रिंटर कौन है ? और उसमें छपने वालो समस्त वस्तुओंका वही जिम्मेदार हैं न ?

शा०—अपने प्रेसका प्रिंटर मैं ही हूँ। परन्तु जिन वस्तुओंके लिये अन्य किसीको डिक्लैरेशन (सर-कारो आज्ञा) देकर प्रिंटर बना दिया है तो वे उनके प्रिंटर कहलाते हैं। जिनका नाम कभी कभी पेपर (समाचारपत्रोंमें) पर छपा करता है।

व०—त्रैवर्णिकाचार अध्याय ११ पेज ६३४ श्लोक १७५ का अर्थ क्या है ?

शा०—'गान्धर्वो मतसे कालमें विधवाविवाह निषिद्ध है। परन्तु कुछ देशोंमें वह हो भी सकता है लेकिन यह सर्वव्यापक मत नहीं है। इस श्लोकका तो अर्थ यह है परन्तु यह तो गान्धर्व ऋषिका मत है न कि त्रैवर्णिकाचार का।

व०—फिर्यादीको चाय पीते कै बजे देखा था ?

शा०—सामको करीब पाच बजे ।

व०—आपके साथ कौन था ?

शा०—कोई नहीं, मैं अकेला था ?

व०—आपको इस बातकी सूचना कब और किसने दी ?

शा०—मुझे किसने सूचना दी उसका नाम याद नहीं ।

व०—आप कितनी दूर पर थे ?

शा०—कोई २०-२५ गजकी दूरी पर ।

व०—चाय किस जगह पर पो गई थी और वहाँ कुर्सी टेबल थी या नहीं ?

शा०—चाय खुले मैदानमें पो गई थी, वहाँ २०४ कुर्सी और १२ टेबल (मेज) थी ।

व०—आप किस समय पहुँचे थे ? और चाय पीनेका बतन कौनसो धातुका था और उसमें चाय, काफी या रस करा था ?

शा०—मैं जिस समय पहुँचा, मामला तयार था । परन्तु यह याद लहो कि वह बतन किस धातुका था और उसमें चाय, काफी या रस करा था ।

व०—मैदानके सामने करा कोई सड़क थी और उससे आपकी जान पहिचानके आदमी जाते आपने देखे थे ?

शा०—हाँ ! उस मैदानके सामने एक सड़क है परन्तु उससे जाते हुए मैं ने अपनी जान पहिचान का कोई आदमी उस समय न देखा था ।

व०—उस समय केशलोचमहोत्सव था न ?

शा०—हाँ ! परन्तु उसको दो दिन बीत चुके थे ।

व०—बाहिरके आये लोग थे या चले गये थे ?

शा०—मैं नहीं कह सकता ।

व०—आपके और फिर्यादोके बीच कोई बैम नस्य है ।

शा०—नहीं ।

व०—आपने उस (फिर्यादो) से कुछ बातचीत की थी ?

शा०—नहीं न तो वह ही मुझसे कुछ बोला, न मैं ही उससे कुछ बोला ।

व०—आप जिस समय गये व्याख्यान हो रहा था न ?

शा०—नहीं, उस समय व्याख्यान खतम हो चुका था और फिर्यादो बैठा था ।

व०—वहाँ उच्च जातिके और कौन २ लोग थे ?

शा०—वहाँ कोई दोख पडते न थे ।

व०—आपको कब मालूम पडा था कि फिर्यादो का महारवाडे (भंगी चमारोंके मुहल्ले) में व्याख्यान है ? और किसने कहा था ?

शा०—सुभके कोई एक डेढ़ घंटे पहिले मालूम पड़ा था, बाजारमें कुछ लोगोंने सुभसे कहा था ।

व०—आपने कैसे जाना कि व्याख्यान ही चुका था ? उस सभाका सभापति जौन था और विषय क्या था ?

शा०—वहाँके रङ्गटङ्गसे मालूम पड़ता था कि व्याख्यान खतम हो चुका । सभापति जौन और विषय क्या था, मैं नहीं जानता ।

व०—कोर्टसे बैठे हये नेठ गुलाबचन्दजी सांगली घासोकी आप पहिचानते हे ?

शा०— ।

व०—पं० नन्दलालजी का और नं० ३ के आरोपी (पं० मखनलालजी) का आपसे क्या रिश्ता है ?

शा०—मैं नहीं जानता ।

व०—शास्त्रिपरिषद्में कितने परिणित है ?

शा०—एरोव एक सौ ।

व०—शास्त्रिपरिषद्का रिक्कार्ड (रजिष्टर आदि) आपके पास है न ?

शा०—नहीं, वह नं० ४ के आरोपी (पं० श्रीलालजी) के पास है, जो शास्त्रिपरिषद्के सहायक मन्त्री है । मैं उसका मन्त्रिमन्त्री हूँ ।

व०—पं० शान्तिनाथ जो इस केशम गवाह है, वे शास्त्रिपरिषद्के सेबर हे न ?

शा०—सुझे नहीं मालूम ।

व०—आप कब बता सकेंगे ?

शा०—समयको मर्यादा नहीं कर सक्ता ।

व०—पं० बाहुबलि शर्मा और कल्लापा अनन्त
उपाध्याय शास्त्रिपरिषद्के मेंबर हैं न ?

शा०—मैं नहीं कह सकता ।

व०—एक दो महीने पहिले शास्त्रिपरिषद्को
अधिवेशन ऐनापुरमें हुआ था न ?

शा०—हाँ ।

व०—वहाँ पं० शान्तिनाथ तथा अन्य शास्त्री
आये थे ?

शा०—पं० शान्तिनाथ ऐनापुरमें तो आये थे
परन्तु वे तथा अन्य शास्त्री परिषद्में आये थे या नहीं,
कह नहीं सकता ।

व०—वहाँ कुल कितने शास्त्री आये थे ?

शा०—कोई २०-२५

व०—सेठ रावजी मखारामजी दोशी उसके
सभापति थे न ?

शा०—हाँ ।

व०—नं० २ के आरोपो (पं० लालारामजी)
भी इस परिषद्के सभापति हो चुके हैं न ?

शा०—मैं नहीं कह सकता ।

व०—इस परिषद्को वार्षिक फीस कितनी है ?

शा०—एक रुपया ।

व०—शास्त्रियोंके अतिरिक्त भो मेंबर हो सकते हैं ?

शा०—हां ।

व०—बालगोडा पाटोन शिडवान वासी शास्त्रि-
परिषद्के मेंबर हैं ?

शा०—नहीं ।

व०—'जैनमिद्धान्तके' कितने अङ्क निकले थे ?

शा०—३६ छत्तीस ।

व०—प० लालाराम तो और आप बम्बई बोर्डिङ्ग
या मोरेना विद्यालयमें साथ साथ पढे थे न ?

शा०—नहीं ।

व०—मोरेना बोर्डिङ्गमें पानी कौन भरता था ?

शा०—मुझे नहीं मालूम, मैं अपने घर जोमता
था ।

व०—बालू नाना चौगलेके साथ आपकी मित्रता
है या शत्रुता ?

शा०—न शत्रुता न मित्रता ।

व०—रेलमें या अन्यत्र आपके साथ किस किसने
मुसाफिरो जी और किस किससे आपकी बातचीत
हुई ?

शा०—यह नहीं कह सकता ।

व०—कोठारीने जिस सभामें कुंथलगिरिवाले अपने मन्दिरको बेच देनेकी बात कही वह किनने जोड़ो थो ?

शा०—कोठारीके कुछ मित्रोंने ।

व०—इस सभासे पहिले भी क्या कोठारीके जैन-शास्त्र और जैनमन्दिर सम्बन्धो आपको विचार मालूम थे ?

शा०—हां ।

व०—कोठारीके आजकल विचार कैसे हैं ?

शा०—जैसे कि पहिले थे ।

व०—आपको सभापति किसने बनाया ?

शा०—मेरे मित्रोंने ।

व०—आप क्या पहिलेसे ही निर्णीत सभापति थे ?

शा०—नहीं ।

व०—आपका क्या विरोध किया गया था ?

शा०—हां । मेरे सभापतित्वका विरोध हुआ था ?

व०—फर्यादो (कोठारो) ने कुछ आपत्ति की थी ?

शा०—पहिले तो फर्यादी मेरे सभापति होनेसे राजी न था परन्तु बादको लाचार हो उसे राजी होना पड़ा ।

व०—उस सभामें कितने आदमी थे ?

शा०—कोई ३५ या ४० ।

व०—फर्यादीसे जब मन्दिर बिक्रीकी बात कही
तब क्या भगडा हुआ था ?

शा०—नहीं ।

व०—उस सभाकी कुछ लिखित कार्यवाही है ?

शा०—नहीं ।

व०—फर्यादीने अपने विरुद्ध विचारोंको आपसे
भी कभी कहा है ?

शा०—हाँ, बहुत समय ।

व०—आपने अपने सभापतित्वमें क्या लोगोंको
यह बतला दिया था कि फर्यादी महारों (अस्पृश्यों)
को कृता है ?

शा०—हाँ ।

व०—जो लोग महारोंको कृत है क्या वे कुए जा
सकते हैं ?

शा०—महारोंको कृनेके कारण जिनका जाति
बहिष्कार नहीं हुआ है, उन्हें कृनेमें कोई ऐतराज
नहीं होता ।

व०—आपने मिरजसे इधर (दक्षिणमें) कितने
गाव देखे हैं ?

शा०—कोई तीन चार शहर और ५७ गाव ।

व०—आपने उन शहरों और गावोंमें कोठारीकी सम्बन्धमें खोज ली है कि लोग उसे नेताकी दृष्टिसे देखते हैं ?

शा०—हां, खोज ली है परन्तु के ठारीको लोग नेता नहीं समझते । वे उसे (कोठारीको) धर्मशून्य और धर्मविरुद्ध व तोंका प्रचारक समझते हैं ।

व०—आपने किन किन गावोंमें या शहरोंमें किन किनसे यह बात सुनी है ?

शा०—मैंने उक्त धाते' सांगली, मिरज, बिलगाम, कोल्हापुर, शिडवाल और ऐनापुरमें सुनी है, किनसे सुनी है उनका नाम नहीं कह सकता ।

व०—फर्यादी दक्षिण महाराष्ट्र जैनमहासभाका मंडर और पूना जैनबोर्डिंग हाउसका सेक्रेटरी है न ?

शा०—मुझे नहीं मालूम ।

व०—पूनामें जैनबोर्डिंग है न ?

शा०—सुना तो है ।

व०—उसका सेक्रेटरी कौन है ?

शा०—मुझे नहीं मालूम कौन है ।

व०—शिडवालकी महासभामें दो पार्टियां थीं न ? और सजेक्ट कमेटोमें चुनावके लिये कोठारीने प्रस्ताव तथा अन्धने अनुमोदन लिया था न ?

शा० नहीं, वहां दो पार्टियां न थी और न

कीठारोने सञ्जोक्त कमिटीके चुनावके लिये प्रस्ताव, तथा अन्यने अनुमोदन किया था ।

व०—ता० पृ १-२५ के जैनगजट पृष्ठ १४८ पर जो प्रस्तावको बात लिखी है वह कया है !

शा० --कुछ लोगोंने जो प्राइवेट बात चोत हुई थी उसे प्रस्तावमें गलती लिख दिया है । कीठारोने मेंबर वा प्रतिनिधिकी हैसियतसे न तो वहा कोई प्रस्ताव ही क्रिया न अनुमोदन ही ।

व०—शेडवाल महासभामें शवू पार्टी थी न ?

शा० --मैं नहीं जानता ।

व०—प्र० शान्तिनाथ शास्त्री शेडवालमें अध्यापक हैं न !

शा०—हां ।

व०—उनको किम्ने नियुक्त किया है ?

शा०—कमिटीने ?

व०—उस कमिटीमें कौन २ कार्यकर्त्ता हैं ?

शा०—कार्यकर्त्ताओंका नाम मुझे नहीं मालूम ।

व०—बासगौडा पाटीलने पुलिसके सामने महा सभामें भगडा होनेके बावत अपने बयान दिये थे न ?

शा०—मुझे नहीं मालूम ।

व०—जै नग्रय्य छापने न छापनेके विषयमें आपकी कया राय है ?

शा०—मेरी कोई राय पक्की नहीं है ।

व०—आप छपे जै न अन्य पढ़ते हैं ?

शा०—हां ।

व०—नं० २-३ और ४ के आरोपियोंकी उक्त विषयमें क्या राय है ?

शा०—सुझे नहीं मालूम ।

व०—जै न गजट आप पढ़ते हैं ?

शा०—प्रायः मैं उसे नहीं पढ़ता ।

व०—उत्तर हिंदुस्थानमें छापे बेछापेका भंगड़ा है न

शा०—हां । है ।

व०—शे डवाल महासभाके उपरान्त दो तीन सप्ताह तक नं० ४ के आरोपी आपके पास थे न ?

शा०—सुझे याद नहीं ।

व०—वे (पं० श्री जालजी) उस समय शोलापुर-आये थे न ?

शा०—याद नहीं ।

व०—शोलापुरके हम्मड जै नोंमें दो दल हैं न ?

शा० - सुझे नहीं मालूम ।

व०—हम्मडबन्धु पत्नकी कौन निकालता है ?

शा०—शे० फूलचन्द हीराचन्दजी ।

व०—उक्त पत्रके लिये क्या कोई कमिटो है और उसमें आप भी हैं ?

शा०—हां ! कमेटी तो है परन्तु मैं उसमें नहीं हूँ ।

व०—वह पत्र आपके प्रेसमें छपता है और उसमें कमेटीके सेवकोंका नाम रहता है न ?

शा०—हां ।

व०—सेठ जोधराज मोतीचन्दकी आप जानते हैं न ? कि वे सांगलीके सेठ गुनावचन्दजीके बहनोई हैं ?

शा०—मैं नहीं जानता ।

व०—आरोपियोंके वकालके पास बैठे हुए सेठ गुनावचन्दजी और आप एक जगह ठहरे हैं न ?

शा०—नहीं ।

व०—आप आरोपियोंके पास ठहरे हैं ?

शा०—नहीं ।

व०—आरोपियोंकी जाति आपको मालूम है ?

शा०—नहीं ।

व०—आपकी जाति क्या है ?

शा०—पद्मावतीपुरवाल ।

व०—आपने कुंथलीगरि पर शास्त्र पढे थे और उस समय भगडा हुआ था न ?

शा०—हां ! बहुत दिन पहिले शास्त्र पढे थे परन्तु उस समय कोई भगडा हुआ था याद नहीं ।

व०—सेठ पानाचन्द रामचन्दजीके सभापतित्वमें होखरमें आपने क्या कोई व्याख्यान दिया था और उस

समय क्या भगडा न हुआ था और आपकी व्याख्यान देनेसे बंद कर दिया था न ?

शा०—मैंने होसुरमें व्याख्यान तो दिया था परन्तु भगडा वहाँ कोई न हुआ था और न मेरा व्याख्यान हो बन्द किया गया था।

इस प्रकार धियादीके वकीलके जिरह कर बुकने पर संदिग्ध बातोंका खुलासा करनेके लिये गजटके सञ्चालकोंके वकील श्रीशुभ मजूमदार साहबने प्रश्न किए जिनका उत्तर शास्त्रीजीने इस प्रकार दिया—

प्र०—त्रैवर्षिककाचारके श्लोकसे जो आपने सुहार सुनार आदिको अस्पृश्य कहा है उसका अभिप्राय क्या है ?

उ०—वह प्रकरण उस समयका है जब कि ज्ञान करनेके बाद जिनपूजनके लिए जाया जाता है। नं० २के श्लोकसे १२ तक त्रैवर्षिककाचारके चतुर्थाध्यायमें यही लिखा है कि जिनपूजनको जाते समय सुहार सुनार आदिको न छूये।

प्र०—धरेजाका अर्थ विधवाविवाह किसके बनाये किस ग्रन्थमें लिखा है ?

उ०—त्रैवर्षिककाचारकी पंडित पन्नालालजी सोनीकृत टीकामें २४७वें पृष्ठ पर लिखा है।

प्र०—आप जैनधर्मासुसार कौनसे क्रियायेँ पालते हैं ?

उ०—श्रावक तीन तरहके होते हैं पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक । उनमें पाक्षिककी तो समस्त क्रियायें में पालता हूँ और नैष्ठिक साधकको कोई कोई ।

प्र०—शूद्र किस ग्रन्थमें कितने प्रकारके बताये हैं ? और वे कौन कौन हैं ?

उ०—त्रैवर्णिकाचार और भगवज्जिनसेनाचार्यकृत महापुराणमें शूद्रोंके स्पृश्य और अस्पृश्य ये दो भेद बत लाए हैं । लुहार, सुनार, बटई, नारूँ स्पृश्य शूद्रोंमें आते हैं, जैसा कि त्रैवर्णिकाचारके अध्याय ७ श्लोक १३४ व १३५में कहा गया है । जो ग्रामके बाहिर रहते हैं जैसे कि महार, मांग, जिनको प्रजावाह्य भी कहते हैं, वे अस्पृश्य हैं जैसे कि महापुराण पर्व १६ श्लोक १८६ में लिखा है । श्रीजिनसेनकृत हस्तलिखित त्रैवर्णिकाचारके ५वें अध्यायके ११वें श्लोकमें चाण्डाल चर्मकार आदिको अस्पृश्य कहा गया है ।

प्र०—चाण्डाल चमार आदि अस्पृश्योंके छू जानेसे क्या करना चाहिये ?

उ०—चाण्डाल चमार आदि अस्पृश्य छू जाय तो स्नान, मन्त्रोच्चारण और उपवास करना चाहिये जैसा कि श्रीसीमदेवसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके २८१वें पृष्ठमें कहा गया है ।

प्र०—विधवाविवाहका निषेध कौन कौनसे जन शास्त्रोंमें है ?

उ०—प्रबोधमार (हस्तलिखित)के ४४वें श्लोकमें और यशस्तिलक चम्पूके ८वें अध्याय पृष्ठ ३७२ में लिखा है कि जिसका एक बार विवाह हो चुका है उस स्त्रीका फिर विवाह नहीं हो सक्ता ।

धिलगाम	}	(सही) पार, एन. किनी,
४-७-२५		फष्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

पं० बाहुबलि शर्माके वयान ।

—*—

शपथ ग्रहण करनेके बाद अपनी उम्र ३५ वर्ष, पिताका नाम तवनेश, जाति उपाध्याय, मुकाम सांगली (छोट) पेशा प्रेसकी मालिकी बतलाते हुए श्रीयुक्त मजूमदार वकीलके पूछने पर कहा—

प्र०—बालू नाना चौगलेकी जानते हैं ?

उ०—हां ।

प्र०—पं० मन्मथनालजी शास्त्रीको जानते हैं ?

उ०—हां ।

प्र०—पं० मकखनलालजीने आपको क्या कभी पत्र लिख कर भेजा था ?

उ०—नहीं। मेरा उनका कोई दश वर्ष से पत्र-व्यवहार नहीं है।

प्र०—दशवर्ष से पहिले उनकी माथ क्या पत्रव्यवहार था ?

उ०—नहीं, उससे पहिले भी पत्रव्यवहार न था मेरा पत्रव्यवहार उस समय जैनसिद्धान्त पाठशाला सुरैना (खालियर) के माथ था।

प्र०—आपको क्या पं० मकखनलालजीने पढाया है ?

उ०—हा। सुरैनामें मुझे उन्होने गोष्पटसारजी पढाया था।

प्र०—आपके पास क्या यह पत्र आया था ? (यहाँ बालू नाना चौगलेने जो पत्र पं० मकखनलालजीके हस्ताक्षर बताकर कोर्टमें पेश किया था और जिसे बाहुबलि शर्माका दिया बतलाया था वह दिखलाया)

उ०—नहीं, मेरे पास यह पत्र नहीं आया।

प्र०—आपने यह अथवा और कोई पत्र बालू-नानाको दिया था ?

उ०—नहीं, मैंने उसे कोई पत्र नहीं दिया।

प्र०—पं० मकखनलालजीके अक्षर आप पहचानते हैं ?

उ०—हाँ। मैं उन्हें साधारण प्रह्वानता हूँ।

प्र०—आपने उनको लिखते समय कभी देखा है ?

उ०—हाँ।

प्र०—उनके (पं० मकलनलालजीके) अक्षर ये नहीं हैं यह आपका कैसे मालूम पडा ?

उ०—उनको सही करनेकी पद्धति ऐसी नहीं है इसलिये।

इसके बाद फर्यादोंके वकीलने जिरह करना प्रारम्भ किया

प्र०—उनके (पं० मकलनलालजीके) दस्तखत करनेकी पद्धति कैसी है ?

उ०—वे 'मकलन' कभी सहीमें नहीं लिखते, 'मकलनलाल शास्त्री' लिखते हैं।

प्र०—इसके सिवा उनकी सही न होनेमें क्या कारण है ?

उ०—कुछ नहीं।

प्र०—पत्र पर जो सही है उसमें क्या लिखा है ?

उ०—सिर्फ 'मकलन'।

प्र०—भागे और क्या है ?

उ०—भागे क्या चिह्न है सो समझ नहीं पड़ता।

प्र०—पं० [मकलनलालजीको कहा और क्या लिखते देखा है ?

उ०—मैंने उन्हे पत्र और लेख लिखते सुरेनामें देखा है ।

प्र०—वहां कितनी बार देखा है ?

उ०—कोई ७-८ बार ।

प्र०—इधर कितने दिनसे उन्हे' नहीं लिखते देखा है ?

उ०—बारह वर्ष से ।

प्र०—उन (प० मक्खनलालजी) को सही तुमसे कहा देखी ?

उ०—सुरेनामें जब मैं पढ़ता था तब वे (प० मक्खनलालजी) पोष्टकार्ड^१ आदि डाकमें डालने सुभे देते थे, उस समय उनकी सही देखो थी ।

प्र० तुम कार्ड^१ क्यों पढते थे ?

उ०—यों ही सहजमें पढ लिया करता था ।

प्र०—आप क्या प० मक्खनलालजीको आदरकी दृष्टिसे देखते है ?

उ०—हां । वे सुभे पढाते थे इसलिये उन्हे' आदर की दृष्टिसे देखता हू ।

प्र०—क्या आप उनकी मदद भी करने तैयार है ?

उ०—ना । कारण सत्य और मयुक्तिक हो तो मैं मदद करने तयार हूँ ।

प्र०—इस केशम क्या उनकी वाजू (पक्ष) सत्य या मयुक्तिक है ?

उ०—यह मैं नहीं कह सकता ।

प्र०—इस पत्रके विषयमें आपसे पहिले कोई बातचीत आई थी ?

उ०—नहीं ।

प्र०—बालू नानाके साथ आपकी मित्रता है न ?

उ०—नहीं, उसके साथ मेरी खास मित्रता नहीं है, दूसरोंके समान जान पहिचान है ।

प्र०—जैन समाजमें बाबू पार्टी और पण्डित पार्टी दो हैं न ?

उ०—मेरी समझमें कोई पार्टी नहीं है ।

प्र०—जैनगजट, जैनमित्र पढते हैं ?

उ०—मैं ३४ सालसे कोई जैन समाचारपत्र नहीं पढता ।

प्र०—आप क्या शास्त्रो हैं ?

उ०—हां ।

प्र०—कोई युनिवर्सिटीकी परीक्षा दी है ?

उ०—कोई नहीं ।

प्र०—ऐनापुरमें जो गत ज्येष्ठ मासमें उत्सव हुआ था उसमें गये थे ?

उ०—हां । मैं वहाँ अपने हेण्डविन बाँटने गया था ।

प्र०—वहाँ शास्त्रपरिषद्के अधिवेशनमें गये थे ।

उ०—नहीं ।

बेलगाम

}

(सही) प्रार० एन० कृष्णी
फष्ट क्लाम आनरेरो मजिस्ट्रेट

जयकुमार उपाध्यायकी साक्षी ।

—:~:—

शपथ ले लेनेके बाद अपना नाम जयकुमार, पिताका नाम गजपति, जाति उपाध्याय, उम्र २४ साल, पेशा उपाध्यायगोरी, निवासस्थान अजुनवाड बतलाती हुए श्रीयुत मजूमदार वकीलके प्रश्नानुसार उत्तर देना प्रारम्भ किया—

प्र०—कोठारीसे पहिचान है ?

उ०—हाँ ! मैं उसे पहचानता हूँ ।

प्र०—बाबो (फर्यादीका गांव) देखी है ?

उ०—हाँ ।

प्र०—तुम क्या वहाँ रहते थे ?

उ०—हाँ ! मैं सन् १८२२ में जनवरी, फरवरी, -

माच में तीन मास तक वहाँ (बाबोमें) रहा था ।

प्र०—तुम वहाँ कैसे पहुँचे ?

उ०—फर्यादी (कोठारी) मुझे ले गया था ।

प्र०—फर्यादी तुम्हें क्यों ले गया था ?

उ०—उसने मुझसे कहा था तुम पटना चाहते हो तो मेरे गावमें चलो । वहाँ मेरे अष्टपुत्र्य बोटिङ्गकी सुपरि'टेंडेण्टो करना और समोप हो मोडलिङ्ग (गार्बीके पासके एक गांवका नाम है) में उमाविद्यालय

हे उसमें पढ़ भी पाया। मैंने कहा चलो कुछ हरकत नहीं।

प्र०—तुम बाकीमें कहां रहते थे ?

उ०—कोठारीके घरमें।

प्र०—भोजन क्या कोठारीके चौकमें ही करते थे ?

उ०—नहीं, मैं इनकी माताके चौकमें जीमता था ?

प्र०—क्या कोठारी और उनकी माता दोनोंके चौके (रसोई होनेकी जगह) बलहदे बलहदे थे ?

उ०—हां ! दोनोंकी रसोई बलहदी (भिन्न जगहमें) होई थी।

प्र०—कोठारीके चौकमें क्यों नहीं जीमते थे ?

उ०—कोठारीने मुझसे कहा था कि

‘मेरे यहां छूआछूतका कुछ विचार नहीं है।

यदि मेरे यहां चलना हो तो मेरे यहां जीमो नहीं तो माके पास जीमो।

इसलिए मैं उनकी-माके पास जीमने लगा।

प्र०—वहां तुम क्या काम करते थे ?

उ०—उस समय दो तीन मास तक प्रष्टृष्य बोर्डिङ्गकी इमारत (मकान) बनानेका काम हुआ था उसे देखता था।

प्र०—कोठारीके घरमें क्या कोई महार (भङ्गी) नौकर था ? और क्या काम करता था ?

८०—उस (कोठारी)के घरमें भामा नामक
 एक महार नौकर था । वह (महार)
 घरमें झाड़ू देता, विछौने बिछाता
 और बाजारसे सामान (खाने
 पीने आदिकी सामग्री) लानेका
 काम करता था ।

प्र०—फर्यादी (कोठारी) क्या बोर्डिंगके
 अस्पृश्यों (लडकों) को छूता था ?

उ०—हां ! वह (कोठारी) उन्हें (अस्पृश्य
 लडकोंको) छूता था ।

प्र०—अस्पृश्य बोर्डिंगमें क्या कोई माष्टर
 भी था ?

उ०—हां ! ऐदाले नामक एक अस्पृश्य माष्टर
 था और वह लडकोंको पढ़ाता था ।

प्र०—क्या कभी फर्यादी (कोठारी) भी बोर्डिंग-
 में आता था ?

उ०—हां ! वह (कोठारी) बोर्डिंगमें बनता
 इमारतका काम देवने आता था ।

प्र०—उस अस्पृश्य बोर्डिंगमें क्या वह कभी जीमता (भोजन करता) भी था ?

उ०—हां ! उस जगह (बोर्डिंगमें) देर हो जानेसे वह (कोठारी) वहां ही (अस्पृश्योंके बोर्डिंगमें) जीमता (भोजन करता) भी था ।

प्र०—बोर्डिंग ओपन सिरेमनी (उदुघाटनोत्सव) कब हुई थी और उस समय क्या जीमन (पंक्ति भोजन) हुआ था ?

उ०—हां ! बोर्डिंगकी इमारतका उदुघाटनोत्सव मार्च महीनेमें हुआ था और उस समय (बोर्डिंगमें) जीमन (पंक्ति भोजन) भी हुआ था ।

प्र०—फर्यादी (कोठारी) क्या उस जीमनमें शामिल था ?

उ०—हां ! वह (कोठारी) उस पंक्तिभोजनमें शामिल था ।

प्र०—उस जीमनमें (पंक्तिभोजनमें) क्या अस्पृश्य भी सामिल थे ?

उ०—हां ! उस (जीमन) में दो चार अस्पृश्य भी सामिल थे ।

प्र०—उन अस्पृश्योंका नाम क्या तुम्हें मालुम है ?

उ०—हां ! एक तो ऐदाले (अस्पृश्य बोर्डिंग-का माएर) था, दूसरा पूनेका टाइप-रिपर कटब था, बाकीका नाम इस समय मेरे ध्यानमें नहीं आता ।

प्र०—ये लोग एक पंक्तिमें बैठे थे या अलग ?

उ०—एक पंक्तिमें बैठे थे, अलग नहीं ।

प्र०—तुम्हें फर्यादीने सुपरि'टेडे ट रक्ता था ?

उ०—नहीं । मुझे उसने सुपरि'टे'डे'ट नहीं बनाया क्योंकि ऐदालेने कहा था कि अस्पृश्योंके बोर्डिंग पर यदि स्पृश्य नौकर रखते हो तो मैं नहीं रह सकता । फिर मैं चला आया ।

इसके बाद फर्यादीके वकीलने जिरह करना प्रारम्भ किया और गवाहने निम्न प्रकारसे उत्तर दिया -

प्र०—फर्यादी तुम्हें क्या कह करके ले गया था ?

उ०—'सुपरि'टे'डे'टीका काम करोमि तो मैं उमाविद्यालयमें पढ़नेका जो खर्च पड़ेगा उसे पूरा करता रहूंगा' ऐसा कह करके ले गया था ।

प्र०—तुम उमाविद्यालयमें पढ़ने गये थे ?

उ०—नहीं, क्योंकि उस समय बोर्डिंगकी बंधाई (बन्ने) का काम चल रहा था इसलिये नहीं गया ।

प्र०—उमाविद्यालयमें कितनी फीस लगती है ?

उ०—न मैं वहाँ जा पाया और न उस स्कूलकी फीस ही मैंने तलाश की ।

प्र०—तुम्हें काम करनेके बदलेमें कोठारीने क्या दिया ?

उ०—कुछ नहीं, सिर्फ भोजन ।

प्र०—ऐदालेकी निकाल कर फिर्यादी तुम्हें रखना चाहता था न ?

उ०—मुझे क्या मालूम ।

प्र०—उमाविद्यालयमें कौनसे कक्षामें जाना चाहते थे ?

उ०—तीसरीमें ।

प्र०—दूसरी कक्षा तक कहां पढे थे ?

उ०—प्राइवेट पढा था ।

प्र०—किससे स्कूलमें भी पढने गये थे क्या ?

उ०—हाँ । कोल्हापुरमें नया स्कूलमें १८२२के अगस्त या सितम्बरमें पढता था ।

प्र०—तुमने मराठीका स्कूल कब छोड़ा था ?

उ०—सन् १८१८में ।

प्र०—बीचके दिनोंमें क्या करते थे ?

उ०—मेरो मां मर गई थी इसलिये घरमें छोटे भाईयोंके लिये रसोई आदि करता था ।

प्र०—और भी कइो पढने गये थे ?

उ०—इन्दोरके जैन हाईस्कूलमें जुलाईसे अक्टूबर तक था।

प्र०—अब क्या करते हो ?

उ०—अब उपाध्यायगोरोका काम करता हूँ।

प्र०—तुम कहां रहते हो ?

उ०—मूलमें 'मिरज'में रहता हूँ और उपाध्यायका काम अर्जुनवाड (मिरजके पास एक गांव है) में करता हूँ।

प्र०—तुम्हारे आयका का मार्ग है ?

उ०—कलवा (एक गांवका नाम) में मेरी जमोन है जिसकी व्यवस्था मेरे चचेरे भाई करते हैं। एकड है। उसकी आय है और मन्दिरको आय है।

प्र०—अर्जुनवाडमें कितने जैन घर है ?

उ०—कोई २५-३०।

प्र०—फर्यादीको माता कहा रोटी करती थी ?

उ०—जोनके पास काठरीके बाहर। (यहाँ गवाहसे घरका सब नक्सा पूछा गया और दिशाओंके हिसाबसे द्वार आदि पूछे जिनका उत्तर गवाहने सब कहा)

प्र०—कोठारीके घर कितने नौकर थे ?

उ०—भीमा महारके सिवा दो मराठे
कोली (असृश्य) और भी थे ।

प्र०—उनके नाम बता सकते हो ?

उ०—हां । एकका नाम दोनू था, दूसरेका
याद नहीं पड़ता ।

प्र०—तुम्हारी और कोठारीकी जाति एक है न ?

उ०—नहीं, मरे जाति पंचम है और कोठारीकी
हमड ।

प्र०—उन दोनों जातियोंमें जीमन होता है ?

उ०—हां । कुछ जीमते हैं, कुछ नहीं ।

प्र०—बोडिंङ्ग घरसे कितनी दूरी पर है ?

उ०—३४ फर्लाङ्ग पर ।

प्र०—तुम काम पर कब जाते थे ?

उ०—मैं सुबह उठते ही जाता था और ८ या ८॥
के करीब लौटता था । इसके बाद जीम कर जाता
था और सामकी खाने आता था ।

प्र०—कोठारीके यहाँ कुछ पशु थे ?

उ०—हां । एक घोडो और एक भैंस थी ?

प्र०—तुम असृश्य बोडिंङ्गमें जीमते थे न ?

उ०—नहीं ।

प्र०—तुम कोठारीकी छूते थे ?

उ०—नहीं, मैं कोठारीकी छूता न था ।

प्र०—उसके (कीठारीके) बिछौने पर तो सोते थे ?

उ०—नहीं, मैं उस (फर्यादा) के बिछौने पर भी न सोता था ।

प्र०—तब तुम कहा सोते थे ?

उ०—मैं नीचे दरवाजेके पास सोफे (बरगड़े)में सोता था ।

प्र०—तुम फर्यादाके घरमें किसको छूते थे ?

उ०—इन (कोठारी) के घरमें मात को छोड़ कर सब लोग अपृथ्योंको छूते थे इनलिये मैं किसीको न छूता था ।

प्र०—प्रस्पृश्य नौकर घरमें कहां तक जाते थे ?

उ०—भीमा महार (भंगी) इन (कोठारी) के रसोई घर तक जाता था ।

प्र०—महार (भंगी) भीतर जानेसे घर अपवित्र हो जाता है न ?

उ०—हमारे यहाँ (इधर) जैन लोगोंके घरमें भीतर महार नहीं जाते और जब वे घर भीतर ही नहीं जाते तो उनके भीतर जानेसे घर भर अपवित्र हो जाता है या नहीं । यह मैं कैसे बता सकता हूँ ।

प्र०—अच्छा । तुम क्या समझते हो ?

उ०—मुझे यह विषय मालूम नहीं ।

प्र०—कोठारोका अस्पृश्योंके साथ ऐसा व्यवहार करना तुम्हें कैसा लगता था ?

उ०—अनुचित और अनैजातिके रिवाजके विरुद्ध जंचता था ।

प्र०—तुम किसीसे यह बात कहती थे या नहीं ?

उ०—हाँ मुझसे कोई जान पहचानका आदमी पूछता था तो उससे कहता था ।

प्र०—जिन जिनसे यह बात कहो, उनके नाम बताओ ?

उ०—उनके नाम मुझे याद नहीं पड़ते ।

प्र०—सहभोजनमें कितने आदमी थे ?

उ०—कोई सो पौन सो आदमी उसमें थे । ब बर्कके जयकर भी थे ।

प्र०—शोलापुरका कोई आदमी उसमें था ?

उ०—मेरी जान पहचानका कोई न था ।

प्र०—जयकर और अस्पृश्योंके सिवा उसमें और कौन २ थे ?

उ०—उम सबको याद नहीं ।

प्र०—तुमने भी उसमें भोजन किया था न ?

उ०—नहीं, मैंने उसमें भोजन नहीं किया ।

प्र०—तुम वहाँ क्या करते थे ?

उ०—मेरे हाथमें प्रबन्ध था ।

प्र०—अस्पृश्य अलग बैठे थे न ?

उ०—नहीं, वे पंक्ति के बीच बीचमें बैठे थे ।

प्र०—तुमने कैसे जाना कि वे (ऐदाले और कदंब) अस्पृश्य थे ?

उ०—ऐदालेकी मैं पहचानता था, कदंब टाइ-मकीपर अस्पृश्य है ऐसा मुझसे कोठारीने कहा था ।

प्र०—तुमसे कोठारीने यह बात क्यों कही ?

उ०—कदंबने व्याख्यान दिया था इसलिये ।

प्र०—उम (कदंब)ने व्याख्यानमें क्या कहा था ?

उ०—मेरे हाथमें प्रबन्ध था इसलिये किसीका व्याख्यान सुन पाता था किमोका नहीं ।

प्र०—तुम किस काम पर थे ?

उ०—सीदा (आटा चावल आदि) वगैरे काढने-के काम पर

प्र०—बाकी दो अस्पृश्य हैं यह कैसे जाना ?

उ०—वे दोनों महार वडा ही (बोर्डिंगमें ही) काम करते थे इसलिये मैं उन्हें पहचानता था । वे शेटफाल (शर्वीके पासका एक गाव)के रहनेवाले थे ।

प्र०—तुम यहा गवाही (साक्षी) देने कैसे आये ?

उ०—बालगौडा लार्क चिकीडी (एक गावका नाम है) ने मुझसे कहा था कि तुमने शिडवालमें जो कोठारोकी हकीकत कही थी उसके बारेमें बेलगांव कोर्टमें साचीकी जरूरत है। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं था, मैं मिरज आनिवाला था। अच्छा हुआ जो तुम हो आ गये। इसके बाद उन्होंने मुझे दश रुपये दिये और कहा कि, मजूमदार वकीलके यहाँ जाओ।

प्र०—बालगौडासे तुमने यह हकीकत कब कही थी ?

उ०—दिसंबरमें महासभाके समय।

प्र०—और भी किसीसे कही थी ?

उ०—हां वहाँ बहुतसे लोगोसे कही थी।

प्र०—तुम क्या महासभाके मेंबर थे ?

उ०—मैं एक रुपया दे कर गया था, प्रतिनिधि या क्या हो कर गया या सो मालूम नहीं।

प्र०—वहाँ क्या दंगा हुआ था ?

उ०—हां। कोठारी और अन्य दो तीन लोगोंने मण्डपकी तरफ के लोगों पर पत्थर फेंके थे ; मण्डपसे १०० या ५० हाथकी दूरी पर एक टीकडी (उंचा टीला) है उस परसे।

प्र०—और भी कोई दंगा हुआ था ?

उ०—इससे पहिले कोई दंगा हुआ होगा तो मुझे मालूम नहीं। क्योंकि मैं मण्डपके भीतर नहीं गया। उस समय गांवसे मण्डपको ओर आ रहा था।

प्र०—कोठारी आदिके पत्थर फैंकने पर लोग क्या करते थे ?

उ०—लोग शरीर पर पत्थर पड़ते ही एक ताफ हो जाते थे और कुछ भी दंगा न करते थे।

प्र०—पत्थरकी किसोके चोट लगी थी ?

उ०—पत्थरसे किसोके चोट आई होगी तो मुझे मालूम नहीं।

प्र०—वहाँ पुलिस थी ?

उ०—हाँ।

इसके बाद सन्दिग्ध बातोंका खुलासा करनेके लिये श्रीयुक्त मजुमदार वकीलने पूछा—

प्र०—तुम इन्दौरसे क्यों चले आये थे ?

उ०—मेरे पिता डूंगेसे बीमार हो गये थे। उनका तार गया था इसलिये मैं चला आया।

प्र०—जब तुम आये तब पिता जीवित थे ?

उ०—नहीं, मेरे आनेसे तीन दिन पहले ही मर चुके थे।

बेलगांव } (सही) आर, एन, किर्णा
फर्टिलास आनरेरी मजिस्ट्रेट

[१०५]

बेलगाम छावनीके आनरेरी फर्ष क्लास मजिष्ट्रेटकी कचहरी ।

फौजदारी केश नं० ३१० सन् १९२५

फिरयादो—बालचन्द बख्त रामचन्द कोठारी
पूना सिटीका रहनेवाला ।

घारोपी नं० १—पं० रघुनाथदासजो रईस सरनो
सम्पादक—जैनगजट ।

घारोपी नं० २—पं० लालाराम शास्त्री, धीरज
पहाडी देहली, सहायक सम्पादक
जैनगजट ।

„ नं० ३—पं० मकलनलाल शास्त्री कलकत्ता
प्रकाशक—जैनगजट ।

„ नं० ४—पं० श्रीलाल बंशीधर कलकत्ता
मुद्रक—जैनगजट ।

घारोप—ताजोरात हिंदको दफा नं० ५००

न्यायाधीशका फैसला ।

—.#:—

फरियादोका कहना है कि--ता० २२ जनवरी
सन् १८२५को कलकत्तेमें उक्त चारो घारोपियोंने
फरियादोकी मानहानि करनेके अभिप्रायसे अथवा यह

समझ कर भी कि इससे फरियादोका यश कलङ्कित होगा जे नगजट नामक पत्रके १८६ वें पृष्ठ पर फिर यादोके विरुद्ध दश बातें अथवा व्यंगितियां संपादित कीं, मुद्रित कीं और प्रकाशित कीं इमलिए कुल आसामियों ने ताजीरात हिंदकी ५०० वीं कलमके अनुसार अपराध किया है ।

(२) नं० १ के आरोपी पं० रघुनाथदासजी को सि० हीरेमठ (बेलगामके * सिटी मजिस्ट्रेट) ने वकीलकी मारफत हाजिर होनेकी परवानगी दे दी इस लिए वे कतई (विस्कुल) कहचरीमें उपस्थित न हुए और न उन्होने अपना कोई लिखित वयान (वक्तव्य) ही उपस्थित किया । नं० २ के आरोपी पं० लालाराम

* कोठारीने मामला बेलगामके सिटी मजिस्ट्रेट श्रीयुत आर, एस, हीरेमठके इजलासमें दायर किया था और ता० १५ मई १८२५ को नं० २ ३ ४ के आरोपी उनकी ही कहचरीमें हाजिर भी हुए थे परंतु तारीख ८ जून १९२५ को अकस्मात् मामला आनरेरी फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट श्रीयुत आर, एन, किर्णा महोदयकी इजलासमें बदल गया । ता० १५ मई को आरोपियोंकी जाभिन लेते समय श्रीयुत हीरेमठने नं० १ के आरोपी पं० रघुनाथदासजीकी बीमारी की रिपोर्ट पढ कर अनुपस्थिति माफ कर दी थी इसलिए पण्डितजी हाजिर नहीं हुए ।

जी शास्त्री इजलासमें हाजिर हुए और उनमें अपने वधानमें अन्य बातोंके साथ यह भी कहा कि--मैं सदा देहलीमें रहता हूँ और वहाँ हीराखाल जैन हाई स्कूलमें प्रधानाध्यापकी कार्य करता हूँ। इसलिए कलकत्तेमें छप कर प्रकाशित होनेवाले जैनगजटके अङ्कों पर मैं कोई नियमित निरीक्षण नहीं कर सक्ता। फरियादने जिस लेखकी आपत्तिजनक बतलाया है, वह नं० ३ के आरोपी (पं० मखनलाल शास्त्री)ने अपनी जिम्मेदारी पर प्रकाशित किया है।

नं० ३ के आरोपीने अपने वक्तव्यमें बतलाया है कि—उक्त आपत्तिजनक लेख दक्षिणसे एक विश्व-सनीय सज्जनने भेजा था इसलिए उक्त लेखकी कुल बातोंकी सत्य समझ भ्रममें अपने नोट सहित मैंने जैनसमाजके हितार्थ जैनगजटमें प्रकाशित कर दिया। और वह (नं० ३ आरोपी) स्पष्ट करते हैं कि = उक्त लेखकी समस्त जिम्मेदारी मुझ पर है।

नं० ४ के आरोपी (श्रीलाल काव्यतीर्थ)का कहना है कि—वह कलकत्तेके जिस प्रेसमें जैनगजट छपता है, उसका मैनेजर है और आपत्तिजनक लेख जैनगजटके जिस अङ्कमें छपा है, वह अङ्क भी अग्य छपनेवाले कार्योके समान उनके प्रेसमें छपा था इस लिए उक्त लेखके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं।

(३) उक्त लेखमें कुल दश बातें व्यंगपूर्ण हैं जिनमें फरियादीने केवल छहका ही उल्लेख अपने प्रार्थनापत्रमें किया है जैसा कि नं० ३५की दलीलमें नं० (ए) से (एफ) तक लिखा है ।

(४) इस मुकद्दमे (केश-खटला) में नीचे लिखी बातें विचारणीय हैं--

(क) ता० २२-१-२५ के जैनगजटमें प्रकाशित होनेवाले इस व्यङ्गतापूर्ण लेखको प्रकाशित करनेका प्रबन्ध समस्त आरोपियोंने किया अथवा किसी एकने ?

(ख) अगर प्रकाशित किया तो समस्त आरोपियों ने अथवा किसी एकने ? फरियादीकी मानहानि करनेके इरादेसे अथवा कोत्ति दृष्टित ही जायगो ऐसा जान मान कर उसे प्रकाशित किया ।

(५) मैं (मजिस्ट्रेट) उक्त दोनों प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ कि नं० २-३-४ के समस्त आरोपी निर्दोष हैं ।

(६) जैनगजट भारतवर्षीय दिग्गम्बर जैन महासभाका मुखपत्र है और वह कलकत्तासे प्रतिसप्ताह प्रकाशित होता है । इस सभाके नियम नं० ३२ के एडिजिट (टूलोस) में दिये गए हैं जो सन् १८१८ में होनेवाले लेखनीके अधिवेशनमें नियत किये गये थे ।

(७) फरियादो बम्बई यूनिवर्सिटीका प्रेज्युट है, अपने वक्तव्यमें वह कहता है कि उसने लगभग ५०० सभाओंमें व्याख्यान दिए होंगे तथा इस कोर्टमें जो अपने मामलोंकी पुष्टिमें बिना कानूनकी कोई परीक्षा पास किए ही वहस (अगूमेंट) की, उससे वह सामान्य ज्ञानका आदमी नहीं मालूम पड़ता परन्तु उसके विरोधी भो (आरोपी नं० २-३-४) अनेक यूनिवर्सिटियोंकी अनेक उपाधियोंसे भूषित हैं और अपने पुरातन मार्ग पर आरूढ़ हैं ।

फरियादो सुधारक ख्यालातका हैं और आरोपी लोग तिनभर भो अपने पुरातन मार्गसे विचलित नहीं हैं । नम्बर ५४ के एक्जिविट (दलील) के अनुमार सुगमतया जाना जाता है कि फरियादो बाबू पार्टीका मनुष्य है और आसामी लोग पण्डितपार्टीके सदस्य है ।*

(८) नं० २३ के एक्जिविट (ता० २३-६-२४ का जैनगजट, इसमें पं० रघुनाथदासजीका स्तोका छपा है) से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि नं० १ के आरोपी ने अपनी बीमारोके कारण प्रधान संपादकीसे स्तीफा दे दिया था और नं० २४ (ता० २८-७-२४ का जैन-गजट, इसमें सम्पादनकी समस्त जिम्मेदारी पं० लाला

* जैनमित्रका वह अंक जिसमें बालचन्द्र कोठारी आदि करीब ४०० आदमियोंके नाम छपे हैं ।

रामजीने अपने ऊपर ली है) के एक्जिविटसे यह जाना जाता है कि पत्रके सम्पादनको समस्त जिम्मेदारी नं० २ के आरोपोंने अपने ऊपर ले ली थी। यदि यह माना जाय कि आरोपी नं० १ का स्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो भी महासभाकी नियमावलीके अनुसार तीन मास बाद अर्थात् ता २३-८ २४को वह (नं० १) सरलतासे अपनी जिम्मेदारीसे कूट सकता है। जैन-गजटमें संपादककी जगह आरोपी नं० १ का नाम सहायक सम्पादकमें नं० २ आरोपीका, प्रकाशकमें नं० ३ का और मुद्रकमें नं० ४का नाम जो कृपा दिखलाई पड़ता है और कमसे कम ता० २२-१-२५के अङ्कमें, जिसमें फरियादीके विरुद्ध लेख कृपा है, वह नं० १ और २ के आरोपियोंके बयान और पेश किये गये एक्जिविट नं० २३ २४ के देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है कि कायेकर्त्ताओंके नाम क्वापनेमें गलती हुई है।

चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट कलकत्ताके समक्ष जो सन १८२३ में डिक्लरेशन लिया गया है और जिसकी कापी मेरे समक्ष पेशकी गई है उसमें नं० ३ के आरोपीको प्रिण्टर (मुद्रक) पब्लिसर (प्रकाशक) लिखा है उससे यह निश्चय हो जाता है कि सन् १८२३ से जो कुछ जैनगजटमें कृपता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नं० ३के आरोपी पर ही है। यही बात नं०

२ और ४ के आरोपियों ने भी अपने अपने बयानों में कही हैं तथा नं० ३ के आरोपीने तो अपने बयानमें जोर देकर कहा है कि इस विवादस्थ लेखकी कुछ जिम्मेदारी केवल मुझ पर ही है ।

(८) फरियादीकी तरफसे मेरे सामने नं० ४-५-६ और ७के एक्जिविट यह दिखलानेके लिए पेश किए गए कि—फरियादीके पास आरोपियोंने वकीलकी मारफत यह उत्तर भेजे थे परन्तु आरोपियोंने उन उत्तरोंके स्वीकार नहीं किया और न उन पत्रोंके प्रमाणित ही किया गया, जैसा कि कानूनके अनुसार होना उचित था इसलिये इस फैसलेके समय उन पर कुछ विचार नहीं किया जायगा । इसी प्रकार जागरूक (एक्जिविट नं० २८-२९-३०-३४) केशरी (एक्जिविट नं० ३२-३३) तथा संदेश (एक्जिविट ५१) के अंकी पर भी कुछ विचार नहीं होगा क्योंकि उनके चिन्हित विषय भी गवाहोंके पेश कर कचहरीमें परीक्षित नहीं कराए गये । मि० कोठारोने अपने बयानमें स्पष्ट ही कहा है कि जागरूक पत्रमें जो कुछ लिखा गया है वह उस पार्टीके ख्यालात हैं जिसको अध्यक्षतामें उक्त पत्र चलता था और वे मेरे निजो ख्यालात (विचार) न थे । इसी प्रकार नं० ४८ के एक्जिविट पर भी मैं विचार न करूंगा जो हिन्दी जैनगजटका अङ्क है,

क्योंकि उसका अनुवाद हाजिर नहो' किया गया।
यद्यपि उसका अनुवाद करनेकी आज्ञा दे दी गई थी।

(१०) जैनगजट, जिसमें कि फरियादीके विरुद्ध लेख छपा है, वह यद्यपि कलकत्तासे प्रकाशित होता है, तो भी बेलगाम तथा बेलगामके आसपास उसके ग्राहक होनेसे पटा जाता है जैसा कि नं० १२-१३ और २१ के एन्सविटसे ज्ञात होता है इसलिए उसमें लिखो गई व्यंगोक्तियां इस जिलेमें निर्धारित होनी उचित हैं।

(११) उक्त लेखको प्रकाशित करनेका प्रधान कारण फरियादी बतलाता है कि—वह महासभाके शिडवाल अधिवेशनमें महामन्त्री नियुक्त किया गया और भारीपी लोग अपने अपने पटोंसे चयन कर दिये गये इसलिये उन्होंने उसके विरुद्ध उक्त व्यङ्गीकपूर्ण लेख छपाया परन्तु फरियादीका ही यह भी कहना है कि—उसने ता० ८-१ २५को महासभाके महामन्त्री की हैसियतसे एक सूचना प्रकाशित की कि समस्त सहायता आदिके रूपसे उसके पास भेजे जाने चाहिए। इसके उत्तरमें भारीपियों ने उक्त लेखको ता० २२-१-२५ के जैनगजटमें छपा कर जैनसमाजको सचेत किया कि वह रूपया कोठारोको न भेज कर सेठ चैनसुखजी कावड़ा महामन्त्री सिवनीको भेजे और उसके पास

न भेजेनेमें कुछ हेतु भी दिखलाई दिए गए जिन पर कि इस समय विचार करना है ।

इस केाटमें जो साक्षी उपस्थित हुए उनके बयानोंसे जाना जाता है कि महासभा सिर्फ दो दिन ता० २३ और २४ दिसम्बर १९२४ कोही भरी गई और ता० २४ दिसम्बरके जो सजेक्ट कमेटी चुननेके लिए निर्णय कमेटी बनी जिनमें कि फरियादी भी सामिल था, उसने अपना कुछ निर्णय दिया अथवा नहीं यह इस केाटमें कुछ प्रमाणित नहीं किया गया । फरियादीने महासभाके कोई प्रोसीडिंग (अधिवेशन की कारवाइ) भी नहीं दिखलाई जिससे कि यह मालूम पडता कि वह (फरियादी) महामन्त्री चुना गया है और आरोपी अपने पदोंसे श्युत कर दिए गए हैं ।

इस संबन्धमें फरियादीको तरफसे दो गवाह गुजरे एक मेठ ताराचन्द और दूसरा जाला नाना चौगला । ताराचन्दका कहना है कि—वह शेडवालमें महासभाका सभापति चुना गया परन्तु उसने भी कोई प्रोसीडिंग (कारवाइ) इस संबन्धकी उपस्थित नहीं की । ताराचन्दने स्वीकार किया है कि—महासभाके सभासदोंमें उस (ताराचन्द)का नाम नहीं है और शेडवालमें अधिवेशन प्रारम्भ हुआ उसके सभापति नेमिसागरवर्णी थे । उसका यह भी कहना है कि ता०

२६-१२-२४ को नेमिसागरजी वर्णोने एक सूचना प्रकाशित की थी जिसमें लिखा था कि महासभाका अधिवेशन भगडके कारण समाप्त किया जाता है । इन सब बातों तथा अन्य भी कारणोंके देखनेसे श्रेष्ठ त रावन्द शेटवालमें महासभाके सभापति चुने गये थे यह बात सत्य नहीं जंचती और उक्त बातोंके स्वीकार कर लेनेसे यह बात तो और भी ठीक नहीं जंचती कि फरियादी शेटवालमें महासभा का महापन्थी चुना गया था ।

बाला नाना चौगला (दलील न० १८) का कहना है कि जैनगजटमें प्रकाशित महासभाकी प्रस्तावना (प्रोसीडिंग्स) को पढ़ कर उस (चौगला)ने सोचा कि फरियादी महामन्त्री चुना गया था और इसलिए उस (चौगला) ने जैनमित्र (दलील न० २५) में अपनी चिट्ठी प्रकाशित करनेके लिए भेजी । त्रिरह करने पर गवाहने कहा कि, "फरियादी महामन्त्री उसकी समझसे चुना गया है" । पहिले इसी गवाहने कहा था कि उसे याद नहीं है, कि जैनमित्रमें अपने कोई चिट्ठी भेजी है वा नहीं ।

इस गवाहने जिस ढंगसे गवाही दी उसे देखते हुये कहना पड़ता है कि इसने (बाला) फरि-

यादीके पक्षको हर तरहसे पुष्टि करनेकी
ही अपने दिलमें ठान ली थी ।

ताराचन्द भी खाकार करता है, कि वह नहीं जानता, कि सभापतिको हैसियतसे उसने फरियादीकी जनरल सेक्रेटरीको हैसियतसे अपने पास चन्दा मंगानेके लिए कोई कोई आज्ञा दी। वह यह भी नहीं जानता कि फरियादीके पास कितना चन्दा जमा हुआ। अगर वह सभापति होता तो क्या इस विषयका निरोक्षण करनेका उसका कर्तव्य नहीं था? बाला चोगलाने इसमें कुछ भी चन्दा नहीं दिया और फरियादीका कहना है, कि उसने २५) या ३०) रु० वसूल किये होंगे। जो कुछ हो, इससे साबित होता है, कि फरियादी चाहता था कि चन्दा उमीके पास जमा हो। लेकिन आरोपियोंका कहना है, कि यदि चन्दा फरियादीके पास भेजा जायगा, तो वह इसका अपव्यय कर डालेगा। इस कारण आरोपियोंने जैन समाजको सलाह दी, कि जो कुछ चन्दा हो, वह पुराने महामन्त्री सेठ चैनसुख झावडाके पास भेजा जाय। फरियादी और आरोपीमें झगडेका यही कारण है। फरियादीका कहना है, कि किसी आरोपीके साथ उसकी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है और न किसी आरोपीके साथ उसकी साक्षात् जान पहचान ही है।

१२। फरियादोका कहना है, कि अछूतोंका स्पर्श तथा उनके साथ बैठ कर भोजनादि करना जैनधर्म के प्रतिकूल नहीं है। फरियादोका यह भी कहना है कि विधवाविवाहादि जैनधर्म के अनुकूल है। असृष्टियोंके साथ भोजनादिके प्रश्न पर विचार नहीं किया गया, कारण वह आक्षेपोंमें नहीं रखा गया है। फरियादो स्वीकार करता है, कि वह अछूतोंको अपने यहाँ नौकर रख सकता है, लेकिन आज तक उसने किसी अछूतको अपने यहाँ नौकर नहीं रखा है। वह यह भी कहता है, कि वह उसी हालतमें अछूतोंको अपने यहाँ रख सकता है, जब जैन समाज ऐसा करनेको तयार हो। ताराचन्दका कहना है, कि जो अछूतोंका छूना स्वीकार करता है, वह महासभाका सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन बालु चोगलाका कहना है, कि महासभाके जिनने सदस्य है, वे सभी अछूतोंका ग्राम जगह पर स्पर्श किया करते हैं। लेकिन उसके ख्यालसे खासगो जगह पर उनको छूना मना है। यशवन्त (दलोल नं० १२) का कहना है, कि यदि किसी अछूतके साथ उसका स्पर्श हो जाय, तो वह स्नान कर लेता और किसी अछूतको अपने कुएँसे पानी नहीं लेने देता है। पं० बंशीधरजी (दलोल नं० ४२)के कथनानुसार अछूत प्रजावाद्य है और उनका स्पर्श करना निषिद्ध

है। इन पण्डितजोनि जो महापुराण नामक जैनशास्त्रों-
के प्रमाण पेश किये उनका परिर्यादोने कोई खंडन
नहो' किया।

१३। परियादोका कहना है, कि जैनसमाजमें
सुधार करना तथा जैनधर्मके आधार पर विद्याप्रचार
करना ही महासभाका उद्देश्य है। लेकिन ताराचन्द्रका
कहना है, कि जैनसमाजको उन्नति तथा जैनधर्मकी
रक्षा करना ही महासभाका प्रधान उद्देश्य है। इन दो
वधानोंसे यह नही' समझा जाता है, कि सुधार तथा
समाजकी उन्नति धर्म पर कोई आक्षेप करते हुए की
जाय। १८१८ ई०में लखनजमें महासभाका जो अधि-
वेशन हुआ था, उसके नं० २ के नियमानुसार महा-
सभाका प्रथम उद्देश्य है जैनधर्मकी हर हालतसे
रक्षा करना और उक्त नियमसे यह समझा जाता है,
कि जो जैनधर्मके प्रतिकूल है, वह सब प्रकारसे परि-
त्याज्य है।

१४। यदि कोई तोहमत किसी मनुष्य पर जान
बूझ पर लगाई जाय और उससे उस मनुष्यको मान-
हानि, ही तो वह तोहमत मानहानिजनक समझी
जाती है, इसके विपरीत जब कोई बात सच ही और
अनसाधारणको भलाईके लिए सच्चे दिलसे प्रगट की
गई हो ता वह मानहानिजनक नहीं है अब यह देखना

चाहिए कि यह जो तोहमत लगाई गई है, सो सच है वा नहीं, और आरोपी नं० ३ ने खास कर इसे जै नगजट में छपवाने का हुकुम दिया है वा नहीं। इस मामले में फरियादों का कहना है कि आरोपी नं० ३ ने प्रवडा कर बाहुबलो (दलील नं० ५५) को इस विषय का पत्र (दलील नं० ११) लिखा कि वे उक्त भाषियों की प्रमाणित करने के लिए कुछ गवाहों को संग्रह करें। इस पत्र को बालू नाना चौगला (दलील नं० १०) ने भदान्त में पेश किया और कहा, कि बाहुबली ने इसे टिया था। आरोपी नं० ३ ने इस पत्र को यह कह कर नामंजूर किया, कि यह उसका लिखा हुआ नहीं है और यह भी कटा, कि वह बाहुबली को 'पूज्य' सम्बोधन कर पत्र नहीं लिख सकता, क्योंकि वह (बाहुबलो) उसका शिष्य है। बाहुबलो ने बालू नाना के पेश किये गये पत्र में जो हस्ताक्षर थे उनको नं० ३ आरोपी के नहीं बतलाते हुए कहा, कि यह पत्र उसने बालू नाना को कदापि नहीं दिया और न उसने आरोपी नं० ३ से ही इसे प्राप्त किया। लेकिन बालू नाना चौगला (दलील नं० १०) ने आरोपी नं० ३ के लिखे हुए दो दिन ६ या ७ कागजों पर हस्ताक्षर देख कर जोर से कहा, कि यह आरोपी नं० ३ का ही लिखा हुआ है। यदि मान लिया जाय कि यह पत्र (दलील

नं० ११) आरोपी नं० ३ ने बाहुबली शर्माको गवाह संग्रह करनेके लिए दिया हो (चूंकि आरोपी नं० ३ कलकत्तेके और बाहुबली शर्मा बेलगामके रहने वाले हैं) तो यह आश्चर्य नहीं, कि आरोपी नं० ३ जो शास्त्र और पुराणके भारी पण्डित हैं और कपड़ेके भी अच्छे व्यवसायी हैं, वे फरियादोको औरसे नोटिस पा कर डर गये हों और प्रयोजनीय सामान पानेके लिए सहायता मांगी हो। इसके अलावा एक और भो पत्र (दलील नं० ३७) था जिसे गणपत धोन्दीवा साठे (दलील नं० २६) ने अदालतमें पेश किया। यह पत्र उसे उक्त आक्षेपोंके समर्थनमें गवाह संग्रह करनेके लिए भाईचन्दने वंशीधरजी (दलील नं० ४२) के सामने दिया था, किन्तु वंशीधर यह स्वीकार नहीं करते और भाईचन्द अदालतमें हाजिर भी नहीं हुये।

१५। प्रार्थनापत्रमें लिखा गया नं० १का आक्षेप कि फरियादी अछूतोंको ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे भी श्रेष्ठ समझता है और अपने यहां उन्हें नौकर रखता है जैवगजटमें प्रकाशित लेखकी कलम नं० १ और २का सारांश है। एक्वित्रिट (दलील) नं० ४७ शांतिनाथका कहना है कि गत पांच या छः वर्ष पहले तासगांवकी सभामें फरियादीने स्पष्टरूपसे कहा था कि महार (भंगी) ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हैं। फरि-

यादीका कहना है कि वह महार (भंगी)के बोर्डिंगमें या जो बोर्डिंग उसने अछूतोंके लिये १९२२ ई०में खोला है, वहां वह बेरोकटोक जाता, उन्हें स्पर्श करना और नित्यकी तरह स्नान करता है । फरियादी साफ कहता है कि बोर्डिंगमें अछूतोंको छूनेसे स्नान करनेकी जरूरत नहीं । लेकिन वह स्नान कहता है कि वह अपने घरके काम काज करनेके लिये महारोंको अपने यहां नौकर नहीं रखता है । उसकी मा चतुरबाई (दलील नं० २६) कहती है कि फरियादीने कभी भी अछूतोंको अपने यहां घरेलू काम काज करनेके लिये नौकर नहीं रखा । और जब कभी वे कोई चीज मांगने आते हैं तो वे दरवाजेपर ही खड़े रहते, भीतर नहीं आते हैं, इस विषयमें आरोपियोंका कहना है कि जब फरियादीने अपनी मांको यह खबर दी कि उसपर दूसरोंने फरियाद की है तब वह स्वभावत ही अपने लड़के (फरियादी)को बचानेके लिये बाध्य हुई । आरोपियोंका यह अनुमान असत्य नहीं कहा जा सकता फरियादीकी माके बयानसे यह सारु मालूम पड़ता है कि फरियादीके घर बाबीमें दो जगह रसोई बनती है । ऐसी हालतमें सन्देह होता है कि केवल फरियादीकी मा, फरियादी तथा घरके अन्यान्य लोग

पृथक् भोजन करते हैं वा नहीं। जो कुछ हो रसोई दो जगह होनी है। नेमिनाथ (दलील नं० ४६) और जयकुमार (दलील नं० ५६) साफ साफ कहते हैं कि फरियादीके घर पर महार (भंगी) नौकर हैं। जिससमय वे दोनों फरियादीके यहां बाबीमें गये थे, उस समय उन्होंने फरियादीकी माके यहां खाया, न कि फरियादीके यहां। फरियादीके यहां अछूत लोग जो कुछ काम करते हैं तथा उमके घरकी स्थिति कैसी है, यह उक्त दो गवाह साफ साफ बयान करते हैं। जयकुमार उन अछूतोंमेंसे एकका नाम भीवा बतलाता है। उक्त गवाह अपने इजहारमें कहते हैं कि फरियादीके नौकर जो अछूत हैं वे बिज्जौने बिज्ञाते, बाजारसे सौदा ज्ञाते तथा इसी तरहके और भी दूसरे दूसरे काम किया करते हैं। इसपर फरियादी अपने घरमें महार मांगोंका प्रवेश निषेध सिद्ध करनेके लिये कहता है कि उसकी मा एक धार्मिक स्त्री है, निश्चयमें वह अस्पृश्योंको भीतर घुसने देनेसे हल्ला मचायेगी और उन्हें किसी प्रकार भी नहीं घुसने देगी। फरियादी अछूतोंके उद्धारमें लगा हुआ है इसलिये क्या कभी सम्भव है कि कोई अछूत अदालतमें हाजिर हो उसके बरखिलाफ बयान करे ? फरि-

यादीकी मा अपने लड़केके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकती यह निश्चय है । नेमिनाथ (दलील नं० ४६) कहता है कि यद्यपि वह सेतबाल जातिका और फरियादी हूमड़ जातिका है, तो भी उसने फरियादी की माके हाथकी दूधमें बनी हुई रोटी खाई । उसका यह भी कहना है कि उक्त दो जातियोंमें खान पान नहीं चलता और यदि चलता भी है तो छिपे रूपसे । इसके अलावा जो वस्तु दूधकी बनी हुई है उसे खानेमें कोई दोष नहीं । यही सोचकर उसने फरियादीकी माके यहां खाया था । जयकुमार स्पष्ट रूपसे कहता है कि उक्त दो जातिमें खान पान चलता है; तदनुसार उसने ऐसा किया । इसपर फरियादीका कहना है कि जयकुमार यदि कष्ट धार्मिक होता तो वह बोर्डिंगमें सुपरिंटेण्डेण्टका पद स्वीकार नहीं करता । परंतु सुपरिंटेण्डेण्टका काम अलग रहकर विना स्पर्श किये भी हो सका है तिस पर जयकुमार बहुत गरीब था और विद्या सीखनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी इस कारण उसने फुटकर काम करना स्वीकार किया होगा । बोर्डिंगकी देख-रेखका भार उसपर सौंपा गया लेकिन पीछे उसे सुपरिंटेण्डेण्टका पद प्राप्त न हुआ, कारण पेशलेने उसकी नियुक्तिमें बाधा दी । इन सब कारणोंसे उक्त

दो गवाहों (दलील नं० ५६ और ५६)के बयान असामान्य नहीं किये जा सकते । और हर कोई इस फल पर पहुँच सकता है कि जब ये दोनों गवाह-वादीमें गये थे उस समय फरियादीके घर भगी नौकर थे, फरियादीने अपने आर्ग्यूमेंटमें कहा यदि उसके महार नौकर होते तो वह पूनेमें होते वह अपनी मा जैसे धार्मिक व्यक्तियोंके ऊपर उन्हें क्यों सौंप देता । परंतु इस विषयमें यदि कोई कुछ कहता भी तो भगवानदास सोभाराम या ताराचन्द ही कहते । भगवानदाससे तो इस विषयमें दानों ही ओरसे कुछ भी नहीं पूछा गया, यद्यपि उन्हें दोनों अच्छी तरह जानते थे । इससे मालूम पड़ता है कि किसी भी पक्षने भगवानदाससे पूछनेमें कुछ महत्त्वकी बात नहीं समझी । ताराचन्द का कहना है कि उस फरियादीके गांव जानेका मौका नहीं आया, लेकिन ताराचन्द और फरियादीने एक साथ ताराचन्दके घर और दूसरी जगह भोजन किया । ताराचन्द बम्बईमें और फरियादी स्थायीभावसे पूनामें रहता है । अगर ऐसा है तो ताराचन्दको क्या करी ऐसा मौका न मिला, कि वह पूना आता और फरियादीके यहां रहता, कारण ताराचन्द सामान्य कोई व्यक्ति न था । इन सब कारणोंसे मैं समझता हूँ कि पहला आक्षेप सत्य है ।

१६। दूसरे अक्षेपके विषयमें फरियादोका कहना है, कि आरोग्यियोंने ठिक्का है कि उसकी माने उसे अलग कर दिया है। इन आक्षेपका ठीक ठीक मालूम यह है, कि—उसकी मां उसके बिलकुल पृथक् हैं और अपने लड़के फरियादोके साथ खाती पीती नहीं है। फरियादीने ऊपरमें जैसा बयान किया है, कि वह हमेशा पूनामें रहा और उनकी मां बावोमें। यद्यपि फरियादी कभी कभी बांघी जाया करता और अपनी मांके यहां रहता है। फरियादीकी मांका कहना है कि वह अपने लड़केके साथ भोजन करती है, लेकिन जब कभी फरियादी अलूनों-या स्पर्श करता तब वह जब तक स्नान नहीं कर लेता, तब तक वह उसके साथ भोजन नहीं करती है। फरियादो अपने बयानमें कहता है, कि वह बोडिंगमें अलूनोंका स्पर्श करता है और नित्य स्नानके निरा स्नान नहीं करता है। इन्से यह साफ मालूम पड़ता है, कि बेचारो धार्मिक स्त्रियोंको यह कुछ भी मालूम नहीं, कि फरियादोन अलूनोंका स्पर्श किया है वा नहीं। अथवा स्नेहवशा वह जान कर छिपा लेती है। इन विषयमें नेमीनाथ (दलील नं० ४६) और जयकुमार (दलील नं० ५६) ने जो बयान किया है, वह ठीक जवना है। उन दोनोंका कहना

है, कि फरियादीकी मां अलग भोजन करती हैं और फरियादी अलग। गुलाबचंद (दलील नं० ४५) बयान करते हैं, कि जब फरियादीकी मासे उन्होंने कहा कि तुम्हारा लडका अधार्मिक बातोंका प्रचार करता है तो माने उत्तर दिया कि उसके साथ फरियादीकी बनती नहीं है गुलाबचंदका यह भी कहना है, कि उनके मुनीमने जो पत्र (दलील नं० ४६) शिवलालको लिखा था, उसमें साफ लिखा हुआ है, कि वह झूठ नहीं बोलेंगे और उन्होंने ऐसा किया है। इन सब कारणोंसे यह अच्छी तरह जंतता है, कि दूसरा आक्षेप भी मत्थ है।

१७। तीसरा आक्षेप :—फरियादीका करना है, कि आरोपियोंने लिखा है, कि जो मंदिर उसके बापका बनाया हुआ है, उसे वह बनना चाहता है। तात्पर्य इस प्रकार है :—‘फरियादीका पिता एक कहूर धार्मिक था कुंथलगिरिमें उसने एक जैनमंदिर बनवाया जिसे बेचनेकी उसके प्यारे लडके फरियादीने इच्छा प्रकट की, लेकिन उसकी माने उसे ऐसा करनेसे रोका।’ इन पर फरियादीका कहना है, कि उसने एक दो वर्षे तक मंदिरका कुल खर्च चलाया। पंचोमी ओरसे जब यह कहा गया कि वह मंदिरका प्रबंध पंचोंके हाथमें देदे तो उसने मंदिरको पंचोंके हाथ

सौंप दिया और तबसे मंदिर पर ध्वजा आदि चढानेका जो खर्च होता, वह पंचायत ही देती । फरियादीने यह भी कहा. सब कोई मन्दिर नहीं बनवा सकते और न पताका आदि सम्मानसूचक चिन्होंका उपभोग कर सकते हैं इस कारण उसने मंदिरका कुल भार पञ्चायत पर सौंप दिया । मंदिर पर ध्वजा आदि चढानेमें २१) रु० खर्च हुए थे जिसे आजकल भगवानदास सोमाराम (दलील नं० ४३) देते हैं । जो कि उनकी मिलकियत देखनेसे सुभीनेसे मंदिर बनवा सकते हैं यद्यपि दूसरी हालतमें फरियादीकी मा चतुर बाई (दलील नं० २६) यह स्वीकार नहीं करती कि पञ्चोंने मन्दिरका खर्च फरियादीसे मांगा था और फरियादीने उसे नामंजूर किया था । वह यह स्वीकार करती है कि मंदिर अभी भगवानदास सोमारामकी देख रेखमें है । वह यह कहती है कि इस विषयमें उसने अपने लडके फरियादीने कुछ भी नहीं पूछा । उसके इत्पहार कहनेका कारण हरकोई समझ सका है । भगवानदास (दलील नं० ४३) गङ्गाराम (दलील नं० ४४) और नैमीनाथ (दलील नं० ४६) के बयानसे साफ मालूम पडता है, कि मन्दिरका खर्च पञ्चोंने कुछ समय तक दिया और वह खर्च जब पञ्चोंने फरियादीसे मांगा, तब उसने जबाब दिया कि पञ्च

जिस किसीको चाहे मंदिर दे सकते हैं मन्दिरमें आज तक ५००, या ५५०, रु० खर्च हुए थे । नेमीनाथका कहना है, कि फरियादीने उससे कहा था—पञ्च उतने रु० मन्दिर बेच कर वसूल कर सकते हैं । बशीधर (दलील नं० ४२) अपने बयानमें अनेकवार कते हैं कि फरियादीने एक समामें यह कहा था, कि शिक्षा प्रसारके लिए मंदिर बेचा जा सकता है । लेकिन यह सच्ची बात है, कि फरियादीने मन्दिर नहीं बेचा, पर यह भी नहीं कह सके कि मन्दिर बेचनेके लिए उसने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की थी ।

१८। चौथा आक्षेप:—फरियादीका चाठवलन खरोब है । फरियादीके कथनानुसार इसका तात्पर्य इस प्रकार है,—“उसका व्यक्तिगत चालचलन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह धरेजा और करावा इन दो विवाहोंका पक्षपानी है ।” फरियादीने “आपके” का अर्थ “आपका” लगाया है, लेकिन शातिनाथ शास्त्री (दलील नं० ४७) इसका अर्थ ‘आपको’ लगाते हैं । यह स्पष्टरूपसे कहते हैं, कि षष्ठी द्वितीयामें कोई फर्क नहीं है । इस हिसाबसे आक्षेपार्ह वाक्यका अर्थ हो जाता है कि फरियादीकी दृष्टिमें शीलव्रतका कुछ महत्त्व नहीं है फिर

करियादी 'सुतराम्'का अर्थ लगाता है "केवल यही नहीं किंतु" लेकिन आरोपी नं० ३ और शास्त्री बंशीधर (दलील नं० ४२) इसका अर्थ "इसलिए" लगाते हैं। इस पर विचार करनेसे ऐसा मालूम पड़ता है कि 'सुतराम्'का अर्थ 'इसलिए' यही ठीक है। और संपूर्ण वाक्यका अर्थ यह है कि वह (करियादी) 'अरेजा' और 'करावा' इन दो प्रकारके विवाहोंका पक्षपाती है इसलिये शीलव्रतका कुछ महत्त्व नहीं समझता।

१८। शास्त्री और न्यायालंकार बंशीधर (दलील नं० ४२) जो आरोपियोंके गवाह थे, उनसे जब प्रसिद्ध वकील रायबहादुर लट्टे ए० ए० एल० एल० बी० और मि० खोगला बी० ए० एल० एल० बी०ने जिरह किया, तब वे उनके प्रश्नों पर शास्त्रीक अनेक प्रमाण देने हुए फलीभूत हुए। उनका कहना है, कि जैनमें 'भरत' नामक एक राजा थे जिन्होंने जैन लोगोंके लिए नियम बनाये। ३२००० सृष्टि कन्याएँ उनको स्त्री थीं जो उपयुक्त विधिके अनुसार ब्याही गई थी, वे उनको रखेली नहीं थीं। उनका कहना है कि स्त्री तीन प्रकारकी होती हैं, धर्मपत्नी, भोगपत्नी और बहूमा। उक्त राजा प्रथम प्रकारकी स्त्रीके साथ खाने पीते थे, शेष दोके साथ नहीं।

स्त्री पुरुषोंमें उल्लिखित तीनप्रकारके सम्बन्धके बलावा जो सब सम्बन्ध किया जाना है, वह सखुनफरोशी (द्यमिचार) समझी जाती है। फरियादीका कहना है कि विधवाविवाह जैनधर्मके अनुकूल है उसका कहना है कि उक्त त्रिवाह चतुर्थ और पञ्चम जातिमें रीतिके अनुसार किये जाते हैं। लेकिन वह दावाके साथ कहता है, कि इसके लिए कुछ विधि विधान भी है। परंतु इस विषयमें वह जैनशास्त्रोंका कोई प्रमाण नहीं देता। वह पहले कहता है कि जो पुनर्विवाह विधिविधानसे किया जाना है, उसका वह गोषक है परन्तु फिर वह कहता है कि पुनर्विवाह यदि विधिविधान से नहीं भी किया जाय, तो भी वह उसका पक्षपाती है और इस कहनेमें कारण यह बतलाता है कि विधवाविवाहके विरोधी लोग सभी प्रकारके विवाहका विरोध करते हैं, उसका कहना है कि विधवाविवाह पुनर्विवाहके अन्तर्गत है लेकिन वह ऐसा कहनेका सादस नहीं करता, कि 'धरेजा' और 'करावा' का अर्थ 'पाट' है उसका कहना है कि विधवाविवाह और पुनर्विवाह दोनोंका अर्थ एक है फरियादीके विचारसे 'करावा' वा 'कराव'का अर्थ उपस्त्रोगमत (द्यमिचार) और 'धरीजा' या 'धरेजा'का अर्थ बिना किसी धार्मिक रीतिके पुनर्विवाह है। इसपर

साराबन्ध (दलील नम्बर ६) का कहना है, कि पुनर्विवाह दक्षिण देशोंमें होता है, उत्तरमें नहीं । उसका और भी कहना है कि 'धरेजा' वैवाहिक संबन्धसे भिन्न है और 'करावा' तथा 'धरेजा' दोनों का अर्थ एक है । वालू नानाका कहना है कि पुनर्विवाह और "पाट" एक बात है । यशवन्त ब्रह्मके मतानुसार पुनर्विवाह दक्षिण देशके दिग्म्बर जैनियोंमें प्रचलित है, वह कहता है कि यहां भी लोग इसे बन्ध करना चाहते हैं इसप्रकार फरियादीकी तरफके जितने गवाह हैं, वे सबके सब अपना अपना वयान (वक्तव्य) विना किसी शास्त्रीयप्रमाणके देते हैं । जो कुछ हो यह तो सच है, कि फरियादी 'धरेजा' अथवा "करावा" आदि हरप्रकारके पुनर्विवाहका पक्षपाती है कोषके अनुसार 'करावा' का अर्थ विधवाका पुनर्विवाह या वेश्यावृत्ति या एकप्रकारका विवाह है और 'धरेजा' का अर्थ है—विना किसी विधिविधानका पुनर्विवाह । इन सब बातोंपर एक साथ यदि बिचार किया जाय तो ऐसा समझा जाता है, कि 'धरेजा' और 'करावा' पुनर्विवाहसे भिन्न नहीं हैं । बशीधरजी शास्त्री (दलील न० ४२) का कहना है, कि 'धरेजा', 'करावा' और पुनर्विवाह (Remarriage) इन तीनोंका अर्थ एक है । उनके मतानुसार

'धरेजा' हिंदी भाषाका शब्द है और मराठीमें उसे 'पाट' कहते हैं। वे कहते हैं, कि पुनर्विवाह सोमसेन कृत त्रैवर्यिकाचारके मतानुसार निषिद्ध है उनका कहना है, विधवाविवाह व्यभिचार है इस विषयमें उन्होंने त्रैवर्यिकाचारसे कुछ प्रमाण भी दिये हैं (अध्याय ११, पृष्ठ ६३४, श्लोक १७१.) गालिषकृषिका मत है कि पुनर्विवाह कलियुगमें नहीं होना चाहिए प्रबोधसार और यशस्तिलकचम्पूके श्लोकोंका प्रमाण देते हुए वे कहते हैं जो स्त्री एकबार ब्याही जा चुकी है वह दूसरी बार ब्याही नहीं जा सकती जब पुनर्विवाहके विरुद्ध इतने जैन शास्त्रोंकी सम्मतियां हैं और फरियादी उस पुनर्विवाहका समर्थन करता है, तब आरोपियोंका ऐसा कहना गलत नहीं कहा जा सकता कि फरियादी 'धरेजा' और 'करावा' का पोषक है इसलिये उसके शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं।

१६। पांचवां आक्षेपः—फरियादीका कहना है कि आरोपियोंने लिखा है—दक्षिण देशके जैन फरियादीको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं अर्थात् "दक्षिण देशके लोग जबसे फरियादीको झगड़ातू, उत्पाती समझने लगे, तबसे वे इसको घृणा दृष्टिसे देखते हैं फरियादीने केवल सूरत और सेढवालमें ही लड़ाई

नहीं ठानी बल्कि उसने शोलापुर डिस्ट्रिक्ट-कांकरे'स, नातेपूते समा और दूसरी दूसरी समाओंमें भी खूब उपद्रव मचाया ।" फरियादो बयान करता है कि जब वह नातेपूते जैनसमामें विधवा विवाह पर वक्तूता दे रहा था तब वहां खलबली मच गई; क्योंकि वक्तूता देते समय उसने अपना हाथ बिना किसी श्लोकके एक बूटे मनुष्यकी ओर फैलाया जो हालमें ही एक लड़की व्याह लाया था (यह ना। उसे पीछे मालूम हुई) उसका कहना है, सन् १६२० ई० में शोलापुरमें जो कांकरे'स हुई थी, उसमें निम्न जातिके लोगोंको घुसानेकी उसने कोई चेष्टा न की थी । और इस सम्बन्धमें समाचार पत्रोंमें जो उस पर दोष मढ़े गये वह झूठे थे । लेकिन वह भागे चल कर स्वीकार करता है, कि इस असत्य संवादके प्रकाशित करनेके कारण मन्शादके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की । शेठ गुलाबचंदजी (दलील नं० ४५) का कहना है, कि शोलापुरमें जब फरियादी वक्तूता दे रहा था, उस समय पुलिसने उसे रोका और समा बन्द करनेकी कहा । जयकृपार (दलील नं० ५६) ने अपने बयानमें कहा है कि शेठवाल समामें फरियादी और उसके साथियोंने मंडपसे बाहर निकल कर लोगों पर ईंट पत्थर फेंके थे; उस समय पुलिसका

शांतिस्थापन करनी पड़ी थी। बालू चौगलाने भी कहा है, कि पुलिस २५ तारीखको वहां पहुंची और ता० २६ को जैनसमाजको यह सूचित करनेके लिये विज्ञापन बांटा गया, कि महासभाका अधिवेशन दो दिन (अर्थात् २३ वीं और २४ वीं को) ही कार्य कर दंगा हो जानेके कारण बंद किया जाता है। जयकुमारके बयान पर विश्वास करनेसे फरियादी ही शेडवालके उक्त दंगे का साक्षात् वा परंपरा कारण मालूम पड़ता है। लेखमें बताई गईं शोलापुर नातेपूते और शेडवाल इन तीन स्थानोंकी सभाओंमें जो दंगा हुआ वह फरियादी (कोठारी) के ही कारण हुआ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

२०। ताराचंदका कहना है कि जैनसमाजमें फरियादी एक प्रसिद्ध आदमी है अगर और मनुष्य उसे लडाकूभी कहे तो भी वह (ताराचंद) उसे ऐसा नहीं कह सकता है। बालू चौगलाका कहना है कि वह जैनसमाजके अग्रगण्य नेताओंके जैसा कोठारीको भी समझता है। परंतु आरोपियोंके गवाह पं० धंशीधरजोका कहना है कि फरियादी नेना है, यह बात दक्षिण देशके जैनसमाजमें किसीको मालूम नहीं। लेकिन उस (फरियादी)ने मिरज, बेलगाम और अग्रगण्य स्थानोंमें अवश्य ही अपने अधार्मिकविचार-

की प्रसिद्धि पाई है (येरा गवाह बयान करता है) ।
 प० शान्तिनाथ शास्त्रीका कहना है कि फरियादी जैन-
 समाजका नेता नहीं माना जाता; वरन् वह जैनियोंमें
 घृणादृष्टिसे देखा जाता है, कारण वह (फरियादी)
 हमेशा अधार्मिक तत्त्वोंका ही प्रचार करता है । इन
 सब बातोंपर विचार करनेसे हर एक आदमी कह
 सकता है कि इस विचारणीय आक्षेपके प्रकाशित
 होनेके पहलेसे ही फरियादीका अधार्मिक विचार
 प्रसिद्ध था और अब इस विषयके प्रकाशित होनेसे
 समाजमें उसकी प्रतिष्ठाको कुछ भी धक्का नहीं
 लगा है ।

२१। छठा आक्षेपका अनुवाद अन्तिम अर्थात्
 दशवें कालमें इस प्रकार है—“फरियादी उल्लिखित
 भारत दिग्गबर जैन महासभाकी पूंजीको हड़प कर
 डालना चाहता है क्योंकि बोर्डिङ्गका खर्च चलाना
 मुश्किल होगया है इसलिए उसने महासभाको हस्त
 गत करनेकी तरकीब ढूँढ़ निकाली है क्योंकि इस
 समय महासभामें लगभग २० हजार रुपये जमा हैं ।
 इस प्रकार वह धार्मिक व्यक्तियोंके दिव्य हुए दानको
 हड़प करना चाहता है ।” सन् १९२२ ई०में अछूतोंकी
 उन्नतिके लिये फरियादीने बावीमें एक बोर्डिङ्ग
 खोला है । उसका कहना है कि उसने बोर्डिङ्ग खोल-

नेमें बहुत रुपये खर्च कर डाले और अभी वह उसके लिए चढ़ा वसूल कर रहा है। पहले यह कहा जा चुका है कि फरियादी महासभाका महामन्त्री चुना गया है यह प्रमाणित होना कठिन है ऐसी अवस्थामें यदि महामन्त्रीकी हैसियतसे वह अपने पास वंश जमा कराता है, तो सब कोई ऐसा समझ सकते हैं कि वह इसका थोड़ासा अंश उस ओर भी खर्च करेगा। वंशी धरजीका कहना है कि उनके सामने तथा कई जगहोंमें फरियादीने कहा है कि मन्दिरका खर्च घटा करके शिक्षाविभागका खर्च चलाया जाय। उक्त वंशीधरने साफतौरसे स्वीकार किया है कि फरियादीने अपना मतव्य उनके समक्ष प्रगट किया। यहां यह भी नहीं मालूम पड़ता कि दोनोंमें किसी प्रकारकी शत्रुता है। इस व.क.में सबसे अधिक आक्षेपार्ह 'हाथ साफ करना' है फरियादीका कहना है कि इसका अर्थ केवल 'अधिकार करना' ही नहीं बल्कि 'हड़प करना' भी है। वंशीधर प्रथमोक्त अर्थको ही युक्तिसंगत बतलाते हैं, रामनाथयणके कोषमें इसका अर्थ है 'सीखना, इस्तेमाल करना, अभ्यास करना, कतल करना'। हिंदी मुहावरोंमें इसका अर्थ है, 'पाना, बरबाद करना आदि' डा० फालोके कोषमें इसका अर्थ है, 'मारना, कतल करना, लड़ना अक्षर बनाना सीखना। इन सब अर्थों

पर गौर करनेसे और प्रकरणने ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकार करनेके सिवा इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ हड़प करना हो नहीं सकता। अतः मैं इस आक्षेपको आपत्तिजनक नहीं समझता हूँ।

२२। कालम नं० १ में यह भी कहा गया है कि फरियादी अछूतोंके साथ खाता पीता है। फरियादीका कहना है कि यद्यपि वह उनके साथ खाना पीना पसन्द करता है और जब तक जैनसमाज इसे प्रहण करनेको तैयार नहीं, तब तक वह भी इसे प्रहण नहीं करता। वह यह भी कहता है, कि उसने आज तक प्रगट या गुप्त तौरसे ऐसा नहीं किया। ताराचन्द का कहना है, वह उसके घर पर कभी नहीं गया और न वहा भोजन ही किया है। लेकिन वह कहता है, कि उसने फरियादीके साथ कई जगह बैठ कर खाना पीया है। ताराचन्द बम्बईका रहनेवाला है और फरियादी पूनाका। यदि ऐसा है, तो क्या ताराचन्दको कभी भी ऐसा मौका हाथ न लगा, कि वह फरियादीके घर पूना जाता और वहां उसके साथ ठहरता। इससे क्या मालूम पड़ता है ? वंशीधरका कहना है, कि उसने फरियादीको शोलापुरमें "बमार" 'ढोर'के घर चाय पीते देखा है। शान्तिनाथ कहता है कि लगभग दो वर्ष हुए, तासगावमें पार्वती महार (भंगी) ने

फरियादीको चाय पीनेके लिए ही और वह (फरियादी) बिना रोक टोकके उसे पी गया । जयकुमारका कहना है कि उसने उसके बोर्डिंगमें अछूतों के साथ बैठ कर खाया है । इस तरहकी बातें कई जगह कही जानेके कारण मैं उन्हें असत्य नहीं समझता । उल्लिखित विषयों पर विचार करते हुए ऐसा मुझे जचता है कि लेखमें जो लिखा गया है कि फरियादीने अछूतोंके साथ खान पान किया है, वह झूठ नहीं है । चूंकि एक भी आक्षेप असत्य नहीं पाया गया और जनसाधारणकी भलाईके लिये ही ऐसा किया गया, इस कारण इस विषयमें जितने आरोपियों पर अभिभोग लगाया गया वे सभी निर्दोष हैं । अतः वे सबके सब ताजिरातहिंदकी २५८ वीं दफाके अनुसार छोड़ दिये जाते हैं ।

बेलगाम } (दः) भार० एन० किणी ।
 ३०-११-१९२५ } आनरेरी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास



